रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन)-128/90 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1990/चैत्र 10, 1912
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1990/CHAITRA 10, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

सूचनाएं

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1990

का. आ. 762.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एस. अदइ कालम, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे तमिलनाडु व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[5(7)/90 न्या०]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTICES

New Delhi, the 5th March, 1990

S.O. 762.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri S. Adai Kalam, Advocate for appointment as a Notary to practise is Tamil Nadu.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(7)/90-Judl.]

नई दिल्ली, 9 मार्च 1990

का. आ. 763.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बाबू नाथ मांगेराम शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात पर लिए दिया है कि उसे ग्रेटर बाम्बे एरिया, व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(9)/90 न्या.]

New Delhi, the 9th March, 1990

S.O. 763.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Baboonath Mangaram Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practice in Gr. Bombay Area.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(9)/90-Judl.]

का. आ. 764.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मोहन लाल एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे जगाधरी जिला अम्बाला (हरियाणा) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेज दें।

[फा. 5(10)/90 न्या.]

के. एल. शर्मा, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 764.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Mohan Lal, Advocate for appointment as a Notary to practise in Jagadhari, Haryana.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(10)/90-Judl.]

K. L. SARMA, Competent Authority

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1990

आयकर

का. आ. 765.—आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "महानिर्वाण मठ बिरभूम पश्चिम बंगाल" को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 8565/फा./197/270/89-आ.कर-नि.-1]

दलीप सिंह, विशेष कार्य अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th February, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 765.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Mahanirvan Math, Birbhum, West Bengal" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1988-89 and 1989-90.

[No. 8565/F. No. 197/270/89-IT (A1)]

DALIP SINGH, Officer on Special Duty

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1990

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का.आ. 766.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्य का विनियमन) नियम, 1964 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के एक अधिकारी और भूतपूर्व सदस्य सचिव, औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड, श्री वी.यू. इराडी को 16 फरवरी, 1990 के अपराह्न से अगले आदेशों तक राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य नियुक्त करती है।

[फा.सं. ए-12026/8/90-प्रशा. I]

New Delhi, the 20th February, 1990

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 766.—In exercise of the powers conferred by Rule 3 of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby appoint Shri V. U. Eradi, an officer of the Indian Revenue Service (I.T.) and formerly posted as Member-Secretary, Board of Industrial Finance & Reconstruction, Delhi, as Member in the Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue with effect from the afternoon of the 16th February, 1990 and until further orders.

[F. No. A. 12026/8/90-Ad.I]

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का.आ. 767.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्य का विनियमन) नियम, 1964 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के एक अधिकारी और भूतपूर्व मुख्य आयकर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर श्री के. आर. गुप्ता को 19 फरवरी, 1990 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए. 12026/8/90-प्रशा.II]

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 767.—In exercise of the powers conferred by Rule 3 of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby appoint Shri K. R. Gupta, an officer of the Indian Revenue Service (I.T.) and formerly posted as Chief Commissioner of Income-tax, Rajasthan, Jaipur, as Member in the Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue with effect from the forenoon of the 19th February, 1990 and until further orders.

[F. No. A. 12026/8/90-Ad. II]

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का.आ. 768.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्य का विनियमन) नियम 1964 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के एक अधिकारी और भूतपूर्व मुख्य (आयकर) आयुक्त (प्रशासन) तमिलनाडु, मद्रास में श्री एस. रामामूर्ति को 19 फरवरी, 1990 के पूर्वाह्न के अगले आदेशों तक राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य नियुक्त करती है।

[फा.सं. ए-12026/8/90-प्रशा .I]

एन. दास, अवर सचिव

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 768.—In exercise of the powers conferred by Rule 3 of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby appoint Shri S. Ramamurti, an officer of the Indian Revenue Service (I.T.) and formerly posted as Chief Commissioner of Income-tax (Admn.), Tamil Nadu, Madras, as Member in the Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue with effect from the forenoon of the 19th February, 1990 and until further orders.

[F. No. A. 12026/8/90-Ad.I]

N. DAS, Under Secy.

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1990

का. आ. 769—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध (धारा 6क को छोड़कर) निम्नलिखित लोक संस्थान के कर्मचारियों के लाभ के लिए सम्भावित भविष्य निधि पर लागू होंगे :—

"इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र नई दिल्ली।"

[सं. 4(1)/संस्था - 5/90/I]

हुमेरा अहमद, उप सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 8th March, 1990

S.O. 769.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act (except section 6A) shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the following public institution, namely :—

"Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi."

[No. 4(1)/E.V./90-I]

HUMERA AHMED, Dy. Secy.

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1990

का. आ. 770.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों को वर्ष 1989-90 के लिये भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा परीक्षक नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. मैसर्स खन्ना एंड अन्नाधानम, चार्टर्ड लेखाकार,
   706, आकाश दीप
   26-ए, बाराखम्बा रोड,
   नई दिल्ली-110 001
2. मैसर्स मुखर्जी बिस्वास एंड पाठक, चार्टर्ड लेखाकार,
   5 और 6, फैंसी लेन,
   5वीं मंजिल,
   कलकत्ता-700 001
3. मैसर्स अमित राय एंड कंपनी, चार्टर्ड लेखाकार,
   5-बी, सरदार पटेल मार्ग,
   इलाहाबाद
4. मैसर्स सोराब एस. इंजीनियर एंड कंपनी, चार्टर्ड लेखाकार,
   इस्माइल बिल्डिंग,
   39, डा. डी.एन. रोड, फोर्ट,
   बम्बई-400 0023
5. मैसर्स एस. विश्वनाथन, चार्टर्ड लेखाकार,
   26, कालेज रोड
   नुंगमबक्कम, मद्रास-600 006
6. मैसर्स एस. के. कपूर एंड कंपनी, चार्टर्ड लेखाकार,
   16/98, एल. आई. सी. बिल्डिंग, द माल, कानपुर।

[संख्या 1(3)/90-लेखा]

प्राण नाथ, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 7th March, 1990

S.O. 770.—In exercise of the powers conferred by section 50 of the Reserve Bank of India Act, 1934, (2 of 1934), the Central Government hereby appoint the following form of Chartered Accountants, as Auditors of the Reserve Bank of India for the year 1989-90, namely :—

1. M/s. Khanna & Annadhanam,
   Chartered Accountants,
   706, Akash Deep, 26-A, Barakhamba Road,
   New Delhi-110001.
2. M/s. Mookherjee Biswas & Pathak,
   Chartered Accountants,
   5 & 6, Fancy Lane,
   5th Floor,
   Calcutta-700001.
3. M/s. Amit Ray & Co., Chartered Accountants,
   5-B, Sardar Patel Marg,
   Allahabad-211001.
4. M/s. Sorab S. Engineer & Co.,
   Chartered Accountant,
   Ismail Building,
   39, Dr. D. N. Road, Fort,
   Bombay-400023.
5. M/s. S. Viswanathan, Chartered Accountants.
   26, College Road,
   Nungambakkam,
   Madras-600006.
6. M/s. S. K. Kapoor & Co., Chartered Accountants,
   16/98, LIC Building, The Mall.
   Kanpur.

[No. F. 1(3)90/Accts.]

PRAN NATH, Under Secy.

नागपुर 5 दिसम्बर, 1989

अधिसूचना क्रमांक 8/1989

का. आ. 771—श्री जे. डी. शेंडे, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" समाहर्तालय, नागपुर, निवेदन की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-11-89 को अपराह्न में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

[पत्र सं. 11(3)5/89/स्था. 1/38964]

जीत राम कैत, अपर समाहर्ता (प्रशासन एवं कार्मिक)

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Nagpur, the 15th December, 1989

NOTIFICATION NO. 8/1989

S.O. 771.—Shri H. G. Shende, Superintendent, Central Excise Group 'B' of Nagpur Collectorate having attained the age of superannuation retired from Government service on 30th November, 1989 in the afternoon.

[C. No. II(3)5/89/Et. I/38964]

J. R. KAIT, Addl. Collector (Admn. and Pers.)

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1990

का. आ. 772.—मैसर्स राजस्थान टेक्सोमेटिक प्राइवेट लि., जी 247, आई. पी. इंडस्ट्रियल एरिया, कोटा-5 को संलग्न सूची के अनुसार संघटकों के आयात के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र से एक आयात लाइसेंस सं पी./डी./2275749, दिनांक 2-11-89 जारी किया गया था।

इस फर्म ने उपरोक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति उनसे खो गई है/गुम हो गई है। आगे यह भी कहा

गया है कि यह लाइसेंस सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता, एयर कार्गो कांपलेक्स आई. जी. आई. ए., नई दिल्ली के पास पंजीकृत कराया गया था तथा लाइसेंस का अंशत: प्रयोग करने पर 6,90,792/- रु. राशि शेष रहती है।

अपने तर्क के समर्थन में वे लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक जिला कोटा के सन्मुख स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं तदानुसार संतुष्ट हूं कि फर्म द्वारा उपरोक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति खो गई/गुम हो गई है।

यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9(गग) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मैसर्स राजस्थान टेलीमेटिक्स प्रा. लि., कोटा को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं. पी. डी./2275749, दिनांक 2-11-88 की सीमाशुल्क प्रति रद्द करता हूं।

पार्टी को उपरोक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं./सप्ला/एन.एस-7/529/डी. जी. टी. डी./ए.एम. 89/एस.एल.एस./685]

सं. कुजूर, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 8th March, 1990

S.O. 772.—M/s. Rajasthan Telematic Pvt. Ltd, G-247, IP Industrial Area Kota-5 has been granted an import licence No. P|D|2275759 dated 2nd November, 1988 for import of components as per list attached under GCA.

The firm has applied for issue of Duplicate Copy of the Customs Copy of the above mentioned licence, on the grounds that the original Customs Copy of the licence has been lost/misplaced by them. It has further been stated that the licence has been registered with the Asstt. Collector of Customs, Air Cargo Complex, IGIA, New Delhi and the licence has been utilised partly, leaving a balance of Rs. 6,90,792.

In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Kota District. I accordingly satisfied that the original Customs Copy of the above Licence has been lost/misplaced by the firm.

In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dt. 7th December, 1955 as amended from time to time, the said Customs Copy of the Import Licence No. P/D|2275749 dated 2nd November, 1988 issued to M/s. Rajasthan Telematic Pvt. Ltd., Kota is hereby cancelled.

A duplicate copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. Suppl|NS-7|529|DGTD|AM 89|SLS|685]

S. KUJUR, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports and Exports.

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1990

का. आ. 773.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1912 (1912 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की अधिसूचना का. आ. 3182, तारीख 1 दिसम्बर, 1989 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के अधिकार को पाईप लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6(1) की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना, से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में अधिकार भारत सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्पलेक्स विभाग, विरेराजे, मुम्बई में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) अधिसूचना क्रमांक तारीख की अनुसूची

अनुसूची

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नं.	क्षेत्र	
							हे.	आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	वडघाणा	पनवेल	रायगढ़	278	3 पै	—	0—12.6	
				287	6 पै	—	0—040	
				277	1 पै	—	0—02.0	
				277	1 पै	—	0—00.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				277	2 पै	—		0—10.3
				277	3 पै	—		0—09.1
				277	4 पै			
				274	10 पै	—		0—21.3
				274	11 पै	—		0—19.4
				274	8 पै	—		0—01.7
				266	4 पै	—		0—13.1
				266	1 पै	—		0—10.6
				267	7 पै	—		0—02.7
				267	8 पै	—		0—13.6
				267	1ब पै	—		0—01.2
				267	2 पै	उ—		0—21.2
				267	3 पै	—		0—00.5
				363	1 पै	—		0—06.0

[सं. 34027/1/87-पी. सी.-III (भाग-II)]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

New Delhi, the 30th March, 1990

S.O. 773.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Chemicals & Petrochemicals) No. S.O. 3182 dated the 1st December 1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipe lines.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division, Vile Parle (W), Bombay free from all encumbrances.

SCHEDULE

Schedule to Notification under Section 6 (1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962.

S. No.	Name of Village	Tahsil	District	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area H	Area R
	Gavhan	Panvel	Raigad	278	3P	—	0	12—6
				287	6P	—	0	04—0
				287	1P	—	0	02—0
				277	1P	—	0	00—7
				277	2P	—	0	10—3
				277	3P	—	0	09—1
				277	4P			
				274	10P	—	0	21—03
				274	11P	—	0	19—4
				274	8P	—	0	01—7
				266	4P	—	0	13—1
				266	1P	—	0	10—6
				267	7P	—	0	02—7
				267	8P	—	0	13—6
				267	1B(P)	—	0	01—2
				267	2P	—	0	21—2
				267	3P	—	0	00—5
				363	1P	—	0	06—0

[No. 34027/1/87-PC-III (Vol. II)]

का. आ. 774.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की अधिसूचना का. आ. 3184 तारीख 1 दिसम्बर, 1989 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के अधिकार को पाईप लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एवं एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में अधिकार भारत सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्प्लेक्स विभाग, विलेपार्ले (प) मुम्बई में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा की उपधारा (1) अधिसूचना की अनुसूची I।

क्र. सं. गांव का नाम	तहसील	जिला	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नं.	क्षेत्र हे. आर
4. आटिवली	पेण	रायगड	15	5 पै	—	0—00.2
आटिवाली	,,	,,	19	1ब पै	—	0—00.5
5. गांधे	,,	,,	24	4 पै	—	0—01.8
			17	4 पै	—	0—00.5
			16	2 पै	—	0—01.0
			33 ब	—	—	0—01.0
6. बोले	,,	,,	14	1क पै	—	0—00.5
			11	9 पै	—	0—02.0
8. सांबरी	अलिबाग	रायगड	42	1ब पै	—	0—00.4
			18	—	—	0—01.5
9. नवखार उर्फ श्रीगांव	,,	,,	36	2 पै	—	0—00.5
10. फणसापूर	अलिबाग	रायगड	9	1 पै	—	0—09.1
			9	2 पै	—	0—01.5
			7	3 पै	—	0—10.0
12. कुर्डूस	,,	,,	24अ	—	—	0—01.[illegible]
1[illegible]. पिटकिरी	,,	,,	62	1अ पै	—	0—00.2
			64	1ब2पै	—	0—0[illegible].7
			64	1ब 2पै	—	0—04.5
				2		
18. खातविरा	अलिबाग	रायगड	8	3 पै	—	0—11.0
			16	1 पै	—	0—03.2
			4	1 पै	—	0—02.0
			15	6 पै	—	0—00.5
			16	2+2पै	—	0—01.7
				1		
			8	1 पै	—	0—00.3
19. कालवड	अलिबाग	रायगड	49	2 पै	—	0—00.6
26. वरी	,,	,,	7	8 पै	,,	0..01.0
28. वाघोली	,,	,,	[illegible]5	1 पै	—	0—05.5
33. खिसराई	,,	,,	20	1+2 पै	—	0-00.75
[illegible]5. मापगांव	,,	,,	7	1 पै	—	0—06.0
[illegible]0. मुशेत	,,	,,	24	3 पै	—	0—05.0

[सं. [illegible]027/1/87—पी. डी.-III (भाग -II)]

एस. के. गुप्ता, डेस्क अधिकारी

S.O. 774.—Whereas by a Notification of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Chemicals & Petrochemicals) No. S.O. 3184 dated the 1st December 1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Governfent hereby declares that schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipe lines.

And furthr in exercise of the powers conferred by Sub-Section 4 of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division, Vile Parle, (W), Bombay free from all encumbrances.

SCHEDULE

Schedule to Notification under Section 6(1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962.

S. No.	Name of Village	Tahsil	District	Survey No.	Hissa No	Gat No.	Area H R
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Atiwali	Pen	Raigad	15	5(P)	—	0—00—2
	,,	,,	,,	19	1B(P)	—	0—00—5
5.	Gandhe	Pen	Raigad	24	4(P)	—	0—01—8
				17	4(P)	—	0—00—5
				16	3(P)	—	0—03—0
				33B	—(P)	—	0—01—0
6.	Chole	Pen	Raigad	14	1—C(P)	—	0—00—5
				11	4P	—	0—02—0
8.	Sambari	Alibag	Raigad	42	1—B(P)	—	0—00—4
				18	—(P)	—	0—00—5
9.	Navkhar Tarf Shrigaon	Alibag	Raigad	36	2(P)	—	0—00—5
11.	Phansapur	Alibag	Raigad	9	1(P)	—	0—09—1
	,,	,,	,,	9	3(P)	—	0—01—5
	,,	,,	,,	7	3(P)	—	0—10—0
12.	Kurdus	Alibag	Raigad	24B	—(P)	—	0—01—3
16	Pitkiri	Alibag	Raigad	62	1A(P)	—	0—00—2
				64	3B2(P)		0—03—7
					1		
				64	3/B2(P)	—	0—04—5
18.	Khatveera	Alibag	Raigad	8	3(P)	—	0—11—0
	,,	,,	,,	16	1(P)	—	0—03—2
	,,	,,	,,	4	1(P)	—	0—02—0
	,,	,,	,,	15	6(P)	—	0—00—5
	,,	,,	,,	16	2 2 —— + ——(P) 1 2	—	0—01—7
				8	1	—	0—00—3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Kalwad	Alibag	Raigad	49	2(P)	-	0—00—6	
26	Chari	Alibag	Raigad	7	8(P)	—	0—01—0	
28	Wagholi	Alibag	Raigad	35	1	—	0—05—5	
33	Bhisrai	Alibag	Raigad	20	1+2(P)	-	0—00—75	
35	Mapgaon	Alibag	Raigad	71	1(P)	—	0—06—0	
36	Mushet	Alibag	Raigad	24	3(P)	—	0—05—0	

[No. 34027/1/87-PC. III (Vol. II)]

S.K. GUPTA, Desk Officer.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली 27 फरवरी, 1990

का. आ. 775.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जीजीएस XI से टेप ऑफ पोइंट चांपरपेडा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी. जी. एस. 11 से टेप आफ बिन्दु चांदखेड़ा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर. सेंटीयर	
1	2	3	4	5
अडालज	683	0	23	80
	682	0	08	80
	कार्ट ट्रैक	0	03	00
	681	0	13	00
	680	0	10	40
	679	0	18	40
	677	0	00	42
	703	0	16	20
	702	0	09	20
	706	0	09	40
	707	0	05	80
	723	0	01	20
	708	0	13	40
	710	0	10	80
	808	0	48	30
	809	0	18	90
	674	0	42	40
	कार्ट ट्रैक	0	03	00
	840	0	09	00
	841	0	19	00
	842	0	08	00
	850	0	17	40
	844+843	0	18	60
	849	0	52	00
	878	0	03	25
	1012	0	66	60
	1014	0	03	37
	1041	0	08	00

[सं. ओ.-11027/1/90-ओ.एन.जी. डी. III]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 27th February, 1990

S.O. 775.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from GGS XI to tape off point chandkheda in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent

Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road; Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS XI to Tape off point Chandkheda

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Adalaj	683	0	23	80
	682	0	08	80
	Cart track	0	03	00
	681	0	13	00
	680	0	10	40
	679	0	18	40
	677	0	00	42
	703	0	16	20
	702	0	09	20
	706	0	09	40
	707	0	05	80
	723	0	01	20
	708	0	13	40
	710	0	10	80
	808	0	48	30
	809	0	18	90
	674	0	42	40
	Cart track	0	03	00
	840	0	09	00
	841	0	19	00
	842	0	08	00
	850	0	17	40
	844+843	0	18	60
	849	0	52	00
	878	0	03	25
	1012	0	66	60
	1014	0	03	37
	1041	0	08	00

[No. O-11027/1/90-O.N.G. D. III]

का. आ. 776.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गंधार से ध्रुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत हो।

अनुसूची

गंधार से ध्रुवारण तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—खेड़ा तालुका—खेभात

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेंटी.
1	2	3	4	5
ध्रुवारण	440	0	14	40
	439	0	05	52
	438	0	00	48
	437/1	0	14	14
	437/2	0	08	25
	436	0	23	70
	435/1	0	18	60
	435/2	0	12	00
	434/1-ए	0	09	24
	434/1-बी	0	13	50
	434/2	0	03	64
	424	0	10	20
	425/1ए	0	15	00
	622/3	0	17	40
	622/2	0	15	60
	622/1	0	15	60
	कार्ट ट्रैक	0	04	50
	407/2	0	11	40
	407/1	0	12	00
	406	0	11	90
	404/1	0	00	52
	कार्ट ट्रैक	0	09	00
	376/3	0	00	12
	376/2	0	10	44
	376/1-बी	0	18	00
	376/1-ए	0	16	20
	377	0	15	60
	378	0	24	60
	380	0	01	00
	379/1	0	07	50
	379/2	0	22	20
	273	0	04	68
	276	0	09	00
	366	0	09	00
	274	0	23	40
	कार्ट ट्रैक	0	01	50

1	2	3	4	5
	240	0	20	10
	248	0	14	40
	249	0	11	70
	250	0	21	30
	216	0	06	00
	254/1	0	47	40
	251/2	0	22	20
	210	0	07	50
	209	0	16	50

[सं. ओ. 11027/5/90-ओ. एन. जी. डी. III]

S.O. 776.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gamdhar to Dhuwaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road; Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also stae specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Gandhar to Dhuwaran

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Dhuwaran	440	0	14	40
	439	0	05	52
	438	0	00	48
	437/1	0	14	14
	437/2	0	08	25
	436	0	23	70
	435/1	0	18	60
	435/2	0	12	00
	434/1-A	0	09	24
	434/1-B	0	13	50
	434/2	0	03	64
	424	0	10	20
	425/1-A	0	15	00
	622/3	0	17	40
	622/2	0	15	60
	622/1	0	15	60
	Cart track	0	04	50
	407/2	0	11	40
	407/1	0	12	00
	406	0	11	90
	404/1	0	00	32
	Cart track	0	09	00
	376/3	0	00	12
	376/2	0	10	44
	376/1-B	0	18	00
	376/1-A	0	16	20
	377	0	15	60
	378	0	24	60
	380	0	01	00
	389/1	0	07	50
	379/2	0	22	20
	273	0	04	68
	276	0	09	00
	366	0	09	00
	274	0	23	40
	Cart track	0	01	50
	240	0	20	10
	248	0	14	40
	249	0	11	70
	250	9	21	30
	216	0	06	00
	254/1	0	47	40
	251/2	0	22	20
	210	0	07	50
	209	0	16	50

[No. O-11027/5/90—O.N.G. D. III]

का. आ. 777.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सांढीएफ कलोल से जीजीएस XI तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी. टी. एफ. कलोल से जी. जी. एस. XI तक पाईपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
1.	2	3	4	5
धानज	14	0	80	40
	15	0	08	00
	226	0	04	92
	225	0	11	48
	230/1	0	02	19
	230/2	0	01	50
	231	0	03	50
	224	0	29	80
	222	0	10	80
	221	0	11	00
	220	0	06	60
	219/2	0	17	00
	217	0	00	25
	215/पी	0	15	25
	216	0	39	80
	कार्ट ट्रेक	0	01	80
	207	0	01	80
	209	0	09	10
	208	0	07	26
	203/पी	0	06	42
	111	0	11	00
	110	0	01	20
	113	0	00	05
	114	0	27	20
	108/पी	0	29	20
	कार्ट ट्रेक	0	01	40
	103/पी	0	28	30
	98	0	25	60
	96	0	06	40
	91	0	08	00
	95	0	08	00
	93	0	05	25
	94	0	00	75
	कार्ट ट्रेक	0	00	60

[सं. ओ-11027/12/90-ओ.एन.जी.डी. III]

S.O. 777.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport from CTF Kalol to GGS XI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road; Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specially whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from CTF Kalol to GGS XI.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Dhanaj	14	0	80	40
	15	0	08	00
	226	0	04	92
	225	0	11	48
	230/1	0	02	19
	230/2	0	01	50
	231	0	03	50
	224	0	29	80
	222	0	10	80
	221	0	11	00
	220	0	06	60
	219/2	0	17	00
	217	0	00	25
	215/P	0	15	25
	216	0	39	80
	Cart track	0	01	80
	207	0	01	80
	209	0	09	10
	208	0	07	26
	203/P	0	06	42
	111	0	11	00
	110	0	01	20
	113	0	00	05
	114	0	27	20
	108/P	0	29	20
	Cart track	0	01	40
	103/P	0	28	30
	98	0	25	60
	96	0	06	40
	91	0	08	00
	95	0	08	00
	93	0	05	25
	94	0	00	75
	Cart track	0	00	60

[No. O—11027/12/90-O.N.G. D. III]

का. आ. 778.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 867 तारीख 16-3-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

झालोरा जी. जी. एस. 1 से जंक्शन बिंदु तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
मेरडा	290/1	0	28	05
	290	0	07	05
	283	0	02	10
	284/पी	0	16	85
	265/1	0	00	50
	264	0	05	25
	263	0	05	25
	262/1	0	07	20
	कार्ट ट्रैक	0	00	90
	259	0	09	90
	258	0	02	60
	257	0	08	65
	11/पी	0	22	05
	12	0	03	00
	14	0	04	95
	13	0	10	20
	56	0	04	13
	59	0	14	47
	57	0	05	70
	58	0	01	80
	61	0	07	95
	68	0	17	80
	70/1	0	06	00

1	2	3	4	5
	70/2	0	01	50
	71	0	04	95
	207	0	14	85
	198	0	05	40
	197	0	01	35

[सं. ओ-11027/36/89-ओ.एन.जी. डी. III]

S.O. 778.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 867 dated 16th March, 1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its interntion to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acqu're the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Zalora GGS I to Jn. Point.

State : Gujarat District : Mehsana Taluha : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Merda	290/1	0	28	05
	290	0	07	05
	283	0	02	10
	284/P	0	16	85
	265/1	0	00	50
	264	0	05	25
	263	0	05	25
	262/1	0	07	20
	Cart track	0	00	90
	259	0	09	90
	258	0	02	60
	257	0	08	65
	11/P	0	22	05
	12	0	03	00
	14	0	04	95
	13	0	10	20
	56	0	04	13
	59		14	47

1	2	3	4	5
	57	0	05	70
	58	0	01	80
	61	0	07	95
	68	0	17	80
	70/1	0	06	00
	70/2	0	04	50
	71	0	04	95
	207	0	14	85
	198	0	05	40
	197	0	01	35

[No. O-11027/36/87—O.N.G. D. III]

का. आ. 779—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के.एन.के. फेस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए तद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के.एन.के., फेस-II तक पाईप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य—गुजरात जिला—खेड़ा तालुका—नडियाद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर.	सेंटीयर
करमसद	1781	0	11	00
	1773	0	07	00
	1774	0	06	20
	1765	0	24	28
	1762	0	03	20
	1731	0	04	05
	1730	0	18	00
	1728/2	0	00	40
	1729	0	18	00
	732	0	04	40
	1393	0	11	70
	1376/1	0	02	13
	1343	0	00	70
	1339	0	00	95
	1316	0	04	60
	1651/2/2	0	01	35
	1583	0	04	40

[सं. ओ-11027/9/90-ओ.एन.जी. डी. III]

S.O. 779.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from KNK Phase-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road; Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specially whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline for K N K Phase II

State : Gujarat Distt. : Kheda Taluka : Anand

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Karamsad	1781	0	11	00
	1773	0	07	00
	1774	0	06	20
	1765	0	24	28
	1762	0	01	20
	1731	0	04	05
	1730	0	18	00
	1728/3	0	00	40
	1729	0	18	00
	1732	0	04	40
	1393	0	11	70
	1376/1	0	02	13
	1343	0	00	70
	1339	0	00	95
	1316	0	04	60
	1651/2/2	0	01	35
	1583	0	04	40

[No. O-11027/9/90.O.N.G. D. III]

का. आ. 780.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल जी.जी.एस. से ए.ई.सी. वीजोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल जी.जी.एस. से ए.ई.सी. वीजोल तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गांव	ब्लाक सं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
हाथीजण	634	0	01	00
	648	0	00	42
	649	0	10	80
	624	0	07	20
	623	0	12	80
	621	0	10	60
	620	0	10	20
	614	0	16	80
	615	0	10	40
	616	0	15	80
	580	0	00	51
	519	0	01	65
	520	0	13	60
	521	0	16	60
	523	0	23	50
	कार्टट्रेक	0	03	00

[सं. ओ.-11027/10/90-ओ. एन.जी.डी.-III]

S.O. 780.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol GGS to AEC Vinzol in Guarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GGS to AEC Vinzol

State : Gujarat District : Ahmedabad

Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hathijan	634	0	01	00
	648	0	00	42
	649	0	10	80
	624	0	07	20
	623	0	12	80
	621	0	10	60
	620	0	10	20
	614	0	16	80
	615	0	10	40
	616	0	15	80
	580	0	00	51
	519	0	01	65
	520	0	13	60
	521	0	16	60
	523	0	23	50
	Cart track	0	03	00

[No. D-11027/10/90-O.N.G. D.-III]

का.आ. 781.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नवागाम सी.टी.एफ. से कोयली रीफाईनरी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

नवागाम सी.टी.एफ. से कोयली रिफाइनरी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	ब्लाक सं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
हरियाला	683/1/पी	0	10	40
	683/1/पी	0	01	37
	688/1	0	00	25
	648	0	14	40
	644	0	21	00
	641/2	0	40	40
	640/2	0	07	40

[सं. ओ.-11027/11/90-ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 781.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Navagam CTF to Koyali Refinery in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Navagam CTF to Koyali refinery.
State : Gujarat District : Kheda Taluka - Matar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hariyala	683/1/P	0	10	40
	683/1/P	0	01	37
	688/1	0	00	25
	648	0	24	40
	644	3	21	00
	641/2	0	21	40
	640/2	0	07	40

[No. O—11027/11/90-O.N.G.D. III]

का.आ. 782.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होना है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सी.टी.एफ. कलोल से जी.जी.एस. XI तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस, आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी.टी.एफ. कलोल से जी.जी.एस. XI तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : व तालुका. : गांधीनगर

गांव	ब्लाक सं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टी-यर
1	2	3	4	5
तारापुर	208	0	29	00
	206	0	17	40
	203	0	26	80
	146	0	14	20
	147	0	14	60
	142	0	19	00
	कार्टट्रेक	0	03	00
	116	0	06	40

[सं. ओ.-11027/13/90-ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 782.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from CTF Kalol to GGS XI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schodule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers confetred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent

Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from CTF Kalol To GGS XI.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Tarapur	208	0	29	00
	206	0	17	40
	203	0	26	90
	146	0	14	20
	147	0	14	60
	142	0	19	00
	Cart track	0	03	00
	116	0	06	40

[No. O—11027/13/90-O.N.G. D. III]

का.आ. 783.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नवागाम सी.टी.एफ. से कोयली रिफाईनरी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए अर्जन सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, बड़ोदा-9, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह सुनवाई व्यक्तिशः या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

नवागाम सी.टी.एफ. से कोयली रिफाइनरी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुक : आणंद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टी-आर
1	2	3	4	5
वासद	15/6	0	14	80
	15/9	0	02	28
	15/7	0	11	50
	15/10	0	22	00
	15/13	0	02	80
	15/11	0	06	00
	956	0	24	00
	29/1	0	05	50
	29/2	0	08	00
	25	0	14	00
	26	0	22	00

[सं. ओ.-11027/8/90-ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 783.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Navagam CTF to Koyali Refinery in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Navagam CTF to Koyali Refinery
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Anand

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Vasad	15/6	0	14	80
	15/9	0	02	28
	15/7	0	11	50
	15/10	0	22	00
	15/13	0	02	80
	15/11	0	06	00
	956	0	24	00
	29/1	0	05	50
	29/2	0	08	00
	25	0	14	00
	26	0	22	00

[O—11027/8/90—O.N.G. DII].I

का.आ. 784—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2020 तारीख 14-6-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कुप नं. 108 से एन. 15 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गाँव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कठवाडा	7	0	03	00
	8/पी	0	05	00
	8/पी	0	11	25
	25	0	03	00
	26	0	12	00
	28	0	04	50
	29	0	07	50
	10	0	06	00
	17	0	06	00
	20	0	03	00
	843	0	03	00

[सं. ओ. 11027/143/88-ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 784.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2020 dated 14-6-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the Lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from well No. 108 to N. 15.
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kathwada	7	0	03	00
	8/P	0	05	00
	8/P	0	11	25
	25	0	03	00
	26	0	12	00
	28	0	04	50
	29	0	7	50
	10	0	06	00
	17	0	06	00
	20	0	03	00
	843	0	03	00

[No. O—11027/143/88-O.N.G. D.III]

का.आ. 785 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2359 तारीख 21-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ओ.एन.ई.ए. से ई.पी.एस. तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वागरा

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टेर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
गंधार	321	1	45	60
	322/ए-बी	1	30	00

[सं. ओ–11027/101/89 ओ. एन. जी. डी.-III]

S.O. 785.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2659 dated 21-10-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And furhter in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission fromm from ensumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNEA To EPS

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Gandhar	321	1	45	60
	322/A-B	1	30	00

[No. O—11027/101/89-O.N.G. D. III]

का. आ. 786.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के.एन.के. फेस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्‌द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ौदा-9, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के.एन.के. फेस II के लिए पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : नडीयाद

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
[illegible]	646	0	27	50
	647	0	02	50
	648	0	10	00
	672	0	10	00
	670	0	04	00
	671	0	07	00
	669	0	00	15
	718	0	11	00
	717	0	00	10
	719	0	08	40
	725	0	12	40
	711	0	00	15
	761	0	09	00
	76[illegible]	0	18	00
	764	0	06	00
	806	0	15	00
	839	0	17	20
	877	0	05	80
	876	0	12	60
	875	0	08	30
	460/पी	0	02	40

[सं. ओ-11027/6/90-ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 786.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from KNK Phase-II to in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government

hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline for K N K Phase II

State : Gujarat Dist: Kheda Taluka : Nadiad

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Akhadol	646	0	27	50
	647	0	02	50
	648	0	10	00
	672	0	10	00
	670	0	04	00
	671	0	07	00
	667	0	00	15
	718	0	11	00
	717	0	00	10
	719	0	08	40
	725	0	12	40
	711	0	00	15
	761	0	09	00
	763	0	18	00
	764	0	06	00
	806	0	15	00
	839	0	17	20
	877	0	05	80
	876	0	12	60
	875	0	08	30
	460/P	0	02	40

[No.-11027/6/90—O.N.G. D. III]

का. आ. 787.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल जीजीएस से एईसी वीजोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा एक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनसूची

रामोल जीजीएस से एईसी वीजोल तक पाईपलाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
वीजोल	567	0	11	20
	566	0	53	00
	565/1	0	08	80
	563	0	17	60
	553	0	09	60
	554	0	11	00
	556	0	05	20
	555	0	08	00

[सं. ओ.-11027/7/90-ओ.एन.जी. डी. III]

S.O. 787.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol GGS to AEC Vimzol in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GGS to AEC Vinzol

State : Gujarat District : Ahmedabad
Taluka : Dascroi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Vinzol	567	0	11	20
	566	0	53	00
	565/1	0	08	80
	563	0	17	60
	553	0	09	60
	554	0	11	00
	556	0	05	20
	555	0	08	00

[No. O-11027/7/90-ONG D. III]

का. आ. 788.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ.सं. 2662 तारीख 21-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची से विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. एन. ए. डी से एस एन ए ई तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला और ताल्लुका—महेसाना

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर	सेंटी
कसालपुरा	306	00	07	20
	303/पी	00	12	12
	361	00	03	96
	362	00	05	28
	355	00	03	24
	354	00	05	40
	353	00	02	52

[सं. ओ.-11027/94/89-आ. एन. जी. डी.III]

S.O. 788.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2662 dated 21-10-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNAD to SNAE.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kasalpura	306	00	07	20
	303/P	00	12	12
	361	00	03	96
	362	00	05	28
	355	00	03	24
	353	00	05	40
	353	00	02	52

[No. O-11027/94/89-O.N.G. D. III]

का. आ. 789.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में टी.पी.रणासण से रामोल जी.जी.ओ.एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्याबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत :

अनुसूची

टी. पी. रणासण से रामोल जी.जी.ओ.एस तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला : अहमदाबाद ताल्लुका : दसकोई

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर	सेंटीआर
बोलासना	140	0	07	00
	139	0	26	00
	138	0	15	00
	136	0	07	60
	137	0	17	60
	वी. पी.	0	02	40
	108	0	37	20
	109	0	00	36
	118	0	37	40
	102	0	58	20

[सं. ओ.-11027/3/90-ओ.एन.जी. डी. III]

S.O. 789.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of pertoleum from T.PP. Ranasam to Ramol GGS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission,

And whereas it appcars that for the purpose of laying such pippeline, it is necessary to acquire that rignt of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from T.P. Ranasan to Ranol GGS.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka: Dascroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Bilasiya	140	0	07	00
	139	0	26	00
	138	0	15	00
	136	0	07	60
	137	0	17	60
	V.P.	0	2	40
	108	0	37	20
	109	0	00	36
	118	0	37	40
	102	0	58	20

[No. O—11027/3/90-O.N.G.-D. III]

का. आ. 790.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सीटीएफ कलोल से जीजीएस 11 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा :

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी. टी. एफ. कलोल से जी. जी. एस. XI तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात जिला : गांधीनगर तालुका : कलोल

गांव	ब्लॉक सं.	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
प्रशालज	529	0	22	60
	530	0	02	00
	532	0	16	60
	531	0	13	00
	534	0	09	00
	538/पी	0	04	00
	537	0	24	00
	538/पी	0	17	20
	542	0	41	38
	544	0	08	62
	545	0	06	00
	546	0	11	30
	515	0	00	10
	548	0	30	20
	552	0	07	70
	553	0	30	30
	कार्ट ट्रैक	0	01	20
	555/पी	0	33	20
	555/पी	0	01	00
	557	0	15	20
	558	0	00	10
	571	0	01	56
	569	0	16	00
	570/पी	0	18	52
	577/पी	0	00	63
	वा.पा.	0	06	60
	577/पी	0	12	80
	कार्ट ट्रैक	0	02	80

[सं. ओ. 11027/4/90-ओ. एन. जी. डी.-III]

S.O. 790.—Whereeas it apppears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from CTF Kalol to GGS XI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :—

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM CTF KALOL TO GGS XI

State : Gujarat District : Gandhinagar Taluka: Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Adalaj	529 3	0	22	60
	530	0	02	00
	532	0	16	60
	531	0	13	00
	534	0	09	00
	538/P	0	04	00
	537	0	24	00
	538/P	0	17	20
	542	0	41	38
	544	0	08	62
	545	0	06	00
	546	0	11	30
	515	0	00	10
	548	0	30	20
	552	0	07	70
	553	0	30	30
	Cart track	0	01	20
	555/P	0	33	20
	555/P	0	01	00
	557	0	15	20
	558	0	00	10
	571	0	01	56
	569	0	16	00
	576/P	0	18	52
	577/P	0	00	63
	V.P.	0	06	60
	577/P	0	12	80
	Cart track	0	02	80

[No. O-11027/4/90-O.N.G.-D-III]

का. आ. 791.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2663 तारीख 21-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. एन. डी. आई से एन. संन्थाल जी. जी. एस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य :— गुजरात जिला व तालुका :— मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
कलोल	1802	0	04	32
	1801	0	04	32
	1800	0	04	20
	1617/2	0	00	48
	1798	0	04	80
	1786	0	09	84
	1787	0	04	56
	1786	0	04	56
	1785	0	05	52
	1781/1	0	01	68
	1781/1	0	05	76
	1782	0	09	12

[सं. ओ. 11027/93/89-ओ. एन. जी. डी.-III]

S.O. 791.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 2663, dated 21-10-1989 under sub-section (1) of Sec. 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1952 (50 of 1952), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification :

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM SNDY TO N. SANTHAL CGS.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Balol	1802	0	04	32
	1801	0	04	32
	1800	0	04	20
	1617/2	0	00	48
	1798	0	04	80
	1788	0	09	84
	1787	0	04	56
	1786	0	04	56
	1785	0	05	52
	1781/1	0	01	68
	1781/2	0	05	76
	1782	0	09	12

[No. O-11027/93/89-O.N.G.D.-III]

का. आ. 792.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2661 तारीख 21-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एक डब्ल्यू एच से इपीएस लनवा 4 तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—महेसाना तालुका—चनासमा

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेंटी.
लनवा	514/पी	0	06	72
	514/पी	0	03	84
	514/पी	0	06	24
	513/3	0	07	20
	512	0	10	80
	433	0	09	12
	436	0	04	68

[सं. ओ.-11027/95/89-ओ.एन.-जी.डी. -III]

S.O. 792.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S. O. No. 2661, dated 21-10-1989 under sub-section (1) of Sec. 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM LWAH TO EPS LANWA-4

State : Gujarat Disirict : Mehsana Taluka : CHANASMA

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Lanwa	514/P	0	06	72
	514/P	0	03	84
	514/P	0	06	24
	513/3	0	07	20
	512	0	10	80
	433	0	09	12
	436	0	04	68

[No. O. 11027/95/89-O.N.G.-D-III]

का. आ. 793.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2660 तारीख 21-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. एन डब्ल्यू से एस. एन. ए.सी. तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य.—गुजरात जिला व ताल्लुका : महेसाना

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर.	सेंटी.
कसलपुरा	948	0	21	24
	947	0	09	60
	946	0	00	84
	945	0	03	36
	774	0	04	20
	772	0	06	24
	776	0	01	32
	771	0	02	40

[सं.ओ.-11027/102/89-ओ.एन.जी.डी.-III)]

S.O. 793.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S. O. No. 2660, dated 21-10-1989 under sub-section (1) of Sec. 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) 1962 (50 of 1962), th eCentral Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ·

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to aequire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publicaion of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM SNW TO SNAC.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kasalpura	948	0	21	24
	947	0	09	60
	946	0	00	84
	945	0	03	36
	774	0	04	20
	772	0	06	24
	776	0	01	32
	771	0	02	40

[No. O-11027/102/89-O.N.G.-D.-III]

का. आ. 794.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2652 तारीख 27-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. डब्ल्यू. एच. पी. से लनवा ईपीएस-II तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—चनासमा

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सटी.
सुणसर	562	00	10	20
	561	00	09	96
	560	00	0	68
	810	00	4	04

[सं. ओ-11027/96/89-ओ.एन.जी.डी. III]

S.O. 794.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2652, dated 21-10-1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1952 (50 of 1952), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to aequire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publidation of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM LWHP TO LANWA EPS. II.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Sunsar	562	00	10	20
	561	00	09	96
	560	00	10	68
	810	00	14	04

[No. O-11027/96/89-O.N.G-D-III]

का. आ. 795.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 251 तारीख 7-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग में अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के. एच. डी. (235) से एन. के. एफ. आर (219) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य – गुजरात, जिला – मेहसाना तालुका – मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मोहम्मदपुरा	76	0	16	08
	77	0	10	68
	72	0	11	28
	54	0	17	40

[सं. ओ—11027/93/89—ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 795.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2511, dated 7-10-1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And futther whereas the Central Government has, after considering the said repoprt decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification :

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM NKHD (235) TO NKFR (219)

State : Gujarat Dist : Mehsana Taluka Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memadpura	76	0	16	08
	77	0	10	68
	72	0	11	28
	54	0	17	40

[No. O-11027/93/89-O-N-G D-III]

का. आ. 796.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2654 तारीख 21-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का यह अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गोलवरा-1 से जी. एन. बी. ई. तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा

ग्राम	ब्लाक नं.	हे.	आर.	सेंटी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अलादर	30	0	17	16
	37	0	06	50
	38	0	19	89
	39	0	11	96
	40ए	0	08	17
	40सी	0	04	81
	76सी	0	14	17
	102	0	11	90
	103	0	05	46
	104	0	15	34
	106ए	0	12	87
	112	0	13	13

[सं. ओ.-11027/100/89-ओ.एन.जी. डी. III)]

S.O. 796.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum Natural Gas S.O. No. 2654, dated 21-10-1989 under sub-section (1) of Sec. 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GOLADARA-I TO GNEI.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aladar	30	0	17	16
	37	0	06	50
	38	0	19	89
	39	0	11	96
	40A	0	08	17
	40C	0	04	81
	76C	0	14	17
	102	0	11	90
	103	0	05	46
	104	0	15	34
	106A	0	12	87
	112	0	13	13

[No. O-11027/100/89-O.N.G. D-III

का.आ. 797.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2664 तारीख 21-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एल.डब्ल्यू.ए.एच. से लनवा-4 ई पी सी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : चनसमा

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेंटी.
मीठाधरवा	418	0	03	96
	414	0	09	12
	413	0	07	68
	473/पी	0	01	20
	472	0	13	08
	482	0	09	12
	484	0	09	60
	485/पी	0	00	84
	485/पी	0	09	00
	486	0	03	72

[सं. ओ-11027/92/89-ओ एन जी डी-III]

S.O. 797.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2664, dated 21-10-1989 under sub-section (1) of Sec. 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM LWAH TO EPS LANWA-4.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mithadharwa	418	0	03	96
	414	0	09	12
	413	0	07	68
	473/P	0	01	20
	472	0	13	08
	482	0	09	12
	484	0	09	60
	485	0	00	84
	485/P	0	09	00
	486	0	03	72

[No. O-11027/92/89-O.N.G. D-III]

का.आ. 798.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2656 तारीख 21-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस.एन.ई.एन. से सन्थाल-1 तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेंटी.
जोटाना	960	00	01	08
	966	00	07	32
	967	00	07	68
	968	00	09	72

[सं. ओ-11027/99/89-ओ.एन.जी डी III]

S.O. 798.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2656 dated 21st October, 1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM SNEN TO SNATHAL-I

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jotana	960	00	01	08
	966	00	07	32
	967	00	07	68
	968	00	09	72

[No. O-11027/99/89-O.N.G. D-III]

का.आ. 799.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2655 तारीख 21-10-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस.एन.ए. जैड से एस. सन्थाल तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर.	सेंटी.
	720	00	00	96
	721	00	02	64
	765	00	15	24
	764	00	02	76

[सं. ओ.-11027/98/89-ओ.एन.जी.डी-III]

S.O. 799.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2655 dated 21st October, 1989 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission

SCHEDULE

PIPELINE FROM SNAZ TO S. SANTHAL

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kasalpura	720	00	00	96
	721	00	02	64
	765	00	15	24
	764	00	02	76

[No. O-11027/98/89-O.N.G.-D-III]

का.आ.800.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सी.टी.एफ कलोल में जी.जी.एस 11 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी.टी.एफ. कलोल से जी.जी.एस. XI तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गाव	ब्लाक नं.	हे.	आर.	सेंटी.
1	2	3	4	5
सेरथा	1803	0	06	80
	1800	0	05	70
	1799	0	16	60
	1798	0	11	60
	1797	0	00	10
	1795	0	02	96
	1794	0	03	91
	1793	0	11	20
	1792	0	05	20
	1791	0	04	50
	1773	0	09	00
	1784	0	09	50
	1783	0	08	20
	1782	0	04	80
	1779	0	05	50
	1778	0	06	40
	1697/ए	0	00	25
	1698/ए	0	03	36
	1699	0	24	60
	1700	0	01	15
	1220	0	18	05
	कार्ट ट्रेक	0	01	80
	1425	0	08	80
	1424	0	02	70
	1423	0	04	00
	1422	0	04	50
	1421	0	10	50
	1420	0	01	70
	1396	0	07	80
	1397	0	00	10
	1398	0	05	60
	1399	0	07	20
	1400	0	01	95
	1401	0	02	28
	1402	0	03	32
	1389	0	02	45
	1388	0	19	20
	1387	0	00	60
	1386	0	14	80
	1220	0	80	20
	1219/ए	0	08	50
	1219/बी	0	01	80
	1212	0	19	40
	1197	0	12	80
	कार्ट ट्रेक	0	00	96
	1188	0	19	50
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	1163	0	13	20
	1165	0	01	20
	1164	0	11	00
	1157	0	00	10
	1158	0	08	50
	1156	0	01	30
	1155	0	05	05
	1151	0	11	50
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	1048	0	06	20
	1050	0	07	12
	1051	0	10	28
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	1053	0	14	40
	कार्ट ट्रेक	0	01	80

1	2	3	4	5
	1021	0	07	00
	1020	0	13	40
	1003	0	11	60
	1002	0	12	10
	998	0	11	60
	994	0	12	00
	996	0	09	00
	992	0	02	80
	966	0	13	80
	963	0	12	60
	962	0	07	80
	958	0	10	40
	960	0	03	30
	959	0	02	80
	952	0	14	80
	948	0	17	80
	946	0	11	40
	944	0	12	80
	929	0	08	50
	930	0	10	00
	931	0	19	80
	कार्ट ट्रैक	0	01	00

[सं. ओ.-11027/2/90-ओ एन जी डी-III]
के. विवेकानन्द, डैस्क अधिकारी

S.O. 800.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from CTF Kalol to GGS XI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers confessed by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the saying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpora Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM CTF KALOL TO GGS XI.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sertha	1802	0	06	80
	1800	0	05	70
	1799	0	16	60
	1798	0	11	60
	1797	0	00	10
	1795	0	02	96
	1794	0	03	91
	1793	0	11	20
	1792	0	05	20
	1791	0	04	50
	1773	0	09	00
	1784	0	07	50
	1783	0	08	20
	1782	0	04	80
	1779	0	05	50
	1778	0	06	40
	1697/A	0	00	25
	1678/A	0	03	36
	1699	0	24	60
	1700	0	01	15
	1220	0	18	05
	Cart track	0	01	80
	1425	0	08	80
	1424	0	02	70
	1423	0	04	00
	1422	0	04	50
	1421	0	10	50
	1420	0	01	70
	1396	0	07	80
	1397	0	00	10
	1398	0	05	60
	1399	0	07	20
	1400	0	01	95
	1401	0	02	28
	1402	0	03	32
	1389	0	02	45
	1388	0	19	20
	1387	0	00	60
	1386	0	14	80
	1220	0	80	20
	1219/A	0	08	50
	1219/B	0	01	80
	1212	0	19	40
	1187	0	12	80
	Cart track	0	00	96
	1188	0	19	50
	Cart track	0	01	00
	1163	0	13	20
	1165	0	01	20
	1164	0	11	00
	1157	0	00	10
	1158	0	08	50
	1156	0	01	30
	1155	0	05	05

1	2	3	4	5
	1154	0	11	50
	Cart track	0	01	00
	1048	0	06	20
	1050	0	07	12
	1051	0	10	28
	Cart track	0	00	60
	1053	0	14	40
		0	01	80
	1021	0	07	00
	1020	0	13	40
	1003	0	11	60
	1002	0	12	40
	998	0	11	60
	994	0	12	00
	996	0	09	00
	992	0	02	80
	966	0	13	80
	963	0	12	60
	962	0	07	80
	958	0	10	40
	960	0	03	30
	959	0	02	80
	952	0	14	80
	948	0	17	80
	946	0	11	40
	944	0	12	80
	929	0	08	50
	930	0	10	00
	931	0	19	80
		0	01	00

[No. O-11027/2/90-O.N.G. D-III]
K. VIVEKANAND, Desk Officer.

ऊर्जा मंत्रालय
(कोयला विभाग)
नई दिल्ली, 5 मार्च, 1990

का. आ. 801— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (i) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 298, तारीख 6 फरवरी, 1989 द्वारा अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में, जिसका माप 5143.92 एकड़ (लगभग) या 2081.674 हैक्टर (लगभग) है, खनिजों के खनन, खदान बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार की, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 2081.674 हैक्टर (लगभग) या 5143.92 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 2081.674 हैक्टर (लगभग) या 5143.92 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और खनिजों को तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. एस ई.सी.एल.-जी.एम. (प्रोजेक्टस)/लैंड 17, तारीख 21 जुलाई, 1989 का निरीक्षण कलक्टर, शहडोल के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची
करकटी ब्लाक
सोहागपुर कोयला क्षेत्र
जिला-शहडोल (मध्य प्रदेश)

खनन अधिकार
(राजस्व भूमि)

क्रम सं.	ग्राम	साधारण संख्या	पटवारी हल्का सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणी
1.	अहीरगवां	29	100	सोहागपुर	शहडोल	10.526	भाग
2.	गोपालपुर	254	100	सोहागपुर	शहडोल	85.559	भाग
3.	करकटी	72	99	सोहागपुर	शहडोल	175.354	भाग
4.	बेलगवां	458	99	सोहागपुर	शहडोल	00.279	भाग
5.	सिरौंजा	988	99	सोहागपुर	शहडोल	108.067	भाग
6.	बरतरा	676	91	सोहागपुर	शहडोल	438.235	भाग
7.	नौगवां	536	92	सोहागपुर	शहडोल	208.648	सम्पूर्ण
8.	मलनाथ	771	92	सोहागपुर	शहडोल	120.390	भाग
9.	छिरिहटी	216	99	सोहागपुर	शहडोल	216.402	भाग
					योग :	1363.460 हैक्टर (लगभग)	

वन भूमि

क्रम सं.	कम्पार्टमेंट	रेंज	डिवीजन	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणी
1. 55	XXIX	बुरहर	दक्षिण शहडोल	103.730	भाग
2. 56	XXIX	बुरहर	दक्षिण शहडोल	130.530	भाग
3. 57	XVII	बुरहर	दक्षिण शहडोल	42.080	सम्पूर्ण
4. 58	XVIII	बुरहर	दक्षिण शहडोल	83.760	सम्पूर्ण
5. 59	IX	बुरहर	दक्षिण शहडोल	250.900	सम्पूर्ण
6. 60	VII	बुरहर	दक्षिण शहडोल	107.214	भाग
			योग	718.214 हैक्टर (लगभग)	
			कुल योग :	2081.674 हैक्टर (लगभग) या	
				5143.920 एकड़ (लगभग)	

ग्राम अहीरगवां (भाग) में अर्जित प्लाट संख्यांक :

230 (भाग), 231(भाग), 232 से 235, 236(भाग), 237(भाग), 240(भाग), 241, 242(भाग), 243 से 247, 248(भाग), 249(भाग) 251(भाग), 253 (भाग), 254(भाग), 255(भाग), और 291(भाग) ।

ग्राम गोपालपुर (भाग) में अर्जित प्लाट संख्यांक :

13(भाग), 15(भाग) 28(भाग) 51(भाग), 53(भाग), 54 से 57, 58(भाग), 59(भाग), 60 से 124, 125(भाग), 126 से 128, 129(भाग), 130, 131, 132(भाग), 133(भाग), 142(भाग), 145(भाग), 146, 147(भाग), 148(भाग), 149, 154(भाग), 155 से 168, 169(भाग,) 170 से 206, 207(भाग), 208(भाग) 209(भाग), 211(भाग), 212(भाग), 213(भाग), 214(भाग), 234 (भाग), 238 से 240, 241(भाग), 242(भाग), 243 (भाग), 244, 245(भाग), 246(भाग), 247 से 270, 271(भाग), 274(भाग), 276 (भाग), 256/281 और 167/283 (भाग),

ग्राम करकटी (भाग) में अर्जित प्लाट संख्यांक :

1 से 123, 124(भाग), 128(भाग), 129, 130, 131 (भाग), 132, 133 (भाग), 134 से 252, 253 (भाग), 254 (भाग),255(भाग), 256 से 273, 274 (भाग), 275(भाग), 276(भाग), 277 से 290, 291(भाग), 292(भाग), 293(भाग), 305(भाग), 306(भाग), 307(भाग), 308, 309(भाग), 336(भाग), 337(भाग), 338(भाग), 339 से 341, 342(भाग), 343(भाग), 345(भाग), 346 से 354, 355(भाग), 360(भाग), 469(भाग), 471(भाग), 473(भाग), 479(भाग), 756(भाग), 757(भाग), 758, 759, 760(भाग), 219/785, 185/766 और 63/768 ।

ग्राम देवगवां (भाग) में अर्जित प्लाट संख्यांक :

18 (भाग), 19, 20(भाग), 21(भाग) और 22(भाग)

ग्राम सिरोंजा भाग में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1 से 99, 100(भाग), 101 से 110, 111(भाग), 112(भाग), 113 से 114, 115(भाग), 116 से 220, 221 (भाग), 222(भाग), 223(भाग), 224(भाग), 225(भाग), 226(भाग), 227 से 236, 237 (भाग), 238, 239(भाग), 240 से 248, 249(भाग), 250(भाग), 251(भाग), 252 से 257, 258 (भाग), 259(भाग), 260(भाग), 261(भाग), 262(भाग), 263(भाग), 264(भाग), 205(भाग), 271(भाग), 357(भाग), 358(भाग), 359(भाग), 365(भाग), 399(भाग), 400, 401 (भाग),402(भाग), 403 (भाग), 404(भाग), 405(भाग), 406(भाग), 407 से 409, 410(भाग), 411(भाग), 412 और 413(भाग) ।

ग्राम बरमरा (भाग) मे अर्जित प्लाट संख्यांक :

310(भाग), 314(भाग), 315(भाग), 316(भाग), 374(भाग), 375 से 394, 395(भाग), 396(भाग), 397(भाग), 398(भाग), 399 (भाग), 400(भाग), 401 (भाग), 405(भाग), 406(भाग), 407(भाग), 408(भाग), 409से 448, 574 से 578, 584 से 588, 589(भाग), 594 से 596, 601(भाग), 619 से 1039, 1944 से 1059, 1060(भाग), 1061 से 1064, 1065(भाग), 1066(भाग), 1067 से 1085, 1104, 1105(भाग), 1106(भाग), 1107(भाग), 1108(भाग), 1143(भाग), 1144(भाग), 1145(भाग), 1146(भाग), 1147(भाग), 1154 (भाग), 1155, 1156, 1157(भाग), 1160(भाग), 1161(भाग), 1162(भाग), 1167(भाग), 1168(भाग), 1170(भाग), 1171(भाग), 1172 से 1226, 1227(भाग), 1228 से 1486, 1487(भाग), 1488(भाग), 1489(भाग), 1490 से 1498, 1499(भाग), 1500(भाग), 1501 1502, 1503(भाग), 1510(भाग), 1511(भाग), 1512(भाग), 1542 से 1546, 1547(भाग), 1548(भाग), 1549 से 1993, 736/1694, 793/1695, 1262/1696, 1262/1697, 1549/1698(भाग), 1683/1699, 1697/1700, 8261/1701 और 826/1702 ।

ग्राम सौगवां (सम्पूर्ण) में प्रर्जित प्लाट संख्यांक :

1 से 622, 333/623, 437/624 और 128/625

ग्राम बलनाथ (भाग) में प्रर्जित प्लाट संख्यांक

617 (भाग), 618 (भाग), 619(भाग), 620(भाग), 621(भाग), 627(भाग), 797(भाग), 798(भाग), 799(भाग), 800(भाग), 801 (भाग), 802, 803, 804(भाग), 805, 806(भाग), 807(भाग), 808, 809(भाग), 810(भाग), 812(भाग), 817(भाग), 840(भाग), 841 (भाग), 844(भाग), 846(भाग), 847(भाग), 848(भाग), 849(भाग), 850, 851(भाग), 852(भाग), 853(भाग), 854, 855(भाग), 856 से 907, 908(भाग) 909 से 1044, 1045(भाग), 1049(भाग), 1285(भाग), 1286 से 1300, 1301(भाग), 1302, 1303(भाग), 1308 (भाग), 1309(भाग), 1310(भाग), 1311(भाग), 1312 से 1346, 1347 (भाग), 1348(भाग), 1349(भाग), 1350(भाग), 1353(भाग), 1357(भाग), 1358(भाग), 1372(भाग), 1376(भाग), 1377(भाग), 1378(भाग), 1379 से 1618 और 1033/1620 ।

ग्राम छिरिहुटी (भाग) में प्रर्जित प्लाट संख्यांक :

2(भाग), 32(भाग), 33(भाग), 34 से 37, 38(भाग), 39(भाग), 40,41(भाग), 42(भाग), 44(भाग), 73(भाग), 74(भाग), 75(भाग), 76(भाग), 77(भाग), 78(भाग), 81(भाग), 83(भाग), 84(भाग), 85 से 489, 490(भाग), 491, 492, 493(भाग), 500(भाग), 501(भाग), 502(भाग), 503(भाग), 510(भाग), 511(भाग), 512(भाग), 513 से 523, 524(भाग), 527(भाग), 528 से 531, 532(भाग), 533 से 536, 537(भाग), 538(भाग), 539(भाग), 541 से 629, 715 से 748, 758(भाग), 763(भाग), 764, 765(भाग), 786(भाग), 788(भाग), 789, (भाग), 796(भाग), 592/820, 422/825, 33/826(भाग), और 33/827 ।

सीमा वर्णन :—

क-ख रेखा ग्राम अहीरगवां में बिन्दु "क" से प्रारंभ होती है और प्लाट सं. 251, 248, 249, 291 से गुजरती है और फिर ग्राम गोपालपुर में प्लाट सं. 213, 212 ,214, 211, 209, 207, 207 से होकर अग्रसर होती है फिर फारेस्ट कम्पार्टमेंट सं. 56 XXIX से होकर तब प्लाट सं. 237, 241, 243, 245, 246, 276, 274, 271 से होकर अग्रसर होती है और फिर ग्राम करकटी में प्लाट सं. 124, 128, 131, 133, 253, 479, 473 से होती हुई अग्रसर होती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख-ग रेखा ग्राम उकरकटी में प्लाट सं. 255, 471, 469, 309, 305, 307, 274, 275, 307, 276, 293, 291, 292, 336, 343 345, 360, 355 से होकर गुजरती है , फिर फारेस्ट लैंड कम्पार्टमेंट सं. 60VII और प्लाट सं. 756, 757, 760 से होकर गुजरती है फिर ग्राम देवगवां में प्लाट सं. 22, 21, 20, 18 से होकर अग्रसर होती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग-घ रेखा ग्राम देवगवां में फोरेस्ट कम्पार्टमेंट सं. 60 VII से गुजरती हुई ग्राम सिरोंजा में फारेस्ट कम्पार्टमेंट से सं. 60VII से गुजरती है और प्लाट सं. 264, 265, 264, 263, 262, 258, 261, 260, 259. 251, 250, 249, 239, 237, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 115, 357, 358, 111, 359, 365, 100, 399. 401, 402, 403, 404. 406, 410, 411, 413 से होकर अग्रसर होती है और ग्राम छिरिहुटी में प्लाट सं. 490, 493, 500, 501, 502, 503, 512, 511, 410, 524, 527, 532, 537, 538, 539 से होकर अग्रसर होती है और फिर प्लाट सं. 539, 541, 542, 616 की पश्चिमी सीमा के और प्लाट सं. 620, 621, 624, 629, 392 715, 748 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलती है फिर प्लाट सं. 758, 763, 765 से होकर और फिर फारेस्ट कम्पार्टमेंट सं. 58, XVIII की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ अग्रसर होती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ-ङ रेखा ग्राम चिरिहुटी और कनकोड़ा की आंशतः सम्मिलित सीमा से होकर फिर ग्राम छिरिहुटी के प्लाट सं. 786, 788, 789, 74, 73, 75, 76, 77, 78, 84, 83, 82, 38, 39, 44, 42, 32, 2 ,826 से होकर गुजरती है फिर ग्राम बलनाथ में प्लाट सं. 1285 1303, 1311, 1310, 1309, 1308, 1349, 1348, 1350, 1347, 3353, 1357, 1358, 1372, 1378, 1371, 1376 1045, 1049, 908, 841, 844, 845, 947, 848, 849, 851, 852, 853, 855, 817, 809, 810, 807, 812, 806, 805, 801, 798, 797, 804 से अग्रसर होती है फिर पुनः ग्राम बरतरा में प्लाट सं. 627, 621, 620, 619, 618, 617 से होती हुई पुनः ग्राम बरतरा के प्लाट सं. 1170, 1171, 1168, 1167, 1162, 1161, 1160, 1157, 1154, 1146, 1145, 1060, 1144, 1143, 1065, 1066, 1107, 1105, 1106, 1105 से होकर अग्रसर होती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ-च रेखा ग्राम बरतरा में प्लाट सं. 1105, 1104, 1082. 1083, 1085, 1084, 1044 की उत्तरी सीमा के साथ फिर प्लाट सं. 1028, 1029, 1034, 1039 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलती है फिर प्लाट सं. 1039, 1038, 1037 की उत्तरी सीमा के साथ चलती है और प्लाट सं. 619, 625, 601, 596, 594, 589, 588, 584, 585, 578, 577, 574, 571, 448, 447, 438, 437 385, 384 383, 376, 375, 374 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ अग्रसर होती है और बिन्दु "च" पर मिलती है ।

च-छ-ज रेखा ग्राम बरतरा में प्लाट सं. 374, 316, 315, 314, 310 ,390, 396, 397, 398, 399, 400, 408, 407, 406, 405, 1409 401, 1500, 1512, 1501, 1510, 1503, 1489, 1488, 1487 से गुजरती है फिर फारेस्ट कम्पार्टमेंट सं. 55XXIX से होती हुई प्लाट सं. 1698, 1548, 1547 और ग्राम बरतरा, चोटुहला गोपालपुर, चिटुहला की सम्मिलित सीमा से होती हुई गुजरती है और बिन्दु, "ज" पर मिलती है ।

ज-क रेखा ग्राम गोपालपुर में प्लाट सं. 13, 59, 15, 58, 28, 51, 53, 125, 133, 132, 142, 129, 145, 147, 348, 169, 383, 154 से होती हुई गुजरती है फिर ग्राम अहीरगवां में प्लाट सं. 230, 231, 237, 236, 240, 255, 242, 254, 253, 251 से होकर गुजरती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं. 43015/30/85-सीए/एल.एस.डब्ल्यू .]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 5th March, 1990

S.O. 801.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 298 dated the 6th February, 1989 under sub-section (1) of the section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in Part-II Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 11th February, 1989 the Central Government gave notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win work and carry away the minerals in the lands measuring 5143.92 acres (approximately) or 2081.674 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Madhya Pradesh is satisfied that the rights to mine, quarry, ore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 2081.674 hectares (approximately) or 5143.92 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto, should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 2081.674 hectares (approximately) or 5143.92 acres (approximately) described in the schedule appended hereto are hereby acquired.

The plan bearing No. SECL : GM(Proj)/Land/47, dated the 31st July, 1989 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Shahdol or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495001 (MP).

THE SCHEDULE

KARKATI BLOCK

SOHAGPUR COALFIELDS

DISTRICT SHAHDOL (MADHYA PRADESH)

MINING RIGHTS

(Revenue Land)

Serial number	Village	General Number	Patwari Halka Number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Ahirgawan	29	100	Sohagpur	Shahdol	10.526	Part
2.	Gopalpur	254	100	Sohagpur	Shahdol	85.559	Part
3.	Karkati	72	99	Sohagpur	Shahdol	175.354	Part
4.	Deogawan	458	99	Sohagpur	Shahdol	00.279	Part
5.	Siraunja	988	99	Sohagpur	Shahdol	108.067	Part
6.	Bartara	676	91	Sohagpur	Shahdol	438.235	Part
7.	Nougawan	536	92	Sohagpur	Shahdol	208.648	Full
8.	Khalnath	771	92	Sohagpur	Shahdol	120.390	Part
9.	Chhitihti	316	99	Sohagpur	Shahdol	216.402	Part
					Total	1363.460	
						hectares (approximately)	

(Forest Land)

Serial Number	Compartment Number	Range	Division	Area in hectares	Remarks
1.	55 XXIX	Burhar	South Shahdol	103.730	Part
2.	56 XXIX	Burhar	South Shahdol	130.530	Part
3.	57 XVII	Burhar	South Shahdol	42.080	Full
4.	58 XVIII	Burhar	South Shahdol	83.760	Full
5.	59 IX	Burhar	South Shahdol	250.900	Full
6.	60 VII	Burhar	South Shahdol	107.214	Part
			Total	718.214	
				hectares (approximately)	

Grand Total : 2081 674 hectares (approximately)

OR

5143 920 acres (approximately)

Plot number acquired in village Ahirgawan (Part).

230(P), 231(P), 232 to 235, 236(P), 237(P), 240(P), 241, 242(P), 243 to 247, 248(P), 249(P), 251(P), 253(P), 254(P), 255(P), and 291(P).

Plot numbers acquired in village Gopalpur (Part)

13(P), 15(P), 28(P), 51(P), 53(P), 54 to 57, 58(P), 59(P), 60 to 124, 125(P), 126 to 128, 129(P), 130, 131, 132 (P), 133(P), 142(P), 145(P), 146, 147(P), 148(P), 149, 154(P), 155 to 168, 169(P) 170 to 206, 207(P), 208(P), 209(P), 211(P), 212(P), 213(P), 214(P), 237(P), 238, to 240, 241(P), 242(P), 243(P), 244, 245(P), 246(P), 247 to 270, 271(P), 274(P), 276(P), 256/381, and 167/383(P).

Plot numbers acquired in village Karkati (Part).

1 to 123, 124(P), 128(P), 129, 130, 131(P), 132, 133(P), 134 to 252, 253(P), 254(P), 255(P), 256 to 273, 274(P), 275(P), 276(P), 277 to 290, 291 P), 292(P), 293(P), 305(P), 306(P), 307(P), 308, 309(P), 336(P), 337(P), 338(P), 339 to 341, 342(P), 343(P), 345(P), 346 to 354, 355(P), 359(P), 459(P), 471(P), 473(P), 479(P), 756(P), 757(P), 758, 759, 760(P), 219/765, 185/766, and 62/768.

Plot numbers acquired in village Deogawan (Part).

18(P), 19, 20(P), 21(P), and 22(P).

Plot numbers to acuire in village Siraunga (Part).

199 to 99, 100(P), 101 to 110, 111(P), 112(P), 113 to 114, 115(P), 116 to 220, 221(P), 222(P), 223(P), 224(P), 225(P), 226(P), 227 to 236, 237(P) 238, 239(P), 240 to 248, 249(P), 250(P), 251 (P), 252 to 257, 258(P), 259(P), 260(P), 261(P), 262(P), 263(P), 264(P), 265(P), 271(P), 357(P), 358(P), 359(P), 365(P), 399(P), 400, 401(P), 402(P), 403(P), 404(P), 405, 406(P), 407 to 409, 410(P), 411(P), 412 and 413(P).

Plot numbers acquired in village Bartara (Part).

310(P), 314(P), 315(P), 316(P), 374(P), 375 to 394, 395(P), 396(P), 397(P), 398(P), 399(P), 400(P), 401(P), 405(P), 406(P), 407(P), 408(P), 409 to 448, 574 to 578, 584 to 588, 589(P), 549 to 596, 601(P), 619 to 1039, 1044 to 1059, 1060(P), 1061 to 1064, 1065(P), 1066(P), 1067 to 1085, 1104, 1105(P), 1106(P), 1107(P), 1108(P), 1143(P), 1144(P), 1145(P), 1146(P), 1147(P), 1154(P), 1155, 1156, 1157(P), 1160(P), 1161(P), 1162(P), 1167(P), 1168(P), 1170(P), 1171(P), 1172 to 1226, 1227(P), 1228 to 1486, 1487(P), 1488(P), 1489(P), 1490 to 1498, 1499(P), 1500(P), 1501, 1502, 1503(P), 1510(P), 1511(P), 1512(P), 1542 to 1546, 1547(P), 1548(P), 1549 to 1693, 736/1694, 793/1695, 1262/1696, 1262/1697, 1548/1698(P) 1683/1699, 1693/1700, 826/1701, and 826/1762.

Plot numbers acquire in village Naugawan (Full).

1 to 622, 333/623, 437/624, and 128/625.

Plot numbers acquire in village Khalnath (Part).

617(P), 618(P), 619(P), 620(P), 621(P), 627(P), 797(P), 798(P), 799(P), 800(P), 801(P), 802, 803, 804(P), 805, 806(P), 807(P), 808, 809(P), 810(P), 812(P), 817(P), 840(P), 841(P), 844(P), 846(P), 847(P) 848(P), 849(P), 850, 851(P) 852(P), 853(P), 854, 855(P), 856 to 907, 908(P), 909 to 1044, 1045(P), 1049(P), 1285(P), 1286 to 1300, 1301(P), 1302, 1303(P), 1308(P), 1309(P), 1310(P), 1311(P), 1312 to 1346, 1347(P), 1348(P), 1349(P), 1350(P), 1353(P), 1357(P), 1358(P), 1372(P), 1376(P), 1377(P), 1378(P), 1379 to 1618 and 1033/1620.

Plot numbers acquire in village Chhirihti (Part).

2(P), 32(P), 33(P), 34 to 37, 38(P), 39(P), 40, 41(P), 42(P), 44(P), 73(P), 74(P), 75(P), 76(P), 77(P), 78(P), 81(P), 83(P), 84(P), 85 to 489, 490(P), 491, 492, 493(P), 500(P), 501 (P), 502(P), 503(P), 510(P), 511(P), 512(P), 513 to 523, 524(P), 527(P), 528 to 531, 532(P), 533 to 536, 537(P), 538(P), 539(P), 541 to 629, 715 to 748, 758(P), 763(P), 764, 765(P), 786(P), 788(P), 789(P), 796(P), 592/820, 422/825, 33/826(P), and 33/827.

Boundary description :—

A-B Line starts from point 'A' village Ahirgawan and passes through plot numbers 251, 248, 249, 291 and then proceeds in village Gopalpur through plot numbers 213, 212, 214, 211, 209, 208, 207 then through forest compartment Number 56, XXIX and through plot numbers 237, 241, 242, 243, 245, 246, 276, 274, 271, and proceeds in village Karkati through plot numbers 124, 128, 131, 133, 253, 479, 473, and meets at point 'B'.

B-C Line passes in village Karkati through plot numbers 255, 471, 469, 309, 306, 305, 307, 274, 275, 307, 276, 293, 291, 292, 336, 343, 345, 360, 335 then through forest land compartment number 60 VII through plot numbers 756, 757, 760, then proceeds through village Deogawan through plot numbres, 22, 21, 20, 18, and meets at point 'C'.

C-D Line passes in village Deogawan through forest compartment number 60 VII then proceeds in villages Siraunga through forest compartment number 60 VII and through plot numbers 264, 265, 264, 263, 262, 258, 261, 260, 259, 251, 250, 249, 239, 237, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 115, 357, 358, 111, 359, 365, 100, 399, 401, 402, 403, 404, 406, 410, 411, 413, and proceeds in village Chhirihti through plot numbers 490, 493, 500, 501, 502, 503, 512, 511, 510, 524, 527, 532, 537, 538, 539, then western boundary of plot numbers 539, 541, 542, 616, and southern boundary of plot numbers 620, 621, 624, 629, 392, 715, 748, then through plot numbers 758, 763, 765, and then along the southern boundary of forest compartment number 58, XVIII and meets at point 'D'.

D-E Line passes partly common boundary of Chhirihti and Kandauha then through plot numbers 796, 786, 788, 789, 74, 73, 75, 76, 77, 78, 84, 83, 82, 38, 44, 42, 32, 2, 826, of village Chhirihti then proceeds in village Khal-

	nath through plot numbers 1285, 1303, 1311, 1310, 1309, 1308, 1349, 1348, 1350, 1347, 1353, 1357, 1358, 1372, 1378, 1371, 1045, 1049, 908, 840, 841, 844, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 855, 817, 809, 810, 807, 812, 806, 805, 801, 798, 797, 804, then proceeds in village Bartara through plot number 1227 again proceeds in village Khalnath through plot numbers 627, 621, 620, 619, 618, 617, again proceeds in village Bartara through plot numbers 1170, 1171, 1168, 1167, 1162, 1161, 1160, 1157, 1154, 1146, 1145, 1060, 1144, 1143, 1065, 1066, 1107, 1105, 1106, 1105, and meets at point 'E'.
E-F	Line passes in village Bartara along northern boundary of plot numbers 1105, 1104, 1082, 1083, 1085, 1084, 1044, then western boundary of plot numbers 1028, 1029, 1034, 1039, then northern boundary of plot numbers 1039, 1038, 1037, and western boundary of plot numbers 619, 625, 601, 596, 594, 589, 588, 584, 585, 578, 577, 574, 571, 448, 447, 438, 437, 385, 384, 383, 376, 375, 374, and meets at point 'F'.
F-G-H	Line passes in village Bartara through plot numbers 374, 316, 315, 314, 310, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 408, 407, 406, 405, 1499, 401, 1500, 1512, 1501, 1510, 1503, 1489, 1488, 1487, then though forest compartment number 55 XXIX and through plot numbers 1698, 1548, 1547, then common boundary of village Bartara, Chituhla, Gopalpur-Chituhla and meets at point 'H'.
H-A	Line passes in village Gopalpur through plot numbrs 13, 59, 15, 58, 28, 51 53, 125, 133, 132, 142, 129, 145, 147, 148, 169, 383, 154, then proceeds in village Ahirgawan through plot numbers 230, 231, 237, 236, 240, 255, 242, 254, 253, 251, and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/30/85-CA/LSW]

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1990

का.आ. 802.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii), तारीख 14 जनवरी, 1989 में प्रकाशित, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 76, तारीख 23 दिसम्बर, 1988 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में भूमि और अधिकारों का अर्जन करने के आशय की सूचना दी थी

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से विचार किरने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि :-

(क) इससे संलग्न अनुसुची "क" में वर्णित 99.91 हैक्टर (लगभग) या 246.98 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और

(ख) इससे संलग्न अनुसुची "ख" में वर्णित 995.53 हैक्टर (लगभग) या 2460.05 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने उनको खुदाई करने और खनिजों के तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि :-

(क) उक्त अनुसूची "क" में वर्णित 99.91 हैक्टर (लगभग) या 246.89 (लगभग) माप वाली भूमि और

(ख) उक्त अनुसूची "ख" में वर्णित 995.53 हैक्टर (लगभग) या 2460.05 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान बोर करने, उनकी खुदाई करने और खनिजों की तलाश करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन किया जाता है।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के सं. सी-1(ई)/111/जे.जे.जे.आर./449-0989, तारीख 15 सितम्बर, 1989 वाले रेखांक का निरीक्षण कलक्टर चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची "क"

विरूर-चिचोली ब्लाक

बल्लारपुर क्षेत्र

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

सभी अधिकार

क्रम सं. ग्राम का नाम	पटवारी साजा	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टेयर में	टिप्पणी	
1. विरूर (स्टेशन)	विरूर (स्टेशन)	राजुरा	चन्द्रपुर	31.42		भाग
2. सूबई (स्टेशन)	विरूर (स्टेशन)	राजुरा	चन्द्रपुर	63.24	5.25	भाग
			कुल क्षेत्र	94.66 5.25-99.91 हैक्टर (लगभग)		
			या	246.89 एकड़ (लगभग)		

ग्राम विरूर (स्टेशन) में अर्जित किए गए प्लाट सं. :

172 से 175, 176(भाग), 179, 215 (भाग), 228, 229, 231, 232, 234, 235, 247, 248.

सुर्वे ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं. :

265 (भाग), 281, 284, 285(भाग), 286 से 288 , 294 से 30[illegible], 314(भाग), 315 से 321 सड़क भाग ।

सीमा वर्णन :

ण-ण 1-ण 2-ण 3 रेखा बिन्दु ण से प्रारंभ होती है और ग्राम विरुर (स्टेशन) से प्लाट सं. 176, में से होकर जाती है फिर प्लाट सं. 174, 17[illegible], 172, 2[illegible]5, 2[illegible]4, 247, 248 को बाह्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ण" "[illegible]" पर मिलती है ।

ण [illegible]-ड रेखा ग्राम विरुर (स्टेशन) से प्लाट सं. 248, 2[illegible]4, 235, 231, 228, 229 और 215 का बाह्य सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है ।

ड-ण रेखा ग्राम विरुर (स्टेशन) से प्लाट सं. 215 से होकर जाती है फिर प्लाट सं. 229, 228, 2[illegible]1, 232, 175, 179 को बाह्य सीमा के साथ साथ अग्रसर होती है और बिन्दु "ण" पर मिलती है ।

(2)

ड-के 1-ड 2-ठ : रेखा बिन्दु "ड" से प्रारंभ होती है और ग्राम सुर्वे से होकर प्लाट सं. 265 से होकर जाती है और बिन्दु "ठ" पर मिलती है ।

ठ- रेखा ग्राम सुर्वे से प्लाट सं. 265 में से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "ड" पर मिलती है ।

(3)

ट-ट 1 रेखा "ट" बिन्दु से प्रारंभ होती है और ग्राम सुर्वे से प्लाट सं. 394, 303, 315 को बाह्य सीमा के साथ साथ प्लाट सं. 314 और सड़क में से होकर फिर प्लाट सं. 317 , 318 को बाह्य सीमा से होकर जाती है और बिन्दु "ट 1" पर मिलती है ।

ट 1-ट 2- रेखा ग्राम सुर्वे से द. पू. रेल की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है, फिर नाले को उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है । और बिन्दु "झ) पर मिलती है ।

झ-ट रेखा ग्राम सुर्वे से प्लाट सं. 281, 2[illegible]4 को बाह्य सीमा के साथ-साथ प्लाट सं. 285 में से होकर जाती है फिर प्लाट सं. 288, 296 295, 294 को बाह्य सीमा के साथ साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "ट" पर मिलती है ।

अनुसूची "ख"

विरुर चिंचोली ब्लाक

बलारपुर क्षेत्र

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

खनन अधिकार

क्रम सं. ग्राम का नाम	पटवारी साजा	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में		टिप्पणियां
				राजस्व	भूमि वन	
1. विरुर (स्टेशन)	विरुर स्टेशन	राजुरा	चंद्रपुर	177.2[illegible]	48.22	भाग
2. सुर्वे	"	"	"	1[illegible]8.05	224.67	भाग
3. कवित पेठ	धनोरा	"	"	3.93	190.26	भाग
4. धनोरा	"	"	"	5.20	15[illegible].9[illegible]	भाग
5. चिंचोली बुजरूक	"	"	"	—	49.04	भाग
			योग	[illegible]24.41	671.12	
				−995.5[illegible] हैक्टर (लगभग)		
			या	2460.05 एकड़ (लगभग)		

ग्राम विरुर (स्टेशन) में अर्जित किए गए प्लाट सं.

2 भाग, 3 भाग, 4, 5 भाग, 9 भाग, 10 भाग, 11 से 1[illegible] , 14 भाग, 15, 16, 17 भाग, 18, 51 भाग, 52 भाग, 5[illegible] से 67 , 69 भाग, 70 भाग, 71, 72 भाग, 7[illegible] भाग, 74 भाग, 97 भाग, 98 भाग, 99 से 122, 12[illegible] भाग, 124 भाग, 125, 126 भाग, 127 भाग, 128 भाग, 129 भाग, 130 भाग, 1[illegible] भाग, 1[illegible]4 भाग, 137 भाग, 140 भाग, 141 से 14[illegible] , 144 भाग, 145 भाग, 171 भाग, 176 भाग, 177, 178, 180 से 201, 202/1, 202/2, 203 भाग, 207 भाग, 208 भाग, 209 से 214, 215 भाग, 216 से 2[illegible]7, 260 भाग, 42[illegible] भाग, सड़क भाग ।

ग्राम सुबें में अर्जित किए गए प्लाट सं.

17 भाग, 18 ,19, 20 भाग, 21 से 25, 26/1-26/2, 27 से 29, 30 भाग, 31 भाग, 32 भाग, 36 भाग, 37 भाग, 39 भाग, 40 से 42, 43 भाग, 45 भाग, 46 भाग, 265 भाग, 266 से 280 , 282 , 283, 285 भाग, 289 से 292, 243 भाग, रोड़ भाग नीला भाग ।

ग्राम कवितपेठ से अर्जित किए गए प्लाट सं.

45 भाग, 61 भाग

ग्राम धनोरा में अर्जित किए गए प्लाट सं.

189 भाग, 320 भाग, 321 भाग, 322 भाग ।

ग्राम चिचोली बुजरुक में अर्जित किए गए प्लाट सं.

209 भाग ।

सीमा वर्णन :

क–ख	रेखा बिन्दु "क" से प्रारंभ होती है और ग्राम विरुर (स्टेशन) से नाले की दक्षिणी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।
ख-ग-घ	रेखा ग्राम विरुर (स्टेशन) से प्लाट सं. 52, 51 सड़क, 68 , 70 72 , 74, 73 सड़क, 97, 98, 206, 207, 208 में से होकर जाती है फिर ग्राम धनोरा में से प्लाट सं. 321, 322, 320 में से होकर जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।
घ-ङ	रेखा ग्राम धनोरा के प्लाट सं. 189 में से होकर जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।
ङ-च	रेखा ग्राम धनोरा से प्लाट सं. 189 में से होकर जाती है और ग्राम कवितपेठ के प्लाट सं. 45 , 61 में से अग्रसर होती है और बिन्दु "च" पर मिलती है ।
च-छ-ज	रेखा ग्राम कवितपेठ के प्लाट सं. 45 से होकर जाती है फिर ग्राम चिचोली बुजरुक में से होकर प्लाट सं. 209 में से अग्रसर होती है फिर चिचोली बुजरुक और सुबें ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ साथ आगत: जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।
ज-झ-ञ	रेखा ग्राम सुबें से होकर नाला प्लाट सं. 32, 31, 30, 26, 27, 29, 46, 45, 43 सड़क, 20, 17, नाला में से होकर जाती है और बिन्दु "ञ") पर मिलती है ।
ञ-ट	रेखा ग्राम सुबें से होकर नाला प्लाट सं. 280, 279, 282, 283 की बाह्य सीमा के साथ साथ प्लाट सं. 285 में से होकर प्लाट सं. 289, 291 , 292 , 293 की बाह्य सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ट" पर मिलती है ।
ट-ठ-ड	रेखा ग्राम सुबें के प्लाट सं. 293, 265 में से होकर जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है ।
ड-ढ	रेखा ग्राम सुबें के प्लाट सं. 265 में से होकर जाती है फिर ग्राम धनोरा के प्लाट सं. 189 में से होकर अग्रसर होती है फिर विरुर (स्टेशन) के प्लाट सं. 250 में से होकर जाती है और बिन्दु "ढ" पर मिलती है ।
ढ-ण	रेखा ग्राम विरुर (स्टेशन) से होकर प्लाट सं. 215 में से फिर प्लाट सं. 216 , 227 , 226 ,192, 180, 181, 178, 177, 171 की बाह्य सीमा के साथ साथ जाती है और "ण" बिन्दु पर मिलती है ।
ण-त-क	रेखा ग्राम विरुर (स्टेशन) के प्लाट सं. 176, 171, 145, 144, 140, 137, 134, 132 ,130, 129, 128, 127, 126, 124, 123, 9, 10, 5, 3, 2, 14, 17, 422 में से होकर ,फिर प्लाट सं. 13 की बाह्य सीमा के साथ साथ जाती है और अंतिम बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/13/87-जी.ए. एल.एस. डब्ल्यू.

New Delhi, the 7th March, 1990

S.O. 802.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 78 dated the 23rd December, 1988, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 14th January, 1989, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands and rights in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Maharashtra, is satisfied that;

(a) the lands measuring 99.91 hectares (approximately) or 246.89 acres (approximately) described in Schedule 'A' appended hereto; and

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 995.53 hectares (approximately) or 2460.05 acres (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto;

should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that :

(a) the lands measuring 99.91 hectares (approximately) or 246.89 acres (approximately) described in the said Schedule 'A'; and

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 995.53 hectares (approximately) or 2460.05 acres (approximately) described in the said Schedule 'B';

are hereby acquired.

The plan bearing No. C-1(E) III/JJJR/449-0989 dated the 15th September, 1989 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 (Maharashtra).

SCHEDULE 'A'

WIRUR CHINCHOLI BLOCK

BALLARPUR AREA

DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

ALL RIGHTS

Sr. No.	Name of village	Patwari Saza.	Tehsil.	Distt.	Area in hectares. Revenue	Forest.	Remarks
1.	Wirur (Station)	Wirur (Station)	Rajura	Chandrapur	31.42		Part
2.	Subai	Wirur (Station)	Rajura	Chandrapur	63.24	5.24	Part
				Total area :	94.66	5.25-99.71 (hectares.) (approximately) OR 246.89 acres. (approximately)	

Plot numbers acquired in village Wirur (Station.) :

172 to 175, 176 Part, 179, 215 Part, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 247, 248.

Plot numbers acquired in village Subai :

265 Part, 281, 284, 285 Part, 286 to 288, 294 to 303, 314 Part, 315 to 321, Road Part.

Boundary description :

(1) 01–02–03 : Line starts from point 'O' passes through village Wirur (Station) in plot number 176, than along the outer boundary of plot numbers 174, 173, 172, 235, 234, 247, 248 and meets at point '03'.

03–N : Line passes through village Wirur (Station) along the outer boundary of plot numbers 248, 234, 235, 231, 228, 229 and 215 and meets at point 'N'.

N–O : Line passes through village Wirur (Station) in plot number 215, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 229, 228, 231, 232, 175, 179 and meets on the starting point at 'O'.

(2) M–M1–M2–L : Line starts from point 'M' and passes through village Subai in plot number 265 and meets at point 'L'.

L–M : Line passes through village Subai in plot number 265 and meets on the starting point at 'M'.

(3) K–K1 : Line starts from point 'K' and passes through village Subai along the outer boundary of plot numbers 294, 303, 315 in plot number 314 Road, then along the outer boundary of plot numbers 317 318 and meets at point 'K1'.

K1–K2–J : Line passes through village Subai along the eastern boundary of S.E. Railway than along the Northern boundary of Nullah and meets at point 'J'.

J–K : Line passes through village Subai along the outer boundary of plot numbers 281, 284, in plot number 285, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 288, 206, 285, 294 and meets on the starting point 'K'.

SCHEDULE 'B'

WIRUR CHINCHOLI BLOCK

BALLARPUR AREA

DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

MINING RIGHTS

Sl. No.	Name of village	Patwari Saza.	Tehsil	District	Area in hectares Revenue land.	Forest	Remarks
1.	Wirur (Station	Wirur (Station)	Rajura	Chandrapur	177.23	48.22	Part
2.	Subai	Wirur (Station)	Rajura	Chandrapur	138.05	224.67	Part
3.	Kavitpeth	Dhanora	Rajura	Chandrapur	3.93	190.26	Part
4.	Dhanora	Dhanora	Rajura	Chandrapur	5.20	158.93	Part
5.	Chincholi Buzruk	Dhanora	Rajura	Chandrapur	—	49.04	Part
					324.41	671.12	
				TOTAL :	995.53 hectares (approximately) OR 2460.05 acres (approximately)		

Plot numbers acquired in village Wirur (Station) :

2 Part, 3 Part, 4, 5 Part, 9 Part, 10 Part, 11 to 13, 14 Part, 15, 16, 17 Part, 18, 51 Part, 52 Part, 53 to 67, 68 Part, 70 Part, 71, 72, Part, 73 Part, 74 Part, 97 Part, 98 Part, 99, to 122, 123 Part, 124 Part, 125, 126 Part, 127 Part, 128 Part, 129 Part, 130 Part, 133 Part, 134 Part, 137 Part, 140 Part, 141 to 143, 144 Part, 145 Part, 171 Part, 176 Part, 177, 178, 180 to 201, 202/1, 202/2, 203 Part-Part, 207 Part, 208 Part, 209 to 214, 215 Part, 216 to 227, 250 Part, 423 Part, Road Part.

Plot numbers acquired in village Subai :

17 Part, 18, 19, 20 Part, 21 to 25, 26/1—26/2, 27 to 29, 30 Part, 31 Part, 32 Part, 36 Part, 37 Part, 39 Part, 40 to 42, 43 Part, 45 Part, 46 Part, 265 Part, 266 to 280, 282, 283, 285 Part, 289 to 292, 293 Part, Road Part, Nallah Part.

Plot numbers acquired in village Kavitpeth :

45 Part, 61 Part.

Plot numbers acquired in Village Dhanora :

189 Part, 320 Part, 321 Part, 322 Part.

Plot numbers acquired in village Chincholi Buzruk :

209 Part.

Boundary description :

A–B	:	Line starts from point 'A' and passes through village Wirur (Station) along the Southern boundary of Nullah and meets at point 'B'.
B–C–D	:	Line passes through village Wirur (Station) in plot numbers 52, 51, Road, 68, 70, 72, 74, 73 Road, 97, 98, 203 207, 208 and then proceeds through village Dhanora in plot numbers 321, 322, 320 and meets at point 'D'.
D–E	:	Line passes through Village Dhanora in plot number 189 and meets at point 'E'.
F	:	Linepasses through village Dhanora in plot number 189, then proceeds through village Kavitpeth in plot numbers 45, 61 and meets at point 'F'.
F–G–H	:	Line passes through village Kavitpeth in plot numbe 45, then proceeds through village Chincholi Buzruk in plot number 209 then partly along ne common boundary of villages Chincholi Buzruk and Subai and meets at poin 'H'.
H–I–J	:	Line passes through village Subai in plot numbers 32, 31, 30, 36, 37, 39, 46, 45, 43 Road, 20, 17, Nullah and meets at point 'J'.
J–K	:	Line passes through village Subai along the outer boundary of Nallah, plot numbers 280, 279, 285, 283 in plot numbers 285, along the outer boundary of a plot numbers 289, 291, 292, 293 and meets at point 'K'.
K–L–M	:	Line passes through village Subai in plot numbers 293, 265 and meets at pont 'M'.
M–N	:	Line passes through village Subai in plot number 265 then proceeds through village Dhanora in plot number 189 then through village Wirur (Station) in plot number 250 and meets at point 'N'.
N–O	:	Line passes through village Wirur (Station) in plot number 215, then along the outer boundary of plot numbers 216, 227, 226, 192, 180, 181, 178, 177, 171 and meets at point 'O'.
O–P–A	:	Line passes through village Wirur (Station) in plot numbers 176, 171, 145, 144, 140, 137, 134, 133, 130, 129, 128, 127, 126, 124, 123, 9, 10, 5, 3, 2, 14, 17, 423 then along the outer boundary of plot number 18 and meets on the starting point at 'A'.

[No. 43015/13/87-CA/LSW]

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1990

शुद्धिपत्र

का. आ. 803:— भारत के राजपत्र, भाग-II खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 16 सितम्बर, 1989 के पृष्ठ 2733 से 2734 पर प्रकाशित भारत के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 2247 दिनांक 16 अगस्त, 1989 में—

पृष्ठ –2733 पर

(1) अधिसूचना में "रेखांक सं. सी.-1(ई) फील्ड 432-0789 का निरीक्षण वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि." के स्थान पर "रेखांक सं. सी-1 (ई)III जी आर 432-0789 तारीख 7 अप्रैल, 1999 का निरीक्षण वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि. " पढ़िए ।

पृष्ठ –2734 पर

(2) अनुसूची में "पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमी" के स्थान पर "पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि " पढ़िए ।

(3) "क्षेत्र एकड़ में" के स्थान पर "क्षेत्र हेक्ट में" पढ़िए ।

(4) क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 में तहसील स्तम्भ के नीचे "जुन्नोरदिवों " के स्थान पर "जुन्नारदेव" पढ़िए और क्रमांक 4 में क्षेत्र हेक्ट स्तम्भ के नीचे "31.405 भाग" पढ़िए ।

(5) कुल क्षेत्र में "एकड़" के स्थान पर "हेक्टर" पढ़िए।
और हैक्टर के स्थान पर एकड़ पढ़िए।

सीमा वर्णन में

(6) रेखा क-ख में "सम्वन वाड़ा में सुरी वन" के स्थान पर "सावनवाडा वर्रा में वन" पढ़िए और "सं. XLIII और XLVII" में के स्थान पर "सं. XLVIII और XLIII" में पढ़िए।

(7) रेखा च-छ में ग्राम "नकालिया" के स्थान पर "ग्राम नकातिया" पढ़िए। और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "नकोतिया" पढ़िए।

(8) रेखा छ-ज में "कम्पार्टमेंट सं. XLII" के स्थान पर "कम्पार्टमेंट सं. XXXII" पढ़िए।

(9) रेखा "छ-क" के स्थान पर रेखा "ज-क" पढ़िए।

[सं. 43015/6/89-एल. एस. डब्ल्यू.]
बी० बी० राव, अवर सचिव

New Delhi, the 9th March, 1990

CORRIGENDUM

S.O. 803.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy in S.O. 2247, dated the 16th August, 1989, published at pages 2734 to 2735 of the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii), dated the 16th September, 1989;

At page 2734, in line 6, for "C-1(E)III/GR/432-0789", read "C-1(E) III/GR/432-0789, dated 7th April, 1989" and for "inspec" read "inspected".

At page 2735, in the Schedule—(a) against Sl. No. 3, under the column "Forest" for "Dobban", read "Dobhan"; (b) Under the heading Boundary Description—

(i) in line A-B, for "compartmnt" read "compartment";

(ii) in line H-A, for "Samanwara" read "Samanwara Barra".

[No. 43015/6/89-LSW]
B. B. RAO, Under Secy.

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1990

का.आ. 804.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड "ख" के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया है/किए गए हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक की स्थापना की अधिसूचना छपी थी उसकी संख्या और तिथि	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 771 (भाग 2)—1979 स्वच्छता उपकरणों के लिए चमकदार अग्निसह मिट्टी की विशिष्टि : भाग 2 रसोई और प्रयोगशाला सिंकों की विशेष अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 1342 दि. 1985-04-03	सं. 1 अक्तूबर 1984	(पृष्ठ 4 खंड 2.2(ए) उचित स्थान में निम्न नं. माइज का जोड़ें : 600—450—200 मिमी.	1984-10-31
2.	IS : 9?7-1981 फायर हुकों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस ओ. 1400 दि. 1985-04-06	सं. 1 अक्तूबर 1984	खंड 3.1 और आकृति 1 को संशोधित किया गया है।	1984-10-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	IS : 948—1983 अग्नि शमन उपयोग के लिए पानी के टेंडर किस्म "ए" की कार्य अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 3328 दि. 1986-09-27	सं. 1 अक्तूबर 1984	(पृष्ठ 4, खंड 2.2 (एफ) कालम 2)—"4.50 मी" को "4.30 मी" में बदल दिया गया है।	1984-10-31
4.	IS : 950—1980 अग्निशमन उपयोग के लिए पानी के टेंडर किस्म "ए" की कार्य अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 4412 दि. 1985-12-15	सं. 2 अक्तूबर 1984	(पृष्ठ 4, खंड 2.2 (एफ) कालम 2)—"4500 मिमी" को "4300 मिमी" तथा "23 सेमी" को "26 सेमी" के लिए बदल दिया गया है।	1984-10-31
5.	IS 1206 (भाग 1)—1978 डामर और विटूमैस सामग्रियों की परीक्षण पद्धतियां: विस्कोसिता ज्ञात करना: भाग 1 औद्योगिक विस्कोसिता (पहला पुनरीक्षण)	–	सं. 1 अक्तूबर 1984	1. (पृष्ठ 39, खंड 3.1.1 पंक्ति 2)—कुंडी को "जल कुंडी" से बदल दिया गया है। 2. (पृष्ठ 40, आकृति 1)—कुंडी को "जल कुंडी से बदल दिया गया है। 3. (पृष्ठ 41, खंड 3.1.1 (ए) पंक्ति 1)—"कुंडी" को "जल कुंडी" से बदल दिया गया है । 4. खंड 3.1.1 के (सी) के वर्तमान मद को नये से बदल दिया गया है। 5. खंड 3.2.1 संशोधित किया गया है। 6. एक नया उपखंड 03.5.5 को खंड 3.5.4 के बाद जोड़ दिया गया है।	1984-10-31
6.	IS : 1342—1978 तेल-दाब चूल्हों की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3450 दि. 1982-10-02	सं. 3 अक्तूबर 1984	खंड 13.2 संशोधित किया गया है	1984-10-31
7.	IS : 1367 (भाग 3)—1979 चूड़ीदार इस्पात बंधकों के लिए तकनीकी पूर्ति शर्तें भाग 3 पूर्ण भार वहन योग्यता सहित काबलों, पेचों और स्टडों को परीक्षण पद्धतियां और यांत्रिक गुण धर्म (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 1059 दि. 1984-03-31	सं. 1 नवम्बर 1984	1. पृष्ठ 5, सारणी 5 परीक्षण कार्यक्रम बी) वेज भारण परीक्षण के सामने खाली चिन्हु "0" को हटायें। 2. (पृष्ठ 5, सारणी 5 का* चिन्ह पाद टिप्पणी को पहली पंक्ति)—चिन्ह "के" को चिन्ह "0" से बदल दिया गया है। 3. (पृष्ठ 9 खंड 7.3, पंक्ति 5)—"30 किग्रा को 300 ग्रा से बदल दिया गया है।	1984-10-31
8.	IS : 1459—1974 मिट्टी के तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 987 दि. 1976-03-06	सं. 2 नवम्बर 1984	सारणी 1 के चिन्ह "–" सहित वर्तमान पाद टिप्पणियों (पृष्ठ 4) को नये से बदल दिया गया है।	1984-11-30
9.	IS : 1660 (भाग 1)—1982 पिटवां ऐल्युमिनियम बर्तनों की विशिष्टि भाग 1 पकाने, खाने भंडारण और बेक करने के (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 1994 दि. 1985-08-24	सं. 02 नवम्बर 1984	वर्तमान खंड 9.1 को नये से बदल दिया गया है।	1984-10-30
10.	IS : 1739—1978 सूती करघों के उपयोग के लिए सूती डोरियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2272 दि. 1981-08-29	सं. 1 अक्तूबर 1984	पृष्ठ 6 के वर्तमान नोट 1 एवं 2 को नये से बदल दिया गया है।	1984-10-31
11.	IS : 2485—1979 सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए तार रस्सों के पास फौजी किस्म सॉकेटों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 358 दि. 1973-01-15	सं. 1 दिसम्बर 1984	सारणी 1 (पृष्ठ 3) के वर्तमान नोट और सारणी 2 (पृष्ठ 4) को नये से बदल दिया गया है।	1984-12-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	IS : 2665—1964 टेलीग्राम और टेलीफोन प्रयोजनों के लिए कैडमियम तांबा-तार की विशिष्टि	एस.ओ. 2297 दि. 1964-07-04	सं. 3 दिसम्बर 1984	सारणी 1 को संशोधित किया गया है।	1984-12-31
13.	IS : 2686—1977 ना कंक्रीट में उपयोग के लिए सिंडर रोडी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2116 दि. 1980-08-09	सं. 1 नवम्बर 1984	पहले आवरण पृष्ठ का शीर्षक, पृष्ठ 1 और 3 को नये से बदल दिया गया है।	1984-11-30
14.	IS : 2745—1983 फायर मैन और सिविल रक्षा कार्मिकों के लिए अधातु हेल्मेटों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3328 दि॰ 1986-09-27	सं. 1 दिसम्बर 1984	(1) (पृष्ठ 4, खंड 2.3) को हटा दिया गया है। (2) खंड 2.8.3., 4.1, 5.3.3 एवं सी -1.1 को संशोधित किया गया है।	1984-12-31
15.	IS : 2796-1971 मोटर गैसोलिन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3255 दि. 1973-11-24	सं. 02 नवम्बर 1984	(1) (पृष्ठ 3, खंड 1.1, पंक्ति 2)—"83" को (87) से करें। (2) (पृष्ठ 5, सारणी 1, खंड 3, शीर्षक "अपेक्षाएं" के अन्तर्गत ("83 ऑक्टेन" को "87 ऑक्टेन" करें। (3) (पृष्ठ 5, सारणी 1, खंड, 3, को क्र.सं. (5)—"83" को "87" करें।	1984-11-30
16.	IS : 3148—1983 धात्विक सरकवां बंधको की विशिष्टि सामान्य प्रयोजन वाले (तीसरा पुनरीक्षण)	—	सं. 1 अक्तूबर 1984	(पृष्ठ 4, खंड, 3.1.1.3, मद (ग) पंक्ति 3)"—3 या बेहतर" को "4 या उत्तम" करें।	1984 10-31
17.	IS : 3375—1974 घरेलू प्रयोजनों के लिए सिलाई मशीन के फिरकी केसों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3279 दि. 1976-09-11	सं. 02 नवम्बर, 1984	(1) वर्तमान खंड 1 को नये से बदल दिया गया है। (2) खंड 5.2 के अन्तर्गत एक नये खंड को जोड़ दिया गया है।	1984-11-30
18.	IS : 3466—1967 चिनाई सीमेंट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 287 दि. 1968-01-20	सं. 2 नवम्बर 1984	(1) (पृष्ठ 6,* खंड 4.1, पंक्ति 4)-"IS : 4031* को "IS :4032—1968* करें (2) (पृष्ठ 6, "*" चिह्न वाली पाद टिप्पणी—(वर्तमान पाद टिप्पणी* को निम्नलिखित करें प्रवचालित सीमेंट के रासायनिक विश्लेषण की पद्धति।	1984-11-30
19.	IS : 3906(भाग 1)—1982 हस्तचालित नैपसैक फुहारक: भाग 1 पिस्टन किस्म (तीसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3992 दि. 1985-08-24	सं. 01 दिसम्बर 1984	(1) सारणी 1 मद(4), (5) (पृष्ठ 9)] एवं (23) (पृ० 10) को संशोधित किया गया है। (2) खंड 6.3, खंड 6.12 को संशोधित किया गया है। (3) (पृष्ठ 12, खंड 6.12, नोट)—लेस शब्द के बाद "और युक्ति को निकालें" शब्द जोड़ें तथा "अपेक्षित" शब्द के पहले "और IS 7515—1982.* है" शब्द को जोड़ दिया गया है।	1984-12-31
20.	IS : 3995—1980 मग की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3428 दि. 1983-09-03	सं. 01 नवम्बर 1984	(पृष्ठ 1, खंड 3)—हटा दिया गया है।	1984-11-30
21.	IS : 4571—1977 अग्नि शमन प्रयोजनों के लिए ऐल्युमिनियम की विस्तार सीढ़ियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.आ. 3171 दि. 1980-11-15	सं. 4 अक्तूबर 1984	(पृष्ठ 6, खंड 6.4 पहला वाक्य (संशोधन संख्या 2 में)— "10000 किग्रा को "1000 किग्रा. करें	1984-10-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	IS:4717-1989 जिंक ऑक्साइड स्वप्रसंजीक प्लास्टरों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 4451 वि. 1983-12-10	सं. 01 नवम्बर, 1984	(1) नये खंडों 8 एवं 8.1 को खंड 7.3 के बाद जोड़ दिया गया है। (2) नये परिशिष्टि "एफ." को खंड ई-5.1 के बाद जोड़ दिया गया है।	1984-11-30
23.	IS:4738-1980 प्लास्टर पट्टी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 4186 वि. 1982-12-18	02 नवम्बर 1984	वर्तमान खंड 5.2 को नये से बदल दिया दिया गया है।	1 84-11-30
24.	IS:4829-1983 प्लास्टिक के सरकवां बंधकों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ 3451 वि. 1986-10-04	सं. 01 अक्तूबर 1984	(पृष्ठ 5, खंड 3.1.1.3, मद (ए) पंक्ति 3) — "3 या बेहतर" को "4 या बेहतर करें	1984 10-31
25.	IS:4904-1982 पराश्रव्य दोष संसूचन उपकरणों के मूल्यांकन के लिए ब्लॉक (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3998 वि. 1985-08-24	सं. 01 अक्तूबर 1984	(1) खंडों 3.2.2 एवं 3.5.2 को संशोधन किया गया है। (2) (पृष्ठ 17, आकृति 10)—आकृति में बायें तरफ छोटी चाप त्रिज्या के लिए "50" को "25" करें।	1984-10-31
26.	IS:5117-1969 एलपीजी के उपयोग के लिए व्यापारिक बर्नरों की विशिष्टि	एस.ओ. 1256 वि. 1970-04-04	सं. 2 नवम्बर 1934	(1) (पृष्ठ 4, खंड 5.1.3, अन्तिम पंक्ति)—"IS:5116-1969* के परिशिष्ट जे" को "परिशिष्ट बी" करें (2) (पृष्ठ 4, "*" चिह्न वाली पाद टिप्पणी) हटा दें। (3) (पृष्ठ 3, 5 एवं 6: खंड 2.1, 3.1, 4.1, 5.0, 5.1.5, 5.1.5, 5.2.1 5.2.2, 6.1, 7.1; 8.1 एवं ए-1.1) : (क) "IS : 116-1969" को IS : 5116-1977 से बदलें (ख) वर्तमान पाद टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित करें। "एलपीजी के उपयोग के लिए घरेलू और व्यापारिक उपकरणों के लिए सामान्य अपेक्षा (पहला पुनरीक्षण) (4) पृष्ठ 5, खंड 5.2.1)—निम्नलिखित को खंड : "परीक्षण प्रक्रिया परिशिष्ट बी में हैं, के अन्त में जोड़ें" (5) परिशिष्ट "ए" के बाद नये परिशिष्ट "बी" को जोड़ दिया गया है। (6) (परिशिष्ट बी के अन्त में पाद टिप्पणी)—परिशिष्ट बी के बाद निम्नलिखित पाद टिप्पणी को जोड़ें: "*" एलपीजी के उपयोग के लिए घरेलू और व्यापारिक उपकरणों के लिए सामान्य अपेक्षाएं" (पहला पुनरीक्षण)	1984-11-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	IS:5513-1976 विकेट उपकरणों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 619 दि. 1980-03-15	सं. 01 दिसम्बर 1984	वर्तमान आकृति 1 (पृष्ठ 6) को नये से बदल दिया गया है।	1984-12-31
28.	IS:6006-1983 पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए अविलेपित प्रतिबल मोचन लड़ों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	सं. 01 नवम्बर 1984	(1) (पृष्ठ 8, सारणी 2, स्तम्भ 1, दूसरी प्रविष्टि)–"9.7" को 7.9 से बदलें (2) (पृष्ठ 9, सारणी 3, खंड 2, बारहवीं प्रविष्टि)–"12.5 मिमी 7 प्लाई" के लिए "12.7 मिमी 7 प्लाई से बदलें,	1984-11-30
29.	IS:6198-1983 शिरानिक्षेपित प्रेक्षिस और आप्यायन टिम्बर द्वारा शटरों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	सं. 01 सितम्बर 1984	("अक्ष शिरानिक्षेप" खंड "चौड़ाई" के अन्तर्गत के लिये पृष्ठ 8, सारणी 3)–"2200" को "200" करें	1984-09-30
30.	IS:6581-1972 अन्तवार्तक नलियों (रबड़) की विशिष्टि	—	सं. 01 नवम्बर 1984	(1) (पृष्ठ 4, खंड 3.4)–निम्नानुसार नये खंड को जोड़ें "3.5 अन्तर्वा-तक नलियां लाल रंग की हों (2) (पृष्ठ 10, खंड 8)–निम्नानुसार नये खंड को जोड़ें "9 परीक्षण 9.1 हवा भरे पायलट सूचक गुब्बारों और अन्तर्वातिक नालों में रिसाव के कोई चिन्ह नहीं प्रदर्शित हों जबकि उसे नल स्तम्भ के 600 मिमी दाब के अन्तर्गत परीक्षित किया जाये।	1984-11-30
31.	IS 7129-1973 पोटेशियम कार्बोनेट, निर्जल की विशिष्टि	एस.ओ. 1596 दि. 1976-05-08	सं. 62 अक्तूबर 1984	(पृष्ठ 3 खंड 0.2 पंक्ति 6)–अन्त में "और फोटोग्राफी" को जोड़ें,	1984-10-31
32.	IS:7417-1982 कीट नाशक नियंत्रण उपस्करों के लिए द्रव चालित नोजलों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2148 दि. 1985-05-18	सं. 01 अक्तूबर 1984	(1) (पृष्ठ 6, खंड 4.1 (ए) (i)–"और" को "या" करें (2) (पृष्ठ 7, खंड 4.2) (ए)–"और" को "या' करें, (3) (पृष्ठ 10, खंड 10.1 (ओ))–"(9 देखें)" को "(8 देखें)" करें। (4) (पृष्ठ 10, खंड 10.1.1, दूसरी पंक्ति–"(9 देखें)" को "(8 देखें)' करें।	1984-10-3
33.	IS:7515-1982 कीट नियंत्रण उपस्करों के लिए हस्त चालित कट-ऑफ युक्ति की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2998 दि. 1985-08-24	सं. 01 अक्तूबर 1984	(1) (पृष्ठ 4, खंड 5.1 पंक्ति 2)–"17.0 मिमी² को "12.0" मिमी² करें। (2) (पृष्ठ 7 खंड 6.2, पंक्ति 1)–"में" हो सकता है को किया जाये "करें" (3) (पृष्ठ 7 खंड 6.2, दूसरा वाक्य)–"हटा दें"	1984-10-31
34.	IS:7652-1975 रक्तदाब मापी, निर्द्रव किस्म की विशिष्टि	एस.ओ. 2547 दि. 1977-03-13	सं. 06 अक्तूबर 1984	खंड 4.9 को संशोधित किया किया है।	1984-10-31
35.	IS:7996-1976 विद्युत सॉकेट रिचों के लिए ड्राइविंग स्क्वेयरों की विशिष्टि	एस.ओ. 1595 दि. 1979-05-19	सं. 02 दिसम्बर 1984	सारणी 1 को संशोधित किया गया है।	1984-12-31
36.	IS:8129-1976 चिमटो, धमनतुण्डिका धमनी, वक्रित स्कॉट नमूने वाली	एस. ओ. 3820 दि. 1979-11-24	सं. 01 अक्तूबर 1984	(1) (खंड 2 के बाद नये खंड 2.1 को जोड़ दिया गया है। (2) [पृष्ठ 1, खंड 2.1 (वर्तमान खंड] इस खंड को फिर से 2.2 की संख्या दें।	1984-10-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	IS:8384—1977 तेल द्रवयुक्त फिल्टर अवयव के फटने और खराब होने की प्रतिरोधिता के परीक्षण की पद्धति	एस.ओ. 417 दि. 1980-02-23	सं. 01 अक्तूबर 1984	खंड 5.2 के बाद नये खंडों 6 और 6.1 को जोड़ दिया गया है।	1984-10-31
38.	IS:8386—1977 तेल जल युक्त फिल्टर अवयवों की सिरे भार रेटिंग की परीक्षण पद्धति।	वही	सं. 01 अक्तूबर 1984	खंड 5.2 के बाद नये खंडों 6 और 6.1 को जोड़ दिया गया है।	1984-10-31
39.	IS:8593(भाग 1)-1977 संयंत्र और मशीनरी के लिए केन्द्रीकृत स्नेहन की सिफारिशें: भाग 1 तेल स्नेहन	एस.ओ. 2793 दि. 1980-10-18	सं. 01 दिसम्बर 1984	(पृष्ठ 1, खंड 2.3)—खंड के अन्त में "वाल्व इत्यादि" जोड़ें।	1984-12-31
40.	IS:9269-1979 द्रवयुक्त फिल्टर अवयवों एवं फिल्टरों के बाद पात के विपरीत प्रवाह लक्षणों के मूल्यांकन की परीक्षण पद्धति	एस.ओ. 3428 दि. 1983-09-03	सं. 01 अक्तूबर 1984	खंड 5.2 के बाद नये खंडों 6 और 6.1 जो जोड़ दिया गया है।	1984-10-31
41.	IS:9272(भाग 2)-1979 डिस्क रिकार्ड बनाने के उपस्कर की विशिष्टि: भाग 2 एम्प्लीफायर और लाउडस्पीकर	एस.ओ. 4451 दि. 1983-12-10	सं. 01 नवम्बर 1984	खंड 1.1 को नये से बदल दिया गया है	1984-11-30
42.	IS:9432—1980 स्वचालित वाहनों के लिए दहन स्विचों की विशिष्टि	एस.ओ. 3428 दि. 1983-09-03	सं. 01 अक्तूबर 1984	(पृष्ठ 8, खंड 7.7 अन्तिम पंक्ति)—वर्तमान सामग्री के लिए निम्नलिखित को बदलें: रहने का समय (हर स्थिति में समय)—1.0 से 2.0 सैकेन्ड	1984-10-31
43.	IS:9574—1980 कमानीदार पत्ती समुच्चयों के लिए शिकंजों की तकनीकी पूर्ति शर्तें	एस.ओ. 3281 दि. 1984-10-20	सं. 2 अक्तूबर 1984	(1) (पृष्ठ 1, शीर्षक)—वर्तमान शीर्षक के लिए निम्नलिखित को बदलें: कमानी दार पत्ती समुच्चयों के लिए क्लिपों की विशिष्टि इस मानक में आये। "शिकजो/शिकंज" को "क्लिप क्लिपों" करें जहां भी हो (2) खंड 5 के बाद नये खंड 6 और 6.1 को जोड़ दिया गया है।	1984-10-31
44.	IS:9598—1980 सूक्ष्म क्रिस्टलीय से सेल्युलोस पाउडर की विशिष्टि	एस.ओ. 3281 दि. 1984-10-20	सं. 01 अक्तूबर 1984	(1) [पृष्ठ 4, सारणी 1, क्र.सं. (2) स्तम्भ 3]—"0.2" को "0.1 से बदलें। (2) [पृष्ठ 4, सारणी 1, क्र.सं. (5) स्तम्भ 3]—"0.2" को "0.16" से बदलें, (3) [पृष्ठ 4, सारणी 1, क्र.सं. (7) स्तम्भ 3]—"15" को "10" से बदलें।	1984-10-31
45.	IS:9631-1983 आईएसओ मीटरी पेंच चूड़ियां (मी. 1 से मी 40 तक के साइज रेंज) गो और नो गो पेंच प्लग गेज एवं पेंच अवरोक प्लग गेज के प्रमापी सहायकांगों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)		सं. 01 सितम्बर 1984	(1) (पृष्ठ 1, आकृति 1)—आकृति 1 के अन्तर्गत गथनम्नलिखित को जोड़े "*यदि ग्राहक इच्छा करे तो बड़े (मेल) केन्द्र को हटा दिया जाये, (2) (पृष्ठ 3, सारणी 1)—निम्नलिखित को सारणी एक लेकिन पाद टिप्पणी एक के ऊपर के अन्तर्गत जोड़े "+ सहित", (3) (पृष्ठ 3 सारणी 1, पाद टिप्पणी (1)—"बारे में" के "ऊपर" में बदलें।	1984-09-30
46.	IS:9975(भाग 1)-1981 "0" रिंगों की विशिष्टि भाग 1 आयाम	एस.ओ. 1294 दि. 1985-03-30	सं. 1 अक्तूबर 1984	(पृष्ठ 2, 3 एवं 4, सारणी 1, स्तम्भ 3, उपशीर्षक) ±"1.80—0.03" का "1.80±0.08 से बदलें	1984-10-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47.	IS:10064–1982 कीट नियंत्रण उपस्करों के लिए प्रचालित स्प्रे नोजलों की परीक्षण पद्धति	एस.ओ. 2148 दि. 1985-05-18	सं. 01 अक्तूबर 1984	(1) (पृष्ठ 9, खंड 7.1, पंक्ति 1)– "जो" को जबकि" से बदलें। (2) (पृष्ठ 9, खंड 7.1, पंक्ति 3)– "7.1" को "6.2", से बदलें।	1984-10-31
48.	IS:10080–1982 कम्पन मशीन की विशिष्टि	--	सं. 01 नवम्बर 1984	पहले कवर पृष्ठ, पृष्ठ 1 एवं 3 शीर्षक को नये से बदल दिया गया है।	1984-11-30
49.	IS 10086–1982 सीमेंट और कंक्रीट के परीक्षणों में प्रयुक्त सांचों की विशिष्टि	एस.ओ 3992 दि. 1985-08-24	सं. 01 नवम्बर 1984	सारणी 2 के अन्तर्गत नये नोट को जोड़ दिया गया है।	1984-11-30
50.	IS:10103–1982 तेल प्रचालित प्रणालियों में प्रयुक्त फेरुल किस्म युग्मकों परीक्षण की पद्धति	एस.ओ. सं. 01 दि. 1985-06-22 एस.ओ. 2831	सं. 01 अक्तूबर 1984	खंड 5.5 के बाद नये खंड 6, 6.1 एवं 6.2 को जोड़ दिया गया है।	1984-10-31
51.	IS:10271–1982 हाइड्रोफ्लूओरिक अम्ल, जलीय की विशिष्टि	एस.ओ. 2585 दि. 1986-07-19	सं. 01 अक्तूबर 1984	(1) सारणी 1 को संशोधित किया गया है। (2) खंड ए-2.2.1, ए-2.2.4 एवं ए-5.5 को संशोधित किया गया है।	1984-10-31
52.	IS:10572–1983 पम्पों के लिए नमूने लेने की पद्धतियां	एस.ओ. 3103 दि. 1986-09-13	सं. 01 दिसम्बर 1984	खंड 5.1.1(बी) एवं खंड 5.1.2 (ए) को संशोधित किया गया है।	1984-12-31

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, और मद्रास तथा इसके शाखा कार्यालय अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गोवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

[सं. सी एम डी /13:5]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 21st February, 1990

S.O. 804.—In pursuance of clause (b) of Sub Rule (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment (s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed has/have been issued.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and title of the Indian Standard amended	No. of Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified.	No. and Date of the amendment	Brief Particulars of the Amendment	Date from which the Amendment shall have effect
1	2	3	4	5	6
1.	IS: 771 (Part 2)–1979 Specification for glazed fire-clay sanitary appliances: Part 2 Specific requirements of kitchen and laboratory sinks (second revision)	S.O. 1342 dated 1982-04-03	No. 1 Oct 1984	(Page 4, Clause 2.2(a)—Add the following new size at the appropriate place: '600 × 450 × 200 mm'	1984-10-31

1	2	3	4	5	6
2.	IS: 927–1981 Specification for fire hooks (second revision)	S.O. 1400 dated 1985-04-06	No. 1 Oct 1984	Clause 3.1 and Fig. 1 have been amended	1984-10-31
3.	IS: 948–1983 Functional requirements for water tender, type 'A' for fire brigade use (second revision)	S.O. 3328 dated 1986-09-27	No. 1 Oct 1984	(Page 4, clause 2.2 (f), col 2)– Substitute 4.50m' for '4.30m'.	1984-01-3
4.	IS : 950–1980 Functional requirements for water tender, type B for fire brigade use (second revision)	S.O. 4412 dated 1985-12-15	No. 2 Oct 1984	(Page 4, clause 2.2(f) col 2)– substitute '4 500 mm' for '4 300 mm' and '23 cm' for '26 cm'.	1984-10-31
5.	IS : 1206 (Part I)-1978 Methods for testing tar and bituminous materials: determination of viscosity Part I Industrial viscosity (first revision)		No. 1 Oct 1984	(i) (Page 39, clause 3.1.1, line 2)–Substitute 'a bath' for 'a water bath'. (ii) (Page 40, Fig. 1)– Substitute 'Bath' for (water bath', (iii) (Page 41, clause 3.1.1 (a), line 1)–Substitute 'the bath' for 'the water bath'. (iv) Existing item of (c) of clause 3.1.1 has been substituted by a new one (v) Clause 3.2.1 has been amended (vi) A new sub-clause 3.5.5 has been added after clause 3.5.4.	1984-01-31
6.	IS: 1342–1978 Specification for oil pressure stoves (third revision)	S.O. 3450 dated 1982-10-02	No. 3 Oct 1984	Clause 13.2 has been amended	1984-10-31
7.	IS: 1367 (Part III)–1979 Technical supply conditions for threaded steel fasteners: Part 3 Mechanical properties and test methods for bolts, screws and studs with full loadability (second revision)	S.O. 1059 dated 198-03-31	No. 1 Nov 1984	(i) Page 5, table 5, test programme B) – Delete blank dotts 'O' against wedge loading test. (ii) (Page 5, foot-note to table 5 with '*' mark, first line) Substitute ' ' for 'V'. (iii) (Page 9, clause 7.3, line 5) Substitute '30 kg' for '300 g'.	1984-01-31
8.	IS : 1459–1974 Specification for kerosine (second revision)	S.O. 987 dated 1976-03-06	No. 2 Nov 1984	Existing foot-note with '—' mark of table 1 (Page 4) has been substituted by a new one.	1984-11-30

1	2	3	4	5	6
9.	IS : 1660 (Pt I)-1982 Specification for wrought aluminium utensils Part 1 Cooking, table serving, storing and baking utensils (second revision)	S.O. 3994 dated 1985-08-24	No. 2 Nov 1984	Existing clause 9.1 has been substituted by a new one	1984-11-30
10.	IS : 1739-1978 Specification for cotton healds for use in cotton looms (second revision)	S.O. 2272 dated 1981-08-29	No. 1 Oct 1984	Existing Notes 1 and 2 at page 6 have been substituted by new ones	1934-10-31
11.	IS : 2485-1979 Specification for drop forged sockets for wire ropes for general engineering purposes (first revision)	S.O. 358 dated 1983-01-15	No. 1 Dec 1984	Existing Notes of table 1 (Page 3) and table 2 (Page 4) have been substituted by new ones	1984-12-31
12.	IS : 2665-1964 Specification for cadmium copper wire for telegraph and telephone purposes	S.O. 2297 dated 1964-07-04	No. 3 Dec 1984	Table 1 has been amended	1984-12-31
13.	IS : 2686—1977-Specification for cinder aggregates for use in line concrete (first revision)	S.O. 216 dated 1980-08-09	No. 1 Nov 1984	Title on first cover page, pages 1 and 3 has been substituted by a new one	1984-11-30
14.	IS : 2745-1983 Specification for non-metal helmet for firemen and civil defence personnel (second revision)	S.O. 3328 dated 1986-09-27	No. 1 Dec 1984	(i) (Page 4, clause 2.3) Delete. (ii) Clauses 2.8.3, 4.1, 5.3.3 and C-1.1. have been amended.	1984-12-31
15.	IS : 2796-1971 Specification for motor gasolines (first revision)	S.O. 3255 dated 1973-11-24	No. 2 Nov 1984	(i) (Page 3, clause 1.1, line 2 —Substitute '87' for '83'. (ii) (Page 5, table 1, col 3 under heading 'requirement')—Substitute '87 Octane' for '83 Octane'. (iii) [(Page 5, table 1, col 3, Sl. No. (v)]—Substitute '87 for '83'.	1984-11-30
16.	IS: 3148—1983 Specification for metallic slide fasteners, general purpose. (third revision)	—	No. 1 Oct 1984	(Page 4, clause 3.1.1.3, item(a) line 3)—Substitute '4 or better, for '3 or better'.	1984-10-31

1	2	3	4	5	6
17.	IS : 3375–1974 Specification for bobbin cases for sewing machines for household purposes (first revision)	S.O. 3279 dated 1976-09-11	No. 2 Nov 1984	(i) Existing clause 1 has been substituted by a new one (ii) A new Note has been added under clause 5.2	1984-11-30
18.	IS: 3466–1967 Specification for masonry cement (first revision)	S.O. 287 dated 1968-01-20	No. 2 Nov 1984	(i) Page 6 calause 4.1, line 4) Substitute 'IS: 4032–1968*' for 'IS: 4031*'. (ii) (Page 6, footnote with '*' mark)—Substitute the following for the existing footnote: '* Method of chemical analysis of hydraulic eement'.	1984-11-30
19.	IS: 3906 (Pt I)–1982 Specification for hand-operated knapsack sprayer : Part 1 Piston type (third revision)	S.O. 3992 dated 1985-08-24	No. 1 Dec 1984	(i) Table 1 items (iv). (v) (Page 9) and (xxiii) (Page 10) have been amended (ii) Clauses 6.3 and 6.12 have been amended. (iii) (Page 13, clause 6.12, Note)—Add the words 'and cut off device' after the word 'lance' and add 'and IS : 7515–1982* are' before the word 'required'.	1984-12-31
20.	IS: 3995—1980 Specification for mugs (first revision)	S.O. 34 28 dated 1983-09-03	No. 1 Nov 1984	(Page 1, clause 2)—Delete.	1984-11-30
21.	IS: 4571—1977 Specification for aluminium extension ladders for fire brigade use (first revision)	S.O. 3171 dated 1980-11-15	No. 4 Oct 1984	(Page 6 clause 6.4, first sentence (in Amendment No. 2*) Substitute '1 000 kgf.' for '10000 kgf.'	1984-10-31
22.	IS: 4717—1980 Specification for zinc oxide self-adhesive plaster (first revision)	S.O. 4451 dated 1983-12-10	No. 1 Nov 1984	(i) New clauses 8 and 8.1 have been added after clause 7.3 (ii) New appendix 'F' has been added after clause E-5.1	1984-11-30
23.	IS: 4738—1980 Specification for plaster of paris bandage (first revision),	S.O. 4186 dated 1982-12-18	No. 2 Nov 1984	Existing clause 5.2 has been substituted by a new one	1984-11-30

1	2	3	4	5	6
24.	IS: 4829—1983 Specification for plastic slide fasteners (first revision)	S.O. 3451 dated 1986-10-04	No. 1 Oct 1984	[Page 5, clause 3.1.1.3, item a line 3] -- Substitute '4 of better' for '3 or better'.	1984-10-31
25.	IS: 4909—1982 Calibration block for evaluation of ultrasonic flaw detection equipment (second revision)	S.O. 3998 dated 1985-08-24	No. 1 Oct 1984	(i) Clauses 3.2.2 and 3.5.2 have been amended (ii) (Page 17, Fig. 10)– Substitute '25' for '50' for the smaller arc radius shown in left hand side of the figure.	1984-10-31
26.	IS: 5117—1969 Specification for commercial boiling burners for use with LPG	S.O. 1236 dated 1970-04-04	No. 2 Nov 1984	(i) (Page 4, cause 5.1.3, last line)—Substitute 'Appendix B' for 'appendix J of IS: 5116—1969*'. (ii) (Page 4, foot-note with '*' mark)–Delete. (iii) (Pages 3,5 and 6: clauses 2.1, 3.1, 4.1, 5.0, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 6.1, 7.1, 8.1 and A-1.1): (a) Substitute 'IS: 5116—1977' for 'IS: 5116–1969'. (b) Substitute the following for the existing foot-notes: 'General requirements for domestic and commercial equipment for use with LPG (first revision)'. (iv) (Page 5, clause 5.2.1)– Add the following at the end of the clause: 'the procedure of test is laid down in appendix B'. (v) New Appendix 'B' has been added after Appendix 'A' (vi) (Footnote at the end of Appendix B)–Add the following footnote at the end of Appendix B: '*General requirements for domestic and commercial equipment for use with LPG (first revision)'.	1984-11-30

1	2	3	4	5	6
27.	IS: 5513–1976 Specification for vicat apparatus (first revision)	S.O. 619 dated 1980-03-15	No. 1 Dec. 1984	Existing Fig. 1 (Page 6) has been substituted by a new one	1984-12-31
28.	IS: 6006–1983 Specification for uncoated stress relieved strand for prestressed concrete (first revision)	—	No. 1 Nov. 1984	(i) (Page 8, Table 2, col. 3, 2nd entry)–Substitute '7.9' for '9.7'. (ii) (Page 9, Table 3, col 2, 12th entry) Substitute '12.7 mm 7 ply for '12.5 mm 7-ply'.	1984-11-30
29.	IS: 6198–1983 Specification for ledged braced and battened timber door shutters (first revision)	—	No. 1 Sep. 1984	(Page 8, Table 3, for 'Middle Ledge', under col 'Width')–, Substitute '200' for '2 200'.	1984-09-30
30.	IS: 6581–1972 Specification for endotracheal tubes (rubber)	—	No. 1 Nov. 1984	(i) (Page 4, clause 3.4)– Add a new clause as follows: '3.5 the endotracheal tubes shall be red in colour.' (ii) (Page 10, clause 8)– Add new clause as follows: '9. TEST 9.1 The air inflated pilot balloon and endotracheal tube shall not show any sign on leakage when tested under a pressure of 600 mm of water column.'	1984-11-30
31.	IS: 7129–1973 Specification for potassium carbonate, anhydrous	S.O. 1596 dated 1976-05-08	No.2 Oct. 1984	(Page 3, clause 0.2, line 5)— Add at the end 'and photography'.	1984-10-31
32.	IS: 7417–1982 Specification for hydraulic spray nozzles for pest control equipment (first revision)	S.O. 2148 dated 1985-05-18	No. 1 Oct. 1984	(i) [(Page 6, clause 4.1(a)(i)] Substitute 'or' for 'and'. (ii) (Page 7, clause 4.2 (a) – Substitute 'or' for 'and'. (iii) [Page 10, clause 10.1 (b)] Substitute '(see 8)' for '(see 9). (iv) (Page 10, clause 10.1.1, second line;–Substitute '(see 8)' for '(see 9)'.	1984-10-31

1	2	3	4	5	6
33.	IS: 7515–1982 Specification for hand-operated cut-off device for pest control equipment (first revision)	S.O. 3998 dated 1985-08-24	No. 1 Oct. 1984	(i) (Page 4, clause 5.1 line 2) Substitute '12-0' mm' for '17.0 mm'. (ii) (Page 7, clause 6.2, line 1) Substitute 'May' for 'shall". (iii) (Page 7, clause 6.2, second sentence)- Delete.	1984-10-31
34.	IS: 7652–1975 Specification for sphygmomanometer, aneroid type	S.O. 2547 dated 1977-08-13	No. 6 Oct. 1984	Clause 4.9 has been amended	1984-10-31
35.	IS: 7996-1976 Specification for driving squares for power socket wrenches	S.O. 1595 dated 1979-05-19	No. 2 Dec. 1984	Table 1 has been amended	1984-12-31
36.	IS: 8129–1976 Specification for forceps, tonsil artery, curved Scott's pattern	S.O. 3820 dated 1979-11-24	No. 1 Oct. 1984	(i) A new clause 2.1 has been added after clause 2 (ii) (Page 1, clause 2.1 (existing clause))— Renumber this clause as 2.2.	1984-10-31
37.	IS: 8384–1977 Method of test for collapse/burst resistance of oil hydraulic filter elements.	S.O. 417 dated 1980-02-30	No. 1 Oct. 1984	A new clauses 6 and 6.1 have been added after clause 5.2	1984-10-31
38.	IS: 8386–1977 Method of test for end-load rating of oil hydraulic filter elements	-do-	No. 1 Oct. 1984	New clauses 6 and 6.1 have been added after clause 25.	1984-10-31
39.	IS: 8593 (Part 1) –1977 Recommendations for centralised lubrication as applied to plant and machinery; Part I Oil lubrication	S.O. 2793 dated 1980-10-18	No. 1 Dec. 1984	(Page 1, clause 2.3)–Add 'valve etc.' at the end of the clause.	1984-12-31
40.	IS: 9269–1979 Method of test for evaluation of pressure drop versus flow characteristics of hydraulic filter elements and filters	S.O. 3428 1983-07-03	No. 1 Oct. 1984	New clauses 6 and 6.1 have been added after clause 5.2	1984-10-31
41.	IS: 9272 (Part 2)–1979 Specification for disk record playing equipment Part 2 Amplifiers and loudspeakers	S.O. 4451 dated 1983-12-10	No. 1 Nov. 1984	Clause 1.1 has been substituted by a new one	1984-11-30

1	2	3	4	5	6
42.	IS: 9432-1980 Specification for ignition switches for automobiles	S.O. 3428 dated 1983-09-03	No. 1 Oct 1984	(Page 8, clause 7.7 last line)– Substitute the following for the existing matter: 'Dwell time (time in each position)–1.0 to 2.0 seconds.'	1984-10-31
43.	IS: 9574–1980 Technical supply conditions for clamps for leaf spring assemblies	S.O 3281 dated 1984-10-20	No. 2 Oct 1984	(i) (Page 1, title)–Substitute the following for the existing title : Indian Standard Specification for Clips for Leaf Spring Assemblies' Substitute 'clip/clips' for 'clamp/clamps' wherever appeared in this standard. (ii) New Clauses 6 and 6.1 have been added after clause 5.	1984-10-31
44.	IS: 9598–1980 Specification for microcrystalline cellulose powder	S.O. 3281 dt. 1984-10-20	No. 1 Oct 1984	(i) (Page 4, Table 1, S.No. (ii), col 3) — Substitute '0.1' for '0.2'. (ii) (Page 4, Table 1, S.No. (v) col 3)— Substitute '0.16' for '0.2'. (iii) (Page 4, Table 1, S.No. (vii) col. 3—substitute '10' for '15'.	1984-10-31
45.	IS: 9631–1983 Specification for gauging members for GO and No Go screw plug gauges and screw check Plug gauges for iso metric screw threads (size range from mi up to and including m 40) (first revision)	—	No. 1 Sep 1984	(i) (Page 1, Fig. 1)– Add the following under Fig. 1 : '* If desired by the customer, male centre shall be removed.' (ii) (Page 3, Table 1)— Add the following under table 1 but above foot-note 1. 'Including'. (iii) (Page 3, Table 1, footnote 1) substitute 'above' for 'about'	1984-09-30
46.	IS: 9975 (Pt 1)–1981 Specification for 'O'. rings : Part I dimensions	S.O. 1294 Sated 1985 03 30	No. 1 Oct 1984	(Page 2, 3 and 4, (Table 1, col. 3, Subheading)– Substitute '1.80±0.08' for '1.80±0.03'.	1984-10-31
47.	IS: 10064–1982 Method of tests for hydraulic spray nozzles for pest control equipment	S.O. 2148 dated 1985-05-18	No. 1 Oct 1984	(i) (Page 9, clause 7.1 line 1) Substitute 'while' for 'which'. (ii) (Page 9, clause 7.1, line 3) Substitute '6.2' for '7.1'	1984-10-11

1	2	3	4	5	6
48.	IS: 10080-1982 Specification for vibration machine		No. 1 Nov 1984	Title on first cover page, pages 1 and 3 have been substituted by new ones	1984-11-30
49.	IS: 10086-1982 Specification for moulds for use in tests of cement and concrete	S.O. 3992 dated 1985-08-24	No. 1 Nov 1984	New note has been added under Table 2	1984-11-30
50.	IS: 10103-1982 Method of test for ferrule type couplings used in oil hydraulic systems	S.O. 2831 dated 1985-06-22	No. 1 Oct 1984	New clauses 6, 6.1 and 6.2 have been added after clauses 5.5	1984-10-31
51.	IS: 10271-1982 Specification for hydrofluoric acid, aqueous	S.O. 2585 dated 1986-07-19	No. 1 Oct 1984	(i) Table -1 has been amended (ii) Clauses A-2.2.1, A-2.2.4 and A-5.5 have been amended.	1984-10-31
52.	IS: 10572-1983 Methods of sampling for pumps	S.O. 3103 dated 1986-09-13	No. 1 Dec 1984	Clauses 5.1.1 (b) and 5.1.2 (a) have been amended	1984-12-31

Copies of these amendments are available with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and from Regional Offices:—Bombay, Calcutta, Madras and Chandigarh and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Patna, and Trivandram.

[No. CMD/13 : 5]

का. आ. 805—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड "ख" के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गए मानक(कों) में संशोधन किया गया है/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	गजट अधिसूचना की संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक का निर्धारण अधिसूचित हुआ था	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	IS : 251–1982 मांस ऐग, तकनीकी की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 3998 दिनांक 1985-08-24	सं. 1 मार्च 1986	खंड 3.3 और 3.3.1 का वर्तमान सामग्रियों की जगह नई सामग्री रखी गई है	1986-03-31
2.	IS : 269–1976 साधारण और अल्प ताप पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	---	संख्या 4 सितम्बर 1985	i) खंड 0.5 और 9.2 की जगह नये खंड रखे गए हैं। ii) खंड 9.1 का संशोधन किया गया है। iii) खंड 12.2 के बाद नया परिशिष्ट "क" जोड़ा गया है।	1985-09-30
3.	IS : 455–1976 पोर्टलैंड धातुमल सीमेंट की विशिष्टि	---	संख्या 3 सितम्बर 1985	i) खंड 0.7 और 8.2 की जगह नए खंड रखे गये हैं। ii) खंड 8.1 का संशोधन किया गया है। iii) खंड 11.2 के बाद नया परिशिष्ट "क" जोड़ा गया है।	1985-09-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	IS: 458–1971 कंक्रीट पाइपों (प्रबलन सहित और प्रबलन रहित) की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 2 मार्च 1986	(i) खंड 4 3 के बाद नया नोट जोड़ा गया है। (ii) पृष्ठ 6 के अन्त में "§६" और "§§" चिह्न सामग्री नई पाद टिप्पणी जोड़ी गई है।	1986-03-31
5.	IS: 789–1971 ड्राइंग की जलसह काली स्याही की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	--	संख्या 1 जनवरी 1986	(i) वर्तमान खंड 3 10 की जगह नया खंड रखा गया है। (ii) पृष्ठ 5, खंड 4.2 (घ) (-"और निविष" शब्द हटा दें। (ii) (घ) के बाद नई सामग्री (ङ) जोड़ी गई है।	1986-01-31
6.	IS : 797–1982 रसायन उद्योगों के लिए सामान्य लवण (तीसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2786 दि. 1986-08-09	संख्या 1 नवम्बर 1985	खंड 1 1 की जगह नया खंड रखा गया है।	1985-11-30
7.	IS : 1011–1981 बिस्कुट की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 322 दि. 1985-01-06	संख्या 2 अक्तूबर 1985	(i) पृष्ठ 9, सारणी 1, क्रम संख्या (iii) (कालम 3)–"1.0" की जगह "1.5" करें।	1985-11-31
8.	IS: 1320–1981 नानवाई खमीर की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 4412 दि. 1985-12-15	संख्या 1 फरवरी 1986	(पृष्ठ 16 खंड क-1.5, पंक्ति 2)–"अधिक" की जगह "लगभग" करें।	1986-02-28
9.	IS : 1448 (भाग 9)-1960 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियां (भाग 9) सीटेन संख्या	--	संख्या 1 जनवरी 1986	खंड 6-1-14 के बाद नया खंड 6-1-15 जोड़ा गया है।	1986-01-31
10.	IS : 1547–1985 शिशु दुग्ध आहार की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	--	संख्या 1 अक्तूबर 1985	(पृष्ठ 9 सारणी 2) (क) क्रम संख्या, (12), स्तम्भ 4–"(5.75)" की जगह "(5.00)" पढ़ें। (ख) क्रमसंख्या (14), स्तम्भ 4–"1.14" की जगह "0.14" पढ़ें।	1985-10-31
11.	IS : 1551–1976 टाइपराइटरों के लिए कार्बन कागज की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 3823 दि. 1979-11-24	संख्या 4 दिसम्बर 1985	(पृष्ठ 4, खंड 4.2, लाइन 3)-"टाइप 2" की जगह "टाइप 1 अथवा टाइप 2" करें।	1985-12-31
12.	IS : 1592–1980 एस्बस्टॉस सीमेंट की दाब पाइपों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 2891 दि. 1986-08-16	संख्या 1 जनवरी 1986	खंड 4.4.1 की अनौपचारिक सारणी का संशोधन किया गया है।	1986-01-31
13.	IS : 1656–1985 दुग्ध और अनाज आधारित छुड़ाऊ आहारों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	--	संख्या 1 अक्तूबर 1985	(i) (पृष्ठ 6, खंड 4.1, पंक्ति 6)–"यदि" की जगह "यह" पढ़ें। (ii) (पृष्ठ 7, सारणी 1) : (क) क्रम संख्या (8), स्तम्भ 3–"35.0" की जगह "350" पढ़ें।	1985-01-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(ख) क्रम संख्या (14), स्तम्भ 3-"5" की जगह "200" पढ़ें । (ग) क्रम संख्या (14), स्तम्भ 4-"200" की जगह "—" पढ़ें ।	
15.	IS : 2243-1971 बम्भा चक्र की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 1853 दि. 1974-07-27	संख्या 2 जनवरी 1986	(i) पृष्ठ 5, खंड 4.3.2, सारणी, अन्तिम स्तम्भ पंक्ति 1)—"0.049 28" की जगह "0.049 29" करें । (ii) खंड 6 का संशोधन किया गया है । (iii) खंड 8.2 की सारणी के अंत में नई टिप्पणी जोड़ी गई है ।	1986-01-31
16.	IS : 2373-1981 पानी के मीटरों (बल्क टाइप) का विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एस—	सं. 2 अक्तूबर 1985	(i) खंड 42.1 और 4.2.2 का संशोधन किया गया है । (ii) पादटिप्पणी (पृष्ठ 7) की जगह नई पाद टिप्पणी रखी गई है ।	1985-10-31
17.	IS : 2494-1974 औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बील्वे टों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 1596 दिनांक 1979-05-19	सं. 5 नवम्बर 1985	खंड 5.2.1 के बाद नया खंड 5.2.1.1 जोड़ा गया है ।	1985-11-30
18.	IS : 2594-1977 धातु काट आरी के फल की विशिष्टि	एस.ओ. 3171 दिनांक 1980-11-15	सं. 3 दिसम्बर 1985	खंड 3.1 (पृष्ठ 2) और और 3.2 (पृष्ठ 3) की अनौपचारिक सारणी का संशोधन किया गया है ।	1985-1[illegible]-31
19.	IS : 2745-1983 फायर मैनों और नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों के लिए अधात्वीय हेलमेटों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3338 दिनांक 1986-09-27	सं. 2 अक्तूबर 1985	(i) पृष्ठ 7, खंड 9.1(ख)—10 ± 2°C" को जगह "10 ± 2°C" करें । (ii) (पृष्ठ 8, खंड 9.1.1 पंक्ति 2)—"न तो" की जगह "कोई नहीं" करें । (iii) (पृष्ठ 8, खंड 9.4 पंक्ति 1, खंड 9.5, पंक्ति 1 खंड 9.6, पंक्ति 3)—"हेलमेट" शब्द के बाद "कवच" शब्द जोड़ें । (iv) (पृष्ठ 12, खंड ङ-2.1, पंक्ति 1)—"नमूने" शब्द के बाद का "पूरा कवच" शब्द जोड़ दें ।	1985-10-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	IS : 2826–1980 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए तांबा और तांबा मिश्र धातु छड़ और सरियों के आयाम	एस.ओ. 1593 दि. 1984-05-12	दि. स. 1 दिसम्बर 1985	सारणी 1,2,3 और 4 का संशोधन किया गया है।	1985-12-31
21.	IS : 2876–1978 3 जबड़ों और 4 जबड़ों वाले स्क्रोल से प्रचालित स्वतः केन्द्रण खराद चकों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ 2271 दि 1981-08-29	सं 3 दिसम्बर 1985	खंड 4.1 की सारणी के नीचे नई टिप्पणी जोड़ी गई है।	1985-[illegible]
22.	IS : 2920–1979 छालों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ. 232[illegible] दि. 1982-07-03	सं. 1 फरवरी 1986	(i) खंड 22 की जगह नया खंड रखा गया है। (ii) " " चिह्न वाली वर्तमान पादटिप्पणी (पृष्ठ 3) की जगह नई पादटिप्पणी रखी गई है। (iii) खंड 3.3 का संशोधन किया गया है।	1986-0[illegible]-28
23.	IS : 2980–1979 बिना वाष्प वाले स्टोवों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2323 दि. 1982-07-03	सं. 1 फरवरी 1985	(i) खंड 3.1 और 54.1 का संशोधन किया गया है। (ii) खंड 5.10.1 के बाद अतिरिक्त खंड 6 जोड़ा गया है और बाद के खंड का पुनः सख्यांकित किया गया है।	1985-02-29
24.	IS : 3063–1972 काबलों ढिबरियों और पेंचों के लिए एक कॉयल, आयताकार काट वाले कमानी वॉशरों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 115 दि. 1975-01-11	सं. 2 दिसम्बर 1985	(i) (पृष्ठ 1, खंड 6, पंक्ति 3)—"जस्तीकृत" की जगह "विद्युत जस्तीकृत" रखें। (ii) (पृष्ठ 2, सारणी 1, "टाइप ख" की आकृति) "H_2—3'5" हटा दें। (iii) सारणी 1 (पृष्ठ 2) का संशोधन किया गया है।	1985-12-31
25.	IS : 3196–1982 अल्प दाब द्रवित गैसों के लिए 5 लिटर पानी से अधिक धारिता वाले वेल्ड किए हुए अल्प कार्बन इस्पात गैस सिलिंडर की विशिष्टि	एस.ओ. 4276 दि. 1986-12-27	स. 4 मार्च 1986	(i) खंड 3.1.1 की जगह नया खंड रखा गया है। (ii) खंड 5.2.1 और 171.1 का संशोधन किया गया है।	1986-02-31
26.	IS : 3284–1984 बीज संवारने के लिए आर्गेनो पारा-दोष युक्त निर्मितियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	स. 1 अक्तूबर 1985	(i) [पृष्ठ 4, सारणी 1, क्रमसंख्या (iii), स्तम्भ 2]—"5.0" की जगह "50" रखें।	1985-10-31
27.	IS : 3450–1976 हाथ की लिखाई में प्रयुक्त कार्बन कागजों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3823 दि. 1979-11-24	स. 2 मार्च 1986	(i) (पृष्ठ 4, खंड 4.2, पंक्ति 2)—"टाइप 2" की जगह "टाइप 2 अथवा टाइप 1" रखें।	1986-03-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	IS:3466–1967 चिनाई सीमेंट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ( ) ग्रय,	एस.ग्रो. 287 दि. 1968-01-20	सं. 3 सितम्बर 1985	(i) खंड 0-4-10.1 ग्रौर 10.2 की जगह नया खण्ड रखा गया है। (ii) खंड 10.2.1 के बाद नई परिशिष्ट "क" जोड़ी गई है।	1985-09-30
29.	IS : 3829–1978 क्षैतिज बेलनाकार ग्रौर क्षैतिज ग्रायताकार भाप निर्जमकों, दाबनुमा (ग्रस्पतालों ग्रौर भेषज प्रयोग के लिए) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ग्रो. 2863 दि. 1981-10-17	सं. 3 दिसम्बर 1985	(i) (पदनाम)—"मानक में जहां भी IS : 3829–1978" हो हो वहां उसकी जगह IS : 3829 (भाग 1) –1978 करें। (ii) ग्रावरण पृष्ठ 1 ग्रौर 3 पर दिए गए शीर्षक की जगह नया शीर्षक रखा गया है। (iii) खंड 0.10 ग्रौर 7.18.1 के बाद क्रमश: नये खंड 0.11, 7.1, 9.7, 7.1.10 नये खंड जोड़े गए हैं। (iv) (पृष्ठ 4, खंड 1.1, पंक्ति 1)—"ग्र-स्वचालित" ग्रौर "दाब" के मध्य निम्नलिखित शब्द जोड़ें।	1985-12-31
30.	IS : 4021–1983 लकड़ी के दरवाजे, खिड़की ग्रौर रोशनदान के फ्रेमों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ग्रो. 4149 दि. 1986-12-13	संख्या 1 दिसम्बर 1985	(i) (पृष्ठ 3, खंड 0.3, पंक्ति 2)—"1967" की जगह "1976" करें। (ii) वर्तमान ग्राकृति 1 (पृष्ठ 5) की जगह नई ग्राकृति रखी गई है। (iii) [पृष्ठ 9, सारणी 2, स्तम्भ 3 में, क्रमसंख्या (i) के सामने]—"2 में 1", की जगह "20 में 1" करें।	1985-12-31
31.	IS :4142–1967 डिस्कस की विशिष्टि	एस.ओ. 3333 दि. 1967-09-23	संख्या 3 ग्रक्तूबर 1985	(i) (पृष्ठ 4, सारणी 1, साइज 1, पांचवीं प्रविष्टि)—"12 से 12.2" की जगह "12 से 12.6" करें।	1985-10-3
32.	IS : 4151–1983 स्कूटर और मोटर साइकिल सवारों के लिए सुरक्षा हेलमेट की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3451 दि.* 1986-10-04	संख्या 1 फरवरी 1985	(i) खंड 2.4, 3, 2, 4.4, 5.3.3, 10.1, और 10.1 (क) का संशोधन किया गया है। (ii) (पृष्ठ 5, खंड 9.1) हटा दें।	1985-02-25

* भा.मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजनों के लिए यह संशोधन 1986-07-01 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(iii) (पृष्ठ 9, खंड 9.1)" : 9625-1980* की जगह "9695-1980* करें ।	
33.	IS : 4147-1977 टाइपराइटर के सूती रिबनों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2064 दि. 1981-08-01	*संख्या 1 जनवरी 1986	खंड 43 के बाद नया खंड 4.4 जोड़ा गया है और बाद के खंड को तदनुसार पुनः संख्यांकित किया गया है ।	1981-06-31
34.	IS : 4308-1982 अग्निशामन के लिए शुष्क पाउडर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस!ओ. 3994-दि 1985-08-24	संख्या 2 अगस्त 1984	(i) खंड 3.2 और 1.1 का संशोधन किया गया है ।	1984-08-31
				(ii) खंड 4.1 के बाद नया खंड 4.2 जोड़ा गया है ।	
				(iii) "*" चिह्न वाली वर्तमान पादटिप्पणी (पृष्ठ 9) की जगह नई पादटिप्पणी रखी गई है।	
35.	IS : 4467 (भाग 3)-1980 कैरामैल की विशिष्टि भाग 3 अमोनिया सल्फाइट प्रक्रिया (पहला पुनरीक्षण)	एसओ. 3992 वि. 1985-08-24	संख्या 1 अक्तूबर 1985	(i) (पृष्ठ 6, सारणी 2, स्तम्भ 2, क्रमसंख्या (ii) के सामने)- "अधि" की जगह "न्यू" करें ।	1985-10-31
36.	IS : 4510-1978 क्षैतिज बेलनाकार उच्च गति वाले भाप निर्जमकों, दाब टाइप की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2508 वि. 1982-07-17	संख्या 2 फरवरी 1986	(i) (पदनाम)—मानक में जहां भी "IS: 4510-1978" आय, वहां उसकी जगह IS : 3829 (भाग 2)-1978" करें ।	1986-06-28
				(ii) आवरण पृष्ठ 1 और 3 में दिए गए शीर्षक की जगह नया शीर्षक रखा गया गया है ।	
				(iii) खंड 1.1 (पृष्ठ 4 और) का संशोधन किया गया है ।	
				(iv) खंड 7.18 के बाद नया खंड 7.1.9 और 7.1 9.1 जोड़ा गया है।	
37.	IS : 4654-1974 पैराफिन मोम की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3494 दि. 1976-10-02	संख्या 4 मार्च 1986	वर्तमान खंड 4.1 की जगह नया खंड रखा गया है।	1986-03-31

* भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजनों के लिए यह संशोधन 1986-09-16 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	IS : 4849—1968 वर्षा मापी की विशिष्टि	एस.ओ. 1455 दि. 1969-04-19	संख्या 4 अक्तूबर 1985	खंड 5.1 का संशोधन किया गया है।	1985-10-31
39.	IS : 5424—1969 विद्युतीय प्रयोजनों के लिए रबड़ की चटाइयों की विशिष्टि	एस.ओ. 1236 दि. 1970-04-04	संख्या 3 मार्च 1986	यह संशोधन संख्या 3 संशोधन संख्या 2 को अधिक्रमित करता है। (i) (पृष्ठ 4, खंड 12.1 पंक्ति 2)— "6.5 मिमी" से कम नहीं" की जगह "6.5—0.05 मिमी" करें।	1986-03-31
40	IS : 6747—1981 क्यूंडगम और बबलगम की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3103 दि. 1986-09-13	संख्या 2 अक्तूबर 1985	(i) (पृष्ठ 6, खंड 5.2.2) —"किनजुगर" "0.1 प्रतिशत की जगह 1.0 प्रतिशत करें। (ii) पृष्ठ 6 खण्ड 5.2.37 किम सुगर की जगह आइसिंग —सुगर करें (iii) (पृष्ठ 8, परिशिष्ट "क" क्रमसंख्या 26) हटा दें।	1985-10-31
41.	IS : 7324—1983 बिजली हाइड्रोमीटर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 297 दि. 1987-01-31	संख्या 1 नवम्बर 1985	(i) खंड 7 के बाद नया खंड 7.0 जोड़ा गया है। (ii) (पृष्ठ 7, आकृति 1क)—"335 न्यू" की जगह "335 अधि" करें। (iii) (पृष्ठ 8, सारणी 2, क्रमसंख्या 1 स्तम्भ 2)— "न्यू" की जगह "अधि" करें।	1985-11-31
42	IS : 7407(भाग 1 से 3)—1980 तिरपाल के लिए पटसन के धागे की विशिष्टि	एस.ओ. 3274 दि. 1983-08-20	*संख्या 1 मई 1986	वर्तमान खंड 0.2 की जगह नया खंड रखा गया है।	1986-05-31 भा मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजनों के लि यह संशोधन 1986-10-16 से लागू होगा।
43.	IS: 7532—1974 मृदु साबुन की विशिष्टि	एस.ओ. 1892 दि. 1977-06-11	संख्या 2 मार्च 1986	वर्तमान खंड 0.3 की जगह नया खंड रखा गया है।	1986-03-31
44.	IS: 7587 (भाग 1)—1975 खानों में वाइंडिंग के लिए केज निलंबन गियर की विशिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं	एस.ओ. 1892 दि. 1977-06-11	संख्या 2 मार्च 1986	पृष्ठ 8 की वर्तमान आकृति 2 की जगह नई आकृति रखी गई है।	1986-03-31
45.	IS: 8042—1978 सफेद पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2274 दि. 1981-07-29	संख्या 2 सितम्बर, 1985	(i) वर्तमान खंड 0.4 और 8.2 की जगह नए खंड रखे गए हैं। (ii) खंड 8.1 का संशोधन किया गया है। (iii) खंड क-3.1 के बाद नया परिशिष्ट "ख" जोड़ा गया है।	1985-09-30

* भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजनों के लिए यह संशोधन 1986-12-01 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.	IS: 8074—1983 मोनोक्रोटोफास अल विलेय सान्द्रों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3975 दि. 1986-11-29	संख्या 1 मार्च 1986	(1) आवरण पृष्ठ और पृष्ठ 1 तथा 3 पर दिए शीर्षक की जगह नया शीर्षक रखा गया है। (2) खंड 0.2, 0.3 और 1.1, 2.3.3 और 5.2 का संशोधन किया गया है। (3) टिप्पणी सहित खंड 4.1 की जगह नया खंड रखा गया है। (4) पृष्ठ 5 पर "+" चिह्न वाली पाद टिप्पणी जोड़ी गई है।	1986-03-31
47.	IS: 812—1976 उच्च सामर्थ्य साधारण पोर्टलैंड सीमेंट	एस. ओ. 3820 दि. 1979-11-24	संख्या 3 सितम्बर 1985	(1) खंड 0.3 और 8.2 की जगह नए खंड रखे गए हैं। (2) खंड 8.1 का संशोधन किया गया है। (3) खंड 11.2 के बाद नया परिशिष्ट "क" जोड़ा गया है।	1985-09-30
48.	IS: 8112—1976 उच्च सामर्थ्य साधारण पोर्टलैंड सीमेंट	एस. ओ. 3820 दि. 1979-11-24	संख्या 4 अक्तूबर 1985	(1) खंड 5.2.1 और 5.2.1.1 की जगह नए खंड रखे गए हैं। (2) (पृष्ठ 6, खंड 5.2.2)—हटा दें। (3) (पृष्ठ 8, खंड 9.1.1 पंक्ति 1)—"एक सप्ताह" की जगह (3 सप्ताह) रखें।	1985-10-31
49.	IS: 8213—1983 कृषि ट्रेलर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 2786 दि. 1986-08-09	संख्या 1 जून 1986	(1) पृष्ठ 8, खंड 7.11, पंक्ति 2)—"20" की जगह "15" रखें।	1986-06-30
50.	IS: 8336—1977 ताप वैद्युत पाइरोमीटर की विशिष्टि	एस. ओ. 417 दि. 1980-02-23	संख्या 1 नवम्बर 1985	(1) वर्तमान खंड 0.2 और 5.3.2 की जगह नए खंड रखे गए हैं। (2) खंड 0.3, 5.1.5, 5.1.1.4, 5.2.3, 5.3.3 और 7.1.2 (ख) का संशोधन किया गया है। (3) (पृष्ठ 5, आकृति 2)- "आर 35" की जगह "आर 25" तथा "आर 25" की जगह "आर 15" रखें। (4) पृष्ठ 7, सारणी 1, "आयाम" के नीचे) "70" की जगह "50" "50" की जगह "30" और "75" की जगह "35" रखें।	1985-11-30

*भा मा संस्था प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजनों के लिए यह संशोधन 1986-03-16 से लागू होगा।

1	2	3	4	5	6
51	IS: 8446—1977 कार्बनडेजिम (एम बी सी) जल-प्रकीर्णी चूर्ण सान्द्रों की विशिष्टि	एस.ओ. 619 दि. 1980-03-15	संख्या 2 सितम्बर 1985	(1) (पृष्ठ 4, सारणी 1, स्तम्भ 5 शीर्षक') "IS: 6940-1973" की जगह "IS 6940-1982" रखें । (2) "X" और "+" चिह्न वाली पाद-टिप्पणी (पृष्ठ 4, सारणी 1), "×" चिह्न वाली पाद टिप्पणी (पृष्ठ 5 और 9) की जगह नई पाद टिप्पणी रखी गई है। (3) वर्तमान खंड 2.3.1, 3.1, 3.11, 3.2 और 4.1 (टिप्पणी सहित) की जगह नया खंड रखा गया है। (4) खंड 2.3.1.1 के बाद नया खंड 23.1.2 जोड़ा गया है। (5) (पृष्ठ 5, खंड 3.3.1)—हटा दें। (6) "X" चिह्न वाली पादटिप्पणी (पृष्ठ 6) के बाद "+" चिह्न वाली नई पाद-टिप्पणी जोड़ी गई है। (7) खंड क-1.4.1 और ख-1.1 और ख-1.2 का संशोधन किया गया है।	1985-09-30
52.	IS: 8162—1977 सूक्ष्मदर्शी निर्जमक ऊर्ध्वाधर, भाप नमी की विशिष्टि	एस.ओ. 612 दि. 1980-03-15	संख्या 2 अक्तूबर 1984	वर्तमान खंड 4.1 की जगह नया खंड रखा गया है।	1084-10-31
53.	IS 9469—1980 मांस बने मुर्गी काटने की विशिष्टि	एस.ओ. 1593 दि. 1934-05-12	संख्या 2 दिसम्बर 1985	(1) (पृष्ठ 6, सारणी 2, क्रमसंख्या 5, स्तम्भ 4) —वर्तमान सामग्री की जगह निम्नलिखित सामग्री रखें: "I: 1390-1961 अनप्त पद्धति"	1985-12-31 *भा मा संस्था प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजनों के लिए यह संशोधन 1986-07-01 से लागू होगा।
54.	IS: 9562—1980 पुलिस बल के लिए अग्निरोधी हेलमेट की विशिष्टि	एस.ओ. 1059 दि. 1984-03-31	संख्या 3 नवम्बर 1984	(1) (पृष्ठ 4, खंड 2.4 और 2.5)—हटा दें। (2) खंड 2.10.2 और 5.3.3 का संशोधन किया गया है। (3) खंड 2.10.3 की जगह नया खंड रखा गया है।	1984-11-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55.	IS : 10633—1983 वनस्पति की विशिष्टि	एस.ओ. 270 दि. 1984-01-38	संख्या 1 सितम्बर 1985	(1) खंड 3.1, 5.2.7.1 और ख-4.2 का संशोधन किया गया है। (2) सारणी 1 का संशोधन किया गया है। (3) खंड 4.1 की जगह नया खंड रखा गया है। (4) खंड 5.1 के अंत में मद "ज" जोड़ा गया है। (5) खंड ख-5, के बाद नया 'परिशिष्ट "ग" जोड़ा गया है।	1985-09-30
56.	IS : 11087—1984 चुम्बकीय स्याही समप्रतीक पश्चात बैंक छापने के लिए कागज की विशिष्टि	—	संख्या 1 मार्च 1986	(1) वर्तमान खंड 3.2 की जगह नया खंड रखा गया है। (2) सारणी 1 का संशोधन किया गया है। (3) खंड 4.2 (ग), 5.2, का संशोधन किया गया है। (4) पृष्ठ 8, खंड 5.2, पंक्ति 1)—3.1 के बाद 3.2 जोड़ें। (5) पृष्ठ 8, खंड 5.3.2, पंक्ति 3)—3.2 और "3.2" शब्द हटा दें। (6) (पृष्ठ 8, परिशिष्ट "क")—हटा दें।	1986-03-31
57	IS : 11170—1985 कृषि कार्यों के लिए सतत शक्ति संयोजन दहन (संपीडन) इंधन (20किवा तक के) की कार्यकारिता अपेक्षाओं की विशिष्टि	—	संख्या 1 मार्च 1986	(1) (पृष्ठ 2, खंड 3.1.2 पंक्ति 2)— (प्रारटाइप टेस्ट" की जगह "ए पी-टाइप टेस्ट" रखें। (2) (पृष्ठ 2, खंड 3.2, पंक्ति 1)—"प्रार टाइप टेस्ट" की जगह "ए पी टाइप टेस्ट" रखें। (3) (पृष्ठ 4, व्याख्यात्मक टिप्पणी, तीसरा पैराग्राफ पंक्ति 3)— "(20 किवा से अधिक) की जगह "(20 किवा तक)" रखें।	1986-03-31

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 तथा क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास और इनकी शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गोवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

[सं. सी. एम डी./13 : 5]

S.O. 805 :—In pursnace of clause (b) of Sub Rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed has/have been issued.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and date of the amend-ment	Brief Particulars of the Amendment	Date from which the Amend-ment shall have effect
(1)	(2)	(3)	4(4)	(5)	(6)
1.	IS : 251–1982 Specification for Soda ash technical (third revision)	S.O. 3998 dated 1985-08-24	No. 1 March 1986	Existing matter of clauses 3.3 and 3.3.1 have been sub-stituted by new ones	1986-03-31
2.	IS : 269–1976 Specification for ordinary and low heat portland cement (third revision)	--	No. 4 Sep. 1985	(i) Clauses 0.5 and 9.2 have been substituted by new ones (ii) Clause 9.1 has been amended. (iii) New Appendix A has been added after clause 12.2	1985-09-30
3.	IS : 455–1976 Specification for port-land slag cement (third revision)	--	No. 3 Sep. 1985	(i) Clause 0.7 and 8.2 have been substituted by new ones (ii) Clause 8.1 has been amended (iii) New Appendix 'A' has been added after clause 11.2	1985-09-30
4.	IS : 458–1971 Specification for con-crete pipes (with and without reinforcement) (second revision)	—	No. 2 March 1986	(i) New Note has been added at the end of clause 4.3 (ii) New foot-notes with ' ' and '§§' marks have been added at the end of page 6.	1986-03-31
5.	IS : 789–1971 Specification for ink, drawing, waterproof, black (first revision)	--	No. 1 Jan. 1986	(i) Existing clause 3.10 has been substituted by a new one (ii) [(Page 5, clause 4.2(d)] Delete the words 'and date'. (iii) New matter (e) has been added after (d).	1986-01-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	IS - 797–1982 Common salt for chemical industries (third revision)	S.O. 2786 dated 1986-08-09	No 1 Nov. 1985	Clause 4.1 has been substituted by a new one	1985-11-30
7.	IS : 1011–1981 Specification for biscuits (second revision)	S.O 322 dated 1985-01-26	No. 2 Oct. 1985	(i) [Page 9, Table 1 Sl. No. (iii) Col. 3]—Substituted '1.5' for '1.0'.	1985-10-31
8.	IS : 1320–1981 Specification for Baker's yeast (second revision)	S.O. 4412 dated 1985-12-15	No. 1 Feb. 1986	(Page 16, clause F-1.5, line line 2)—Substitute 'about' 'above'.	1986-02-18
9.	IS : 1391–1971 Room air conditioners (first revision)	S.O. 1853 dated 1974-07-27	No. 3 Oct. 1985	Clause 0.3 has been amended	1985-10-31
10.	IS : 1448(P:9)–1960 Methods of test for petroleum and its products (P:9) Centane number	—	No. 1 Jan. 1986	New clause 6.1 .15 has been added after clause 6.1.14	1986-01-31
11.	IS : 1547–1985 Specification for infant milk foods (second revision)	—	No. 1 Oct. 1985	(Page 9, Table): (a) Sl. No, (xii), Col. 4—Read '(5.00) for '(5.75)'. (b) Sl. No. (xiv), Col. 4—Read '0.14' for '1.14'.	1985-10-31
12.	IS : 1551–1976 Specification for carbon papers for typewriters (first revision)	S.O. 3823 dated 1979-11-24	No. 4 Dec. 1985	(Page 4, clause 4.2, line 3)— Substitute 'Type 1 or Type 2' for 'Type 2'.	1985-12-31
13.	IS : 1592–1980 Specification for asbestos cement pressure pipes (second revision).	S.O. 2891 dated 1986-08-16	No. 1 Jan. 1986	Informal table of clause 4.4.1 has been amended	1986-01-31
14.	IS : 1656–1985 Specification for milk cereal based weaning foods (second revision)	—	No. 1 Oct. 1985	(i) (Page 6, clause 4.1, line 6)—Read 'it' for 'if'. (ii) (Page 7, Table 1): (a) Sl. No. (viii), Col. 3—Read '350' for '35.0' (b) Sl. No. (xiv), Col. 3—Read '200' for '5' (c) Sl. No. (xiv), Col. 4—Read '——' for '200'.	1985-10-31
15.	IS : 2243–1971 Specification for drill chucks (first revision)	S.O. 1853 dated 1974-07-27	No. 2 Jan. 1986	(i) (Page 5, clause 4.3.2, table, last column line 1)—Substitute '0.049 29' for 0.049 28'. (ii) clause 6 has been amended (iii) New Note has been added at the end of table of clause 8.2	1986-01-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	IS : 2373-1981 Specification for water meters (Bulk type) (third revision)	—	No. 2 Oct. 1985	(i) Clauses 4.2.1 and 4.2.2 have been amended (ii) Foot-note (page 7) has been substituted by new one	1985-10-31
17.	IS : 2494-1974 Specification for V-belts for industrial purposes (first revision)	S.O. 1596 dated 1979-05-19	No. 5 Nov. 1985	New clause 5.2.1.1 has been added after clause 5.2.1	1985-11-30
18.	IS : 2594-1907 Specification for hack-saw blades (first revision)	S.O. 3171 dated 1980-11-15	No. 3 Dec. 1985	Informal tables of clauses 3.1 (page 2) and 3.2 (page 3) have been amended	1985-12-31
19.	IS : 2745-1983 Specification for non-metal helmet for firemen and civil defence personnel (second revision)	S.O. 3328 dated 1986-09-27	No. 2 Oct. 1985	(i) (Page 7, clause 9.1 (b))—Substitute'—10+2°C' for '10±2°C'. (ii) (Page 8, clause 9.1.1, line 2)—Substitute 'none' for 'neither' (iii) (Page 8, clause 9.4, line 1, clause 9.5 line 1, clause 9.6, line 3)—Add the word 'shell' after the word 'Helment' (iv) (Page 12, clause E-2.1, line 1)—Add the words, 'full shell' after the word 'sample'.	1985-10-31
20.	IS : 2826-1980 Dimensions for copper and copper alloy rod and bar for general engineering purposes (second revision)	S.O. 1593 dated 1984-05-12	No. 1 Dec. 1985	Table 1,2,3 and 4 have been amended	1985-12-31
21.	IS : 2876-1978 Specification for 3-Jaw and 4-Jaw scroll operated self-centering lathe chucks (first revision)	S.O. 2271 dated 1981-08-29	No. 3 Dec. 1985	New Note has been added below the table of clause 4.1	1985-12-31
22.	IS : 2920-1979 Specification for umbrellas (first revision)	S.O. 2322 dated 1982-07-03	No. 1 Feb. 1986	(i) Clause 2.2 has been substituted by a new one (ii) Existing foot-note with ' ' mark (page 3) has been substituted by a new one (iii) Clause 3.3 has been amended	1986-02-28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	IS : 2980–1979 Specification for non-pressure stoves (first revision)	S.O. 2322 dated 1982-07-03	No. 1 Feb. 1985	(i) Clauses 3.1 and 5.4.1 have been amended. (ii) Additional clause 6 has been added after clause 5.10.1 and the subsequent clause renumbered	1985-02-29
24.	IS : 3063–1972 Specification for single coil rectangular section spring washers for bolts, nuts and screws (first revision)	S.O. 115 dated 1975-01-11	No. 2 Dec. 1985	(i) (Page 1, clause 6 line 3)— Substitute 'electro-galvanized' for 'galvanized'. (ii) (page 2, Table 1 figure for 'TYPE B' Delete 'h_2—2_s'. (iii) Tabe 1 (page 2) has been amended.	1985-12-31
25.	IS : 3196–1982 Specification for welded low carbon steel gas cylinder exceeding 5-litre water capacity for low pressure liquefiable gasses (third revision)	S.O. 4276 dated 1986-12-27	No. 4 Mar. 1986	(i) Clause 3.1.1 has been substituted by a new one (ii) Clause 5.2.1 and 17.1.1 has been amended	1986-02-31
26.	IS : 3284–1984 Specification for Organo mercurial dry seed-dressing formulations (first revision)	....	No. 1 Oct. 1985	(i) (Page 4 Table 1, Sl. No. (iii), Col 3)—Substitute '50' for '5.0'	1985-10-31
27.	IS : 3450–1976 Specification for carbon papers, hand-writing (first revision)	S.O. 3823 dated 1979-11-24	No. 2 March 1986	(i) (Page 4, clause 4.2, line 2)—Substitute 'Type 2 or Type 1' for 'Type 2'.	1986-03-31
28.	IS : 3466–1967 Specification for masonry cement (first revision)	S.O. 287 dated 1968-01-20	No. 3 Sep. 1985	(i) Clauses 0.4, 10.1 and 10.2 have been substituted by new ones (ii) New Appendix 'A' has been added after clause 10.2.1	1985-09-30
29.	IS : 3829–1978 Specification for horizontal cylindrical and horizontal rectangular steam sterilizers, pressure type (for hospital and pharmaceutical use) (first revision)	S.O. 2863 dated 1981-10-17	No. 3 Dec. 1985	(i) (Designation)—Substitute IS : 3829(Part I)—1978' for IS : 3829–1978' wherever it appears in the standard (ii) Title at cover page, pages 1 and 3 has been substituted by a new one (iii) New clauses 0.11, 7.1.9, 7.1.9.1, 7.1.10 have been added after clauses 0.10 and 7.1.8.1 respectively	1985-12-31

* For purposes of ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1986-07-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(iv) (Page 4, clauses 1.1, line 1)—Add the following words between 'non-automatic' and 'pressure':	
30.	IS : 4021–1983 Specification for timber door, window and ventilator frames (second revision)	S.O. 4149 dated 1986-12-13	No. 1 Dec. 1985	(i) (Page 3, clause 0.3 line 2)—Substitute '1976' for '1967' (ii) Existing Fig 1 (page 5) has been substituted by a new one (iii) (Page 9, Table 2, col. 3, against Sl. No. (i)—Substitute '1 to 20' for '1 in 2'.	1985-12-31
31.	IS : 4142–1967 Specification for discus	S.O. 3336 dated 1967-09-23	No. 3 Oct. 1985	(i) (Page 4, Table 1, Size 1, fifth entry)—Substitute '12 to 12.6' for '12 to 12.2'.	1985-10-31
32.	IS : 4151-1982 Specification for protective helmets for scooter and motorcycle riders (second revision)	S.O. 3451 dated 1986-10-04	No. 1 Feb. 1985	(i) Clauses 2.4, 2.4.4, 5.3.3 10.1 and 10.1(a) have been amended (ii) (Page 5, clause 2.6)—Delete. (iii) (Page 9, clause 9.1)—Substitute 'IS : 9695—1980*' for IS : 9625–1980*'.	1985-02-28
33.	IS : 4175–1977 Specification for typewriter ribbons, cotton (first revision)	S,O. 2064 dated 1981-08-01	*No 1 Jan. 1986	New clause 4.4 has been added afterclause 4.3 and the subsequent clause re-numbered accordingly	1986-01-31
34.	IS : 4308–1982 Specification for dry powder for fire fighting (first revision)	S.O. 3994 dated 1985-08-24	No 2 Aug. 1984	(i) Clauses 3.2 and 1.1 have been amended (ii) New clause 4.2 has been added after clause 4.1 (iii) Existing foot-note with '*' mark (page 9) has been substituted by a new one.	1984-08-31
35.	IS : 4467 (Part 3)–1980 Specification for caramel: Part 3 Ammonia sulphite process (first revision)	S.O. 3992 dated 1985-08-24	No. 1 Oct 1985	(i) (Page 6, Table 2, Col. 2, against Sl No. (ii)–Substitute 'Min D for' Max	1985-10-31

* For purpose of ISI Certification Marks Scheme;this amendment shall come into force with effect from 1986-02-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	IS : 4510–1978 Specification for horizontal cylindrical high speed steam sterilizers, pressure type (first revision)	S.O. 2508 dated 1982-07-17	* No 2 Feb. 1986	(i) (Designation)—Substitute 'IS : 3829 (Part 2) -1978' for 'IS : 4510–1978' wherever it appears in the standard. (ii) Title at cover page, pages 1 and 3 has been substituted by a new one. (iii) Clause 1.1 (at pages 4 and 5) has been amended (iv) New clauses 7.1.9 and 7.1.9.1 have been added after clause 7.18	1986-02-28
37.	IS : 4654–1974 Specification for paraffin wax (first revision)	S.O. 3494 dated 1976-10-02	No. 4 March 1986	Existing clause 4.1 has been substituted by a new one	1986-03-31
38.	IS : 4849—1968 Specification for rain measures	S.O. 1455 dated 1969-04-19	No. 4 Oct. 1985	Clause 5.1 has been amended	1985-10-31
39.	IS : 5424–1969 Specification for rubber mats for electrical purposes	S.O. 1236 dated 1970-04-04	No. 3 March 1986	This amendment No. 3 supersedes amendment No. 2. (i) (Page 4, clause 2.2.1, line 2)—Substitute '6.5± 0.05 mm' for 'not less than 6.5 mm'.	1986-03-31
40.	IS : 6747–1981 Specification for chewing gum and bubble gum (first revision)	S.O. 3103 dated 1986-09-13	No. 2 Oct. 1985	(i) (Page 6, clause 5.2.2)– Substitute '1.0 percent' for '0.1 percent.' (ii) (Page 6 clause 5.2.3) – Substitute 'icing sugar' for 'king sugar'. (iii) (Page 8, Appendix A, Sl. No. 26)—Delete	1985-10-31
41.	IS : 7324–1983 Specification for brix hydrometers (first revision)	S.O. 297 dated 1987-01-31	No. 1 Nov. 1985	(i) New clause 7.0 has been added after clause 7 (ii) (Page 7, Fig. 1A)—Substitute '335 Max' for '335 Min'. (iii) (Page 8, Table 2 Sl. No. 1, Col 2)—Substitute 'Max' for 'Min'	1985-11-30
42.	IS : 7407 (Part 1 to 3) —1980 Specification for jute tarpaulin fabric (first revision)	S.O. 3274 dated 1983-08-20	*No. 1 May 1986	Existing clause 0.2 has been substituted by a new one	1986-05-31

*For purpose of ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1986-09-16.

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme: this amenment shall come into force with effect from 1986-10-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	IS : 7532–1974 Specification for soft soap	S.O. 1892 dated 1977-06-11	No. 2 March 1986	Existing clause 0.3 has been substituted by a new one	1986-03-31
44.	IS : 7587 (Part I)–1975 Specification for cage suspension gear for winding in mines Part I General requirements	S.O. 1892 dated 1977-06-11	No. 2 March 1986	Existing Fig. 2 at page 8 has been substituted by a new one	1986-03-31
45.	IS : 8042–1978 Specification for white portland cement (first revision)	S.O. 2274 dated 1981-07-29	No. 2 Sep. 1985	Exising clauses 0.4 and 8.2 have been substituted by a new ones (ii) Clauses 8.1 hase been amended (iii) New Appendix 'B' has been added after clause A-3.1.	1985-09-30
46.	IS : 8074–1983 Specification for monocrotophos water soluble concentrates (first revision)	S.O. 3975 dated 1986-11-29	No. 1 March 1986	(i) Title at cover page, and pages 1 and 3 has been substituted by a new one. (ii) Clauses 0.2, 0.3 and 1.1, 2.3.3 and 5.2 have been amended. (iii) Clause 4.1 including note has been substituted by a new one (iv) New foot-note with '+' mark has been added at page 5.	1986-03-31
47.	IS : 8112–1976 Specification for high strength ordinary portland cement	S.O. 3820 dated 1979-11-24	No. 3 Sep. 1985	(i) Clausses 0.3 and 8.2 have been substituted by a new ones. (ii) Clause 8.1 has been amended. (iii) New Appendix 'A' has been added after clause 11.2.	1985-09-30
48.	IS : 8112–1976 Specification for high strength ordinary portland cement	S.O. 3820 dated 1979-11-24	* No. 4 Oct. 1985	(i) Clauses 5.2.1 and 5.2.1.1 have been substited by new ones (ii) (Page 6, clause 5.2.2)–Delete. (iii) (Page 8, clause 9.1.1, line 1)–Substitute 'three weeks' for 'one week'.	1985-10-31

*For purposes of ISI Certification marks; this amendment shall come into force with effect from 1986-03-61.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49.	IS : 8213–1983 Specification for agricultural trailer (first revision)	S.O. 2786 dated 1986-08-09	No. 1 Jun. 1986	(i) (Page 8, clause 7.11, line 2)–Substitute '15' for '20'.	1986-06-30
50.	IS : 8336–1977 Specification for thermoelectric pyranometer	S.O. 417 dated 1980-02-23	No. 1 Nov. 1985	(i) Existing clauses 0.2 and 5.3.2 have been substituted by new ones (ii) Clauses 0.3, 5.1.5,5.1.1 4, 5.2.3, 5.3.3 and 7.1.2 (b) have been amended (iii) (Page 5, Fig. 2)–Substitute 'R 25' for 'R 35' and 'R 15' for 'R 25' (iv) (Page 7, Table 1, under 'Dimensions') Substitute '50' for '70', '30' for '50' and '55' for '75'	1985-11-30
51.	IS : 8446–1977 Specification for carbendazim (MBC) water dispersible powder concentrates	S.O. 619 dated 1980-03-15	No. 2 Sep. 1985	(i) (Page 4, Table 1, col 5, heading) Substitute 'IS : 6940–1982*' for 'IS : 6940–1973*'. (ii) Existing foot-notes with '*' and '+' marks (Page 4 Table 1), with '*' mark (Page 5. and 9) have been substituted by a new ones. (iii) Existing clauses 2.3.1, 3.1, 3.1.1, 3.2 and 4.1 (with note) have been substituted by new ones. (iv) New clause 2.3.1.2 has been added after clause 2.3.1.1. (v) (Page 5, clause 3.3.1)–Delete. (vi) New foot-note with '+' mark has been added after foot-note with '*' mark (page 6). (vii) Clauses A—1.4.1 and B.1.1 and B—1.2 have been amended.	1985-07-30
52.	IS : 8462–1977 Specification for sterilizer, portable, vertical pressure type	S.O. 612 dated 1980-03-15	No. 2 Oct. 1984	Existing clause 4.1 has been substituted by a new one.	1984-10-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53.	IS : 9469—1980 Specification for plain-knotted cotton fabric	S.O. 1593 dated 1984-05-12	*No. 2 Dec. 1985	(i) (Page 6, Table 2, Sl. No. V, Col 4)-Susbstitute the following for the existing matter : 'IS : 1390—1961 Cold method'.	1985-12-31 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme : this amendment shall come into force with effect from 1986-07-01.
54.	IS : 9562—1980 Specification for non-metal helmet for police force	S.O. 1059 dated 1984-03-31	No. 3 Nov. 1984	(i) (Page 4, clauses 2.4 and 2.5) —Delete. (ii) Clauses 2.10.2. and 5.3.3. have been amended. (iii) Clause 2.10.3 has been substituted by a new one	1984-11-30
55.	IS : 10633—1983 Specification for Vanaspati	S.O. 270 dated 1984-01-28	No. 1 Sep. 1985	(i) Clauses 3.1 5.2.7.1, and B-4.2 have been amended (ii) Table 1 has been amended (iii) Clause 4.1 has been substitute by a new one (iv) Item 'h' has been added in the last of clause 5.1 (v) New Appeneix 'C' has been added after clause B-5.	1985-09-30
56.	IS : 11087—1984 Specification for paper for magnetic ink character recognition cheque printing.	..	No. 1 Mar. 1986	(i) Existing clause 3.2 has been substituted by a new one (ii) Table 1 has been amended (iii) Clauses 4.2(c) , 5.2 have been amended (iv) (Page 8. clause 5.2, line 1)—Add 3.2, after 3.1. (v) (Page 8, clause 5.3.2. line 3)—Delete the words '3.2' and' (vi) (Page 8 Appendix A)—Delete.	1986-03-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57.	IS : 11170—1985 Specification for performance requirements for constant speed compression ignition (Diesel) engines for agricultural purpose (upto 20 kw).	..	No. 1 Mar. 1986	(i) (Page 2 clause 3.1.2, line 2)—Substitute 'a re-type test' for 'are-type test'. (ii) (Page 2, clause 3.2, line 1)—Substitute 'a re-type test' for 'are type test'. (iii) (Page 4, Explanatory Note, third paragraph, line 3)—(Substitute '(Upto 20 kew)' for '(above 20 kw)'.	1986-03-31

Copies of these Indian Standards are aviailable for sale with the Bureau of Indian Standards Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices, Bombay Calcutta, Chandigarh and Madras and also from its branch office : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13:5]

का. आ. 806.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड "ख" के अनुसार में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नई अनुसूची में दिए गए मानक (कों) में संशोधन किया गया है/किए गए हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक की स्थापना की अधिसूचना छपी थी उसकी संख्या और तिथि	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 290—1978 सामान्य इंजीनियरी उद्देश्य के लिए मृदु इस्पात तार की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एस.ओ. सं. 2001 दि. 1981-07-25	सं. 1 जुलाई 1984	(1) वर्तमान खण्ड के 10, 10.1 और 10.2, को नए से बदल दिया गया है। (2) वर्तमान+अंकित पाद् टिप्पणी को नये से बदल दिया गया है।	1984-07-31
2.	IS : 287—1973 विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त लकड़ी में अधिकतम अनुज्ञेय नमी अंश की सिफारिशें (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 2081 दि. 1975-07-05	सं. 2 जुलाई 1984	खंड 2.1 के अन्त में एक नए नोट को जोड़ दिया गया है।	1984-07-31
	IS : 401—1932 लकड़ी के परिरक्षण की रीति संहिता (तीसरा पुनरीक्षण)	—	सं. 1 जुलाई 1984	खंड 0.4 में एक नया वाक्य जोड़ दिया गया है।	1984-07-31
4.	IS : 417 (भाग 1)—1974 फुटबाल, वाल-बालों, बास्केटबालों, नेटबालों, थ्रो बालों और वाटरपोलो बालों की विशिष्टि भाग 1 फुटबाल (तीसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 4697 दि. 1975-11-01	*सं. 3 जुलाई 1981	वर्तमान के 2.2.2 को नए से बदल दिया गया है।	1984-07-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	IS : 753—1983 हथकरघे के सूती कपड़े, विरंजित अथवा रंजित की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	--	सं. 1 जुलाई 1984	(1) पहला कवर पृष्ठ 1 और 3 शीर्षक --"दूसरे" को पहले बदल दिया गया है। (2) पृष्ठ 7, खंड के 7.3, पंक्ति 1), "किया जाए" को हटा दिया गया है।	1984-07-31
6.	IS : 1008--1981 हार्ड बायल शर्करा मिष्ठान्न की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 4412 दि. 1983-12-15	सं. 2 जुलाई 1984	(पृष्ठ 4, खंड 3.2 (जे), पहली पंक्ति) गुड़ और कच्ची शर्करा के बोल पाम गुड़ शामिल करें।	1984-07-31
7.	IS : 1141--1975 लकड़ी मिझाने की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 2919 दि. 1975-09-06	संख्या 32 जुलाई 1984	खंड 0.4 को नए से बदल दिया गया है।	1984-07-31
8.	IS : 1800--1981 जिट्रेमियॉल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	--	संख्या 1 मई 1984	(1) पृष्ठ 6, सारणी 1, क्रम सं (iii), स्तम्भ 3)--"0.876 से 0.8795" को 0.8765 से 0.795" से बदल दिया गया है। (2) (पृष्ठ 6, सारणी 1, क्र.सं. (8), स्तम्भ 2, पंक्ति 3)-- सिट्रोनेलैल को सिट्रोनेलोल के लिए बदल दिया गया है।	1984-05-31
9.	IS : 2720 (भाग 7)—1980 मिट्टी के परीक्षण की पद्धतियां भाग 7 प्रकाश संहनन का उपयोग करते हुए जलीय शुष्क घनत्व सम्बन्ध ज्ञात करना (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 1593 दि. 84-05-12	संख्या 92 जुलाई 1984	(1) (पृष्ठ 4, खंड 0.2, नोट)-- "IS : 2720 (भाग 8)-1983*" को IS : 2720 (भाग 8)-1974 से बदल दिया गया है। (2) *सहित पाद टिप्पणी को नए से बदल दिया गया है। (3) खंड 3.7, 5.1.4 5.2 और 6.2 संशोधित कर दिए गए हैं। (4) (पृष्ठ 7, नोट 2, पंक्ति 2 एवं 4)"--19 मि.मी." को "20 मि.मी." से दोनों स्थानों के लिए बदल दिया गया है।	1984-07-31
10.	IS : 2932--1974 इनैमल संश्लिष्ट, बाहरी की विशिष्टि (अ) निचला स्तर देने की (ब) फिनिश देने की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ. 4697 दि. 1975-11-01	संख्या 1 मार्च 1979	(1) खंड 4.1 संशोधित कर दिया गया है। (2) खंड 5.1.1, 5.1.4 (अ) एवं (ब) 5.2.2, 5.2.2.2, और 8.1 को संशोधित कर दिया गया है। (3) (पृष्ठ 10, खंड 5.7)--को निकाल दिया गया है। (4) नयी सामग्री को खंड 5.1.1 के पैरा 1 एवं 2 के बाद जोड़ दिया गया है। (5) नयी सामग्री को सारणी 1 में जोड़ दिया गया है।	1979-03-31

*आई एस आई प्रमाणन मुहर योजना के लिए यह संशोधन 1-3-88 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	:3319—1980 ब्लेड शल्यक्रिया वियोज्य (बार्ड पार्कर नुमा) और हैंडलों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस. ओ. 4412 दि. 1985-12-15	*सं. 2 मार्च 1984	(1) आकृति 14, आकृति 15, आकृति 16, 17 और 18 संशोधित हो चुके है। (2) (पृष्ठ 4, आकृति 2)—टेपर आयाम जहां से लिखे गए हैं—"3.04 अधिक" और" 6.35 अधिक को हटा दिया गया है। (3) (पृष्ठ 3, आकृति 3)—टेपर आयामों "3.96 अधिक एवं" 9.52 अधिक) जहां लिखे गए हैं को निकाल दिया गया है।	1984-03-31
12.	IS : 3938—1981 तुआर गम की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 322 दि. 1985-01-26	संख्या 1 जनवरी 1984	वर्तमान खंड 6.2 से 6.2.3 तक को नए से बदल दिया गया है	1984-06-30
13.	IS : 4123—1982 चेन पाइप रिंचों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 323 दि. 1986-01-25	संख्या 1 जुलाई 1984	सारणी 2 का संशोधन किया गया है	1984-07-31
14.	IS : 4228—1979 वायु आकाशीय उद्यमों के लिए नाइलान टेपों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 3450 दि. 1982-12-02	संख्या 1 जुलाई 1984	(पृष्ठ 4, खंड 2.1, पंक्ति 3)— "100" को "10" में बदल दिया गया है	1984-07-31
15.	IS : 4517—1967 वेल्डर के ब्रुश की विशिष्टि	एस. ओ. 4578 दि. 1986-07-20	संख्या 4 जुलाई 1984	वर्तमान खंड 4.1.4 को नए से बदल दिया गया है	1984-07-31
16.	IS : 4810—1968 धमन चदरें और आवरण, रबड़कृत की विशिष्टि	एस. ओ. 1906 दि. 1969-06-17	संख्या 1 जुलाई 1984	खंड सी-2.3.2.2 के बाद नया खंड सी-2, 3.2.3 को जोड़ दिया गया है	1984-07-31
17.	IS : 4826—1979 गल इस्पात तारों पर तप्त डुबाऊ जस्तीकृत लेपन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 3450 दि. 1982—1202	संख्या 1 मई 1984	(1) खंड 0.2 के बाद खंड 0.2.1 को जोड़ दिया गया है। (2) परिशिष्ट "ए" को पृष्ठ 8 पर जोड़ दिया गया है।	1984-05-31
18.	IS 5608 (भाग 4)—1984 पी वी सी रोधन और पी वी सी आवरणों वाले केवल भाई निम्न आवृतितारों की विशिष्टि भाग 4— भीतरी संस्थान वाले केवल	—	संख्या 1 जुलाई 1984	(पृष्ठ 5 खंड 3.2.3, अंतिम पंक्ति)— "सिफारिश किए गए रंग को में बदल दिया गया है।	1984-07-31
19.	IS : 5608 (भाग 5)—1984 पी वी सी रोधन और पी वी सी आवरण वाले केवल और निम्न आवृति तार भाग 5—संकेत देने के तार	—	संख्या 1 जुलाई 1984	(पृष्ठ 6 खंड 3.2.4 पंक्ति 3)— "सिफारिश किए गए" को "मानक" में बदल दिया गया है।	1984-07-31
20.	IS : 5608 (भाग 6)—1984 पी वी सी रोधन एवं पी वी सी आवरण वाले केवल और निम्न आवृति तार की विशिष्टि भाग 6 जम्पर तार	—	संख्या 1 जुलाई 1984	(पृष्ठ 5, खंड 3.2.4, पंक्ति 2)— "परिवर्तित को "मानक" के लिए बदल दिया गया है।	1984-07-31
21.	IS 6349—1981 वायु आकाशीय अनुप्रयोगों के लिए टेप, सायलान गिलास, (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 1020 दि. 1985-03-09	संख्या 1 जुलाई 1984	खंड 2.5 संशोधित किया गया है।	1984-07-31

*आई एस आई प्रमाणन मुहर योजना के लिए यह संशोधन 1-3-86 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	IS : 6554—1983 संधि आर-पार जोड़ों के टांका फेस्लों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 जुलाई 1984	(1) (पृष्ठ 1, खंड 1, पंक्ति 3)—"33 किवो को "11 [illegible]" से बदल दिया गया है। (2) (पृष्ठ 3, व्याख्यात्मक नोट, पैरा 1.(—हटा दिया गया है।	1984-07-31
23.	IS : 6749—1981 चुड़गम और बब्बल गम की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 जुलाई 1984	(1) (पृष्ठ 6, सारणी, क्र.सं. (4) (—को हटा दिया गया है और बाद के सामग्री को फिर से [illegible] दे दी गयी है। (2) (पृष्ठ 6, सारणी, कालम 3, क्र.सं. (5) के सामने)—"80.0 को "70.0 से बदल दिया गया है।	1984-07-31
24.	IS : 8190 (भाग 1)—1980 कीटनाशक को पैक करने की मार्गदर्शिका भाग 1 ठोस कीटनाशक) (पहला पुनरीक्षण)	एस. ओ. 4412 दि. 1985-12-1[illegible]	संख्या 1 अप्रैल 1982	(1) सारणी 1 (पृष्ठ 5) सारणी 3 (पृष्ठ 8) संशोधित किया गया है। (2) खंड 2.1 के अन्त में नयी सामग्री जोड़ दी गई है। (3) (पृष्ठ 8, सारणी 3 क्र.सं. (7) कालम 3)—वाक्य के अन्त में नोट संख्या 2, देखें) को जोड़े	1982-01-30
25.	IS : 9055—1979 एक बार उपयोग वाले कार्बन कागज की विशिष्टि	एस. ओ. 2584 दि. 1981-10-0	संख्या 1 जुलाई 1984	(पृष्ठ 4, सारणी 1, कालम 3, क्र.सं. (2) के सामने)—से "[illegible]" शब्द को निकाल दें।	1984-7-31
26.	IS : 9138—1979 ऐसीटोबैक्टर कोकाकम टर्की की विशिष्टि	एस. ओ. 1342 दि. 1982-04-03	*संख्या 1 जुलाई 1984	परिशिष्ट "डी" को नए से बदल दिया गया है।	1984-07-31
27.	IS : 10425—1983 बहु चैनल दूरदर्शन समस्वरित ट्यूनर की विशिष्टि	—	संख्या 1 जुलाई 1984	पहले कवर पृष्ठ के वर्तमान शीर्षक पृष्ठ 1 व 3 को नए से बदल दिया गया है।	1984-07-31
28.	IS : 10579,—1983 दूरसंचार केबलों की पालीइथाइलीन रोधन एवं आवरण की विशिष्टि		संख्या 1 जुलाई 1984	(पृष्ठ 5, खंड 3.6.1, शीर्षस्थ)—सिफारिश किए गए रंग को "मानक रंगों" से बदल दिया गया है।	1984-07-31

*आई एस आई प्रमाणन मुहर योजना के लिए यह संशोधन ता. 16-5-86 से लागू होगा।

*आई एस आई मुहर योजना के लिए यह संशोधन ता. 16-10-84 से लागू होगा।

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास तथा इसके शाखा कार्यालय अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गोवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

[सं. सी. एम. डी./13:5]

S.O. 806:—In pursuance of clause (b) of Sub Rule (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed has/have been issued.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the amendment.	Brief Particulars of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 280—1978 Specification for Mild steel wire for General Engineering purposes (Third Revision)	S.O. No. 2001 dated 1981-07-25	No. 1 Jul 1984	(1) Existing clauses 10, 10.1 and 10.2 have been substituted by new ones. (ii) Existing foot -note with 'f' mark has been substituted by a new one.	1984-07-31
2.	IS : 287—1973 Recommendations for Maximum Permissible Moisture Content for Timber Used for Different Purposes (Second Revision).	S.O. 2081 dated 1975-07-05	No. 2 Jul 1984	A New note has been added at the end of clause 2.1.	1984-07-31
3.	IS : 401—1982 Code of Practice for Preservation of timber. (Third Revision)	..	No. 1 Jul 1984	A New sentence has been added at the end of clause 0.4.	1984-07-31
4.	IS : 417 (Part 1)—1974 Specification for Footballs, Volleyballs, Basketballs, Netballs, Throwballs and Water-Polo Balls Part 1 Footballs (Third Revision)	S.O. 4697 dated 1975-11-01	*No. 3 Jul 1984	Existing clause 3.2.2 has been substituted by a new one.	1984-07-31
5.	IS : 753—1983 Specification for Handloom Cotton Pugri Cloth, Bleached or Dyed (Second Revision)	..	No. 1 Jul 1984	(1) (First cover, Pages 1 and 3, title)—Substitute 'First' for 'Second'. (2) (Page 7, clause 7.3, line 1)—Delete 'shall be'.	1984-07-31
6.	IS : 1008—1981 Specification for Hard Boiled Sugar Confectionery (Second Revision)	S.O. 4412 dated 1985-12-15	No. 2 Jul 1984	(Page 4, clause 3.2(j), first line)—Insert 'palm gur' between 'gur' and 'raw sugar'.	1984-07-31
7.	IS : 1141—1973 Code of Practice for Seasoning of Timber. (First Revision).	S.O. 2939 dated 1975-09-06	No. 2 Jul 1984	Clause 0.4 has been substituted by a new one.	1984-07-31

*For purposes of ISI certification Marks Scheme: this amendment shall come into force with effect from 1986-03-01.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	IS : 1800—1981 Specification for geraniol (First Revision)	..	No. 1 May 1984	(1) (Page 6, Table 1, Sl. No. (ii), col 3)—Substitute '0.876 to 0.879 5' for '0.876 5 to 0.795'. (2) (Page 6, Table 1, Sl. No. (VIII), Col. 2, line 3)—Substituted Citroneuel' for 'Citronellol'	1984-05-31
9.	IS : 2720 (Part 7)—1980 Methods of test for soils part 7 determination of water content dry density relation using light compaction (Second Revision)	S.O. 1593 dated 1984-05-12	No. 2 Jul 1984	(1) (Page 4, clause 0.2, Note)—Substitute IS : 2720 (Part 8)—1983*' for 'IS : 2720 (Part VIII) —1974*' (2) Existing foot note with *' mark has been substituted by a new one (3) Clauses 3.7, 5.1.4, 5.3 and 6.2 have been amended (4) (Page 7, Note 2, lines 2 and 4)—Substitute 19 mm' for '20 mm' occurring at both places	1984-07-31
10.	IS : 2932—1974 Specification for enamel, synthetic, exterior, (a) undercoating, (b) finishing (First Revision)	S.O. 4697 dated 1975-11-01	No. 1 Mar 1979	(1) Clause 4.1 has been amended (ii) Clauses 5.1.1., 5.1.4 (a) and (b) 5.2.2. 5.2.2.2 and 8.1 have been amended (iii) (Page 10. clause 5.7)—Deleted. (iv) New matters have been added at the end of clause 5.1.1 after para 1 and 2. (v) New matter has been adde in Table 1.	1979-03-31
11.	IS : 3319—1980 Specification for blades, surgical detachable (bardparker type) and handles (Second Revision)	S.O. 4412 dated 1985-12-15	*No. 2 Mar 1984	(1) Fig. 14, Fig. 15, Fig. 16, Fig. 17, and Fig. 18 have been amended (2) (Page 2, Fig. 2)—Delete (taper dimensions '3.04 Max' 'and '6.35 Max'. wherever these appear. (3) (Page 3, Fig. 3)—Delete taper dimensions '3.96 Max' and '9.52 Max' wherever these appear.	1984-03-31
12.	IS : 3988—1981 specification for guar gum (First Revision)	S.O. 322 dated 1985-01-26	No. 1 Jun 1984	Existing clauses 6.2 to 6.2.3 have been substituted by a new one.	1984-06-30

For purposes of ISI Certification Marks Scheme : this amendment shall come into force with effect from 1986-03-01.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	IS : 41?31982 Specification for hain pipe wrenches (First Revision)	S.O. 223 dated 1986-01-25	No. 1 Jul 1984	Table 2 has been amended.	1984-0-31
14.	IS : 4228—1979 Specification for nylon tapes for aerospace purposes (First Revision)	S.O. 3450 dated 1982-12-02	No. 1 Jul 1984	(Page 4, clause 2.1, line 3)— Substitute '100' for '10'.	1984-07-31
15.	IS : 4517—1967 Specification for brush, welder's	S.O. 2578 dated 1968-07-20	No. 4 Jul 1984	Existing clause 4.1.4 has been substituted by a new one.	1984-07-31
16.	IS : 4810—1968 Specification for fumigation sheets and covers, rubberized.	S.O. 1906 dated 1969-05-17	No. 1 Jul 1984	New clause C-2 3.2.3 has been added after clause C-2. 3.2.2.	1984-07-31
17.	IS : 4826 —1979 Specification for hot-dipped galvanized coatings on round steel wires (First Revision)	S.O. 3450 dated 1982-12-02	No. 1 May 1984	(1) New clause 0.2.1 has been added after clause 0.2. (2) Appendix a has been added at page 8.	1984-05-31
18.	IS : 5608 (Part 4)—1984 Specification for low frequency wires and cables with PVC insultation and PVC sheath; Part 4 cables for indoor installations.	..	No. 1 Jul 1984	(Page 5, clause 3.2.3, last line)—Substitute 'recommended colours' for 'colours'.	1984-07-31
19.	IS : 5608 (Part 5)—1984 Specification for low frequency wires and cables with PVC insulation and PVC sheath; Part 5 signalling cables.	..	No. 1 Jul 1984	(Page 6, clause 3.2.4, line 3)— Substitute' 'recommended' for 'standard'	1984-07-31
20.	IS : 5608 (Part 6)—1984 Specification for low frequency wires and cables with PVC insulation and PVC sheath; Part 6 jumper wires.	..	No. 1 Jun 1984	(Page 5, clause 3.2.4., line 2) —Substitute 'recommended' for 'standard'.	1984-07-31
21.	IS : 6349—1981 Specification for tape, nylon, tubular for aerospace applications. (First Revision)	S.O. 1020 dated 1985-03-09	No. 1 Jul 1984	Clause 2.5 has been amended	1984-07-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	IS : 6554—1983 Specification for soldering ferrules of straight-through joints (First Revision)	..	No. 1 Jul 1984	(1) (Page 1, clause 1, line 3) —Substitute '33' kv' for '11 kv'. (2) (Page 3, explanatory Note, para 1;—Delete.	1984-07-31
23.	IS : 6747—1981 Specification for chewing gum and bubble gum (First Revision)	..	*No. 1 Jul 1984	(1) (Page 6, Table, Sl. No. (iv) ;—Delete and renumber the subsequent item, accordingly. (2) (Page 6, Table , col 3, against sl No. (v))— Substitute '80.0' for '70.0'.	1984-07-31
24.	IS : 8190 (Part 1)—1980 Requirements for packing of pesticides; Part 1 solid pesticides (First Revision)	S.O. 4412 dated 1985-12-15	No. 1 Apr 1982	(1) Table 1 (Page 5) Table 3 (Page 8) have been amended (2) New matter has been added at the end of clause 2.1 (3) (Page 8, Table 3, Sl No. (vii), col 3;—Add '(see Note 2); at the end of the sentence.	1982-04-30
25.	IS : 9055—1979 Specification for one time carbon paper	S.O. 2584 dated 1981-10-03	No. 1 Jul 1984	[Page 4, Table 1, col 2, against Sl No (ii)]—Delete the word 'Min'.	1984-07-31
26.	IS : 9138—1979 Specification for azotobacter chroococcum inoculants.	S.O. 1342 dated 1982-04-03	*No. 1 Jul 1984	Appendix D has been substituted by a new one	1984-07-31
27.	IS : 10425—1983 Specification for multichannel television tuner.	..	No. 1 Jul 1984	Existing title at first cover page, pages 1 and 3 has been substituted by a new one.	1984-07-31
28.	IS : 10579—1983 Specification for—for polyethylene (pe) insulation and seath of telecommunication cables.	..	No. 1 Jul 1984	(Page 5, clause 3.6.1, heading) —Substitute 'recommended colour' for 'Standard colours'.	1984-07-31

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme: this amendment shall come into force with effect from 1986-05-16.

*For purposes of ISI Certification Marks scheme; this amendment shall come into force with effect from 1984-10-16.

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Marak Bhawan 9 Bahadur Shah zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: Bombay, Calcutta, Chandigarh, and Madras and also from its Branch Offices: Ahemdabad, Bangalore, Bhopal, Bhubneshwar, Gauwahti, Hyderabad, Saipur, Kanpur, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13:5]

का.आ. 807.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड "ख" के अनसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक (कों) में संशोधन किया गया है/किये गये हैं।

अनुसूची

क्र. संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक की स्थापना की अधिसूचना छपी थी उसकी संख्या और तिथि	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 374-1979 विद्युत छत टाइप पंखे और रेग्यूलेटर की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 1020 दिनांक 1985-03-09	सं. 1 जून 1985	(1) पृष्ठ 5, खंड 3) शीर्षक से "तथा गतियाँ" शब्द हटा दें। (2) खंड 8.2 में संशोधन किया गया है।	1985-06-30
2.	IS : 455-1976 पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 3822 दिनांक 1979-11-24	सं. 5 मार्च 1985	खंड 5.4 (ख) के बाद मद सं. 3 जोड़ी गई है।	1985-03-31
3.	IS : 501-1976 आर्सेनिक अम्ल, तकनीकी और विश्लेषिक रीजेंट की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 419 दिनांक 1980-02-23	सं. 1 जनवरी 1985	खंड 2.1 में संशोधन किया गया है	1985-01-31
4.	IS : 655-1963 धातु वायु वाहिनी की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	का.आ. 1683 दिनांक 1963-06-22	सं. 2 अगस्त 1985	(1) वर्तमान खंड 2.1.1 की जगह नया खंड रखा गया। (2) वर्तमान खंड 2.1.2 को 2.1.4 नंबर दिया गया है। (3) पृष्ठ 4 पर अतिरिक्त पाद-टिप्पणी "+" चिन्ह के साथ जोड़ी गई है।	1985-08-31
5.	IS : 784-1978 पूर्व प्रतिबलित कंकरीट पाइपों का विशिष्टि (फिटिंगों सहित) (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 2271 दिनांक 1981-08-29	सं. 1 अगस्त 1985	(पृष्ठ 7, खंड 4.2.2.2 के नीचे औपचारिक तालिका) "900 मिमी तक" की जगह "90 मिमी" तक रखें।	1985-03-31
6.	IS : 1051-1980 पाइरेथ्रम-सार की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 1204 दिनांक 1985-03-30	सं. 1 अप्रैल 1985	(1) खंड 4.1, ए-2.6, ए-3.3.3 तथा ए-4.1 की जगह नये खंड रखे गए हैं। (2) खंड ए-3.3.2 के अंत में नई सामग्री जोड़ी गई है। (3) (पृष्ठ 9, खंड ए-4.2 तथा ए-4.3) हटा दें।	1985-04-30
7.	IS : 1223-1982 गरबर पद्धति द्वारा दूध में वसा ज्ञात करने के लिए उपकरणों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 2786 दिनांक 1986-08-09	*सं. 1 अप्रैल 1985	(पृष्ठ 7, आकृति 1) 10 प्रतिशत पैमाने के ब्यूरो-मीटर का अंशांकित भाग) "75 न्यून" की जगह "70 न्यून" है।	1985-04-30
8.	IS : 1384-1977 तैल दाब लालटेनों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 3171 दिनांक 1980-11-15	सं. 4 मार्च 1985	खंड 1.2 में संशोधन किया गया है	1985-03-31
9.	IS : 1392-1983 कांच की दूध की बोतलों की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	--	सं. 1 जून 1985	(पृ. 13, खंड सी-1.1, पंक्ति 1) "1000" की जगह "10000" करें।	1985-01-31
10.	IS : 1759-1980 फावड़े की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 2831 दिनांक 1985-06-22	सं. 2 मई 1985	(1) खंड 2-3 में संशोधन किया गया है (2) खंड II की जगह नया खंड रखा गया है (3) वर्तमान आकृति II की जगह नई रखी गई है। (4) आकृति 9 को आकृति 9ए पढ़े वर्तमान शीर्षक के लिए काही फावड़ा 2.2 कि.ग्रा. टाइप "ए" तथा नई आकृति 9ख जोड़ें।	1985-05-31

*आई एस आई प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजन के लिए यह संशोधन 1986-05-16 से प्रभावी होंगे।

1	(2)	(3)		(4)	
11.	IS : 1851-1974 इकहरे प्रचालक टाइप धर्क वेल्डन ट्रान्सफार्मरों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 2505 दिनांक 1979-07-21	सं. 3 अप्रैल 1985	खंड 3.6 की जगह नया खंड रखा गया है	1985-04-30
12.	IS : 1891 (भाग 1)-1978 रबड़ के वाहक और उत्थापक पट्टों की विशिष्टि भाग 1 सामान्य सोद्देश्य पट्टे (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 3274 दिनांक 1983-08-20	सं. 2 अप्रैल 1985	(1) खंड 5 तथा 7.2.1.1 में संशोधन किया गया है। (2) खंड 10 के अन्त में नया खंड 11 जोड़ा गया है।	1985-04-30
13.	IS. 2092-1983 प्लंजर टाइप डायल गेज की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	--	सं. 1 जून 1985	(1) पृ. 2, आकृति "एंड क्यू बैकलग" को (बकलिग' करें। (2) (पृ. 2, खंड 4.3.1, पहली लाइन)-- "मोष" की जगह "मून" करें।	1935-01-31
14.	IS : 2580-1982 सीमेंट की पैकिंग के लिए जूट के बोरों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 3994 दिनांक 1985-08-24	सं. 2 जनवरी 1985	(1) खंड 3.2 और 3.3 में संशोधन किया गया है। (2) तालिका 1 और 2 में संशोधन किया गया है तथा कोष्ठक में दी तालिका 2 की टिप्पणी 3 भी बदली गई है।	1985-01-31
15.	IS : 2494-1974 औद्योगिक कार्यों के लिए वी आकृति में पट्टों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 1596 दिनांक 1979-05-19	सं. 4 जून 1985	खंड 5.2.1 के बाद नई टिप्पणी जोड़ी गई	1985-06-30
16.	IS : 2681-1979 तालों के साथ प्रयुक्त अलोह धातु के सरकवां दरवाजों के कावलों (आल्ड्राप्स) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 1342 दिनांक 1984-04-03	सं. 2 जनवरी 1985	(1) तालिका 2 तथा 2 में संशोधन किया गया है। (2) आकृति 1 में संशोधन किया गया है।	1985-01-31
17.	IS : 2865-1978 मिथाइल पैराथियान पायसनीय सान्द्रों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 3416 दिनांक 1980-04-03	सं. 2 जून 1985	(1) टिप्पणी सहित खंड 2.1.1, 2.3.1 तथा 4.1 के स्थान पर नये रखे गये हैं। (2) खंड 2.2.2, 2.2.2, 2.2.5, 2.3.2 और 3.1 में संशोधन किया गया है। (3) पृ. 4 तथा 5 पर "+" चिन्ह की बाद टिप्पणी के स्थान पर नई रखी गई है। (4) खंड 2.3.1.1 के स्थान पर नया खंड 2.3.1.2 जोड़ा गया है।	1985-06-30
18.	IS : 3150-1982 सामान्य प्रयोजनों के लिए षटकोणीय तार वाली जालों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 223 दिनांक 1986-01-25	सं. 1 जून 1985	तालिका 3 में संशोधन किया गया है	1985-06-30
19.	IS : 3625 (भाग 1)-1983 बलय वपन तथा दोहरे तकुओं के लिए संवलन नलिकाएं भाग 1 सामान्य (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 3975 दिनांक 1986-11-29	सं. 1 मार्च 1985	(1) (आवरण पृष्ठ, शीर्षक पृष्ठ तथा पृष्ठ 3) भाग 1 के शीर्षक की जगह "सामान्य" के लिए विशेष अपेक्षाएं" करें। (2) आकृति 1 तथा 2 में संशोधन किया गया है।	1935-03-31
20.	IS : 3652-1982 पावदान वाले छिड़काव यंत्र (तीसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 3992 दिनांक 1985-08-24	सं. 1 फरवरी 1995	तालिका 1 में संशोधन किया गया है	1985-02-28
21.	IS : 3976-1982 खनिकों के लिए रबड़ कैनवस के सुरक्षा जूते (दूसरा पुनरीक्षण)	--	सं. 1 जून 1985	खंड 4.2.6, 4.4.1 तथा 4.5.1.1 में संशोधन किया गया है।	1985-06-30
22.	IS : 4274-1967 वैनिला इस (वैनीलिन) की विशिष्टि	का.आ. 4633 दिनांक 1967-12-30	सं. 1 अप्रैल 1985	(पृष्ठ 5 तालिका 1, क्र.सं. (ii), स्तम्भ (3)-- "81.5" की जगह "81 से 83" करें	1985-04-30

1	2	3	4	5	6
23.	IS : 4536(भाग 1)–1968 सम्मिश्र संग्रथित तले वाले स्टेनलेस इस्पात के खाना बनाने के बर्तन भाग 1 बिजली द्वारा तौंक चढ़ाये	का.आ. 2766 दिनांक 1968-08-10	सं० 3 मार्च 1985	खंड 3.1 में संशोधन किया गया है	1985-05-31
24.	IS : 4600–1968 नम्य शॉफटों की विशिष्टि	का.आ. 3152 दिनांक 1968-09-14	सं. 3 जुलाई 1985	(1) (पृष्ठ 5 आकृति 1)—से "पी वी सी आउटर" हटाएं। (2) वर्तमान वत् खंड 4 तथा 4.1 की जगह नये खंड रखे गये हैं	1985-07-31
25.	IS : 5031–1978 धातु पर खाका बनाने की मटी (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 1728 दिनांक 1981-01-13	सं. 1 अप्रैल 1985	वर्तमान खंड 5.4 की जगह नया खंड 1 रखा गया है।	1985-04-30
26.	IS : 5175-1982 पोलीप्रोपाइलीन की रस्सियां अटाईदार (3 लड़वाले अटाईदार तथा 8 लड़वाले संग्रथित (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 2786 दिनांक 1986-08-09	*सं. 1 जून 1985	तालिका 1 में संशोधन किया गया है	1985-04-30
27.	IS. 5191–1969 सोडियम एल्जिनेट खाद्य ग्रेड की विशिष्टि	का.आ. 89 दिनांक 1970-01-10	*सं. 1 अगस्त 1985	तालिका 1 में संशोधन किया गया	1985-08-31
28.	IS : 5290–1983 अवतरण वाल्वों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 3669 दिनांक 1986-10-25	सं. 1 जुलाई 1985	वर्तमान आकृति 3 तथा 4 (पृष्ठ 7 तथा 8) की जगह नई आकृति रखी गई है।	1985-07-31
29.	IS : 5520–1969 (भारी ड्यूटी बूटों के लिए लकड़ी के फर्मे	का.आ. 2110 दिनांक 1971-05-29	–वही–	1. खंड 4.4.2 में संशोधन किया गया है 2. तालिका 1 की जगह नई तालिका रखी गयी है।	1985-07-31
30.	IS : 6583–1972 रेलगाड़ियों में प्रकाश से संबंधित पट्टों की विशिष्टि	का.आ. 1853 दिनांक 1974-07-27	सं. 4 जून 1985	खंड 4.1 तथा 3.5.1 में संशोधन किया गया है।	1985-06-30
31.	IS : 6595–1980 कृषि कार्यों के लिए साफ, ठंडे ताजे पानी के लिए क्षैतिज, अपकेन्द्री पम्पों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 2148 दिनांक 1985-05-18	सं. 3 अगस्त 1985	1. खंड 1, 9.1.3 तथा 11.2 की जगह नये खंड रखे गए हैं। 2. खंड 5.1 में संशोधन किया गया है। 3. पृष्ठ 2, खंड 9.1.2) हटाये 4. (पृष्ठ 2, खंड 11.5)—हटायें	1985-08-31
32	IS : 7328–1976 ढलाई और कटाई (एक्ट्रूजन) के लिए उच्च घनत्व पाली-इथाइलीन सामग्रियों की विशिष्टि	का.आ. 987 दिनांक 1976-03-06	सं. 1 फरवरी 1985	खंड 4.4 की जगह नया खंड रखा गया है।	1985-02-28
33.	IS : 7532–1974 मृदु साबुन की विशिष्टि	का.आ. 1892 दिनांक 1977-06-11	सं. 1 जनवरी 1985	(पृष्ठ 7, खंड ए-2.1, पंक्ति 5) "नीले" की जगह (गुलाबी) करें।	1985-01-31
34.	IS : 7587 (भाग 4)–1975 खानों में वेस्टन के लिए फेस निर्लजन गियर की विशिष्टि भाग 4 ब्राइडल चेन	का.आ. 1892 दिनांक 1977-06-11	सं. 3 जनवरी 1985	वर्तमान खंड 7.1 की जगह नया खंड रखा गया है।	1985-06-30
35.	IS : 7976–1976 फोरेट, तकनीकी की, विशिष्टि	का.आ. 1595 दिनांक 1979-03-19	सं. 1 फरवरी 1985	1. तालिका 1 में संशोधन किया गया है 2. टिप्पणियों सहित खंड 3.1 तथा 4.1 की जगह नये खंड रखे गए हैं। 3. (पृष्ठ 6)—निम्नलिखित पाद टिप्पणी जोड़ें— कीटनाशी की पैकिंग की अपेक्षाएं : भाग 2 द्रव कीटनाशी (पहला पुनरीक्षण) 4. (पृष्ठ 7, खंड 3.2 (छ)–हटायें 5. (पृष्ठ 7, खंड 3.2.1)—हटायें 6. खंड 5.2 में संशोधन किया गया है।	1985-02-28

*आई एस आई प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजन के लिए यह संशोधन 1986-05-16 से प्रभावी होंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				7. * तथा "+" चिन्हों सहित वर्तमान पाद टिप्पणियों की जगह नई रखी गई है। 8. खंड ए-2.3.1 के वर्तमान समीकरण की जगह नया रखा गया है।	
36.	IS : 8445-1977 के वनडेजिम (एस बी सी), तकनीकों की विशिष्टि	का.आ. 618 दिनांक 1980-03-15	सं. जनवरी 1985	1. तालिका 1 में संशोधन किया गया है। 2. "*" चिन्ह (तालिका 1) सहित वर्तमान पाद टिप्पणी की जगह नई रखी गई है। 3. खंड 4.1 की वर्तमान टिप्पणी की जगह नई रखी गई है। 4. "*" चिन्ह सहित खंड 4.1 की वर्तमान पा टिप्पणी (पृष्ठ 5) की जगह नई रखी गई है। 5. खंड ए-1, 4.1 में संशोधन किया गया है।	1985-01-31
37.	IS : 8541-1977 फर्श की पालिश, पेस्ट की विशिष्टि	का.आ. 1995 दिनांक 1980-07-26	सं. 1 अप्रैल 1985	1. तालिका 1 में संशोधन किया गया है 2. खंड 3.6, 4.1.5, ए-1.1 तथा ए-1.2 में संशोधन किया गया है। 3. खंड 4.2 (एफ) के बाद नई टिप्पणी जोड़ी गई है।	1985-04-30
38.	IS : 8737 (भाग 1)-1979 5 लिटर से अधिक पानी की क्षमता वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) सिलिंडरों के साथ प्रयुक्त वाल्व फिटिंगों की विशिष्टि भाग 1 मरम्मत के कार्यों के लिए वाल्व फिटिंग	का.आ. 2862 दिनांक 1981-10-17	सं. 3 जनवरी 1985	1. (IS : 8737 (भाग 1)-1979 का संशोधन स. 2 दिनांक जनवरी 1983)-यह संशोधन वापस लिया गया। 2. आकृति 5 में संशोधन किया गया 3. तालिका 5 में संशोधन किया गया 4. खंड 10.1 (क) की वर्तमान सामग्री की जगह नई सामग्री रखी गई है।	1985-01-31
39.	IS : 8737 (भाग 2)-1978 5 लिटर से अधिक पानी की क्षमता वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) सिलिंडरों के साथ प्रयुक्त वाल्व फिटिंगों की विशिष्टि भाग 2 नवनिर्मित एल पी जी सिलिंडरों के लिए वाल्व फिटिंग	--	सं. 3 अप्रैल 1985	1. IS : 8737 (भाग 2) का संशोधन सं. 2, दिनांक जनवरी 1983)-संशोधन संख्या 2 वापस लिया गया। 2. (पृष्ठ 14, तालिका 4, स्तम्भ 6) दोनों जगह "0.127" की जगह "0.13" करें। 3. (पृष्ठ 18, खंड 10.1 (क)-वर्तमान सामग्री की जगह निम्नलिखित करें "101 (क) निर्माण की तिमाही तथा वर्ष	1985-04-30
40.	IS : 8808-1978 तेल दाब चूल्हों तथा तेल दाब तापकों के लिए बर्नर की विशिष्टि	का.आ. 2001 दिनांक 1981-07-25	सं. 2 अप्रैल 1985	खंड 4.1 में संशोधन किया गया है	
41.	IS : 8960-1978 मिथाइल पेराथियन धूलन चूर्ण की विशिष्टि	का.आ. 2274 दिनांक 1981-08-29	सं. 1 जून 1985	1. खंड 2.1.1, 2.3, 3.1 तथा 4.1 की जगह नये खंड रखे गये हैं। 2. तालिका 1 में संशोधन किया गया है तथा वर्तमान पाद टिप्पणियां * † ‡ चिन्हों सहित की जगह नई टिप्पणियां रखी गई हैं। 3. खंड 2.3.1 के बाद नया खंड 2.3.2 जोड़ा गया है। 4. (पृष्ठ 5, "*" "+" "‡" §) तथा "11" चिन्हों सहित पाद टिप्पणी) निम्नलिखित को रखें--	1985-06-30

*आई एस आई प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजन के लिए यह संशोधन 1986-06-01 से प्रभावी होंगे।

*आई एस आई प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजन के लिए यह संशोधन 1985-12-11 से प्रभावी होंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				*मिथाइल पैराथियान, तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) *कीटनाशी की पैकिंग की अपेक्षाएं भाग 1 ठोस कीटनाशी (पहला पुनरीक्षण) (5) खंड 6 खंड 3 2.1)—हटायें (6) खंड 5.1.1 में संशोधन किया गया है (7) "*" तथा "+" चिन्हों सहित वर्तमान पाद टिप्पणियों की जगह नयी रखी गई है।	
45. IS : 9020–1979 पावर ओशरों के लिए सामान्य तथा सुरक्षा अपेक्षाएं	का.आ. 2271 दिनांक 1981-08-29	*सं. 4 मार्च 1985	1. पहले आवरण पृष्ठ का शीर्षक पृष्ठ 1 तथा 3 निम्नानुसार बदले गये हैं :— "पावर ओशरों की सामान्य तथा सुरक्षा अपेक्षाओं" के स्थान पर "पावर ओशरों की सुरक्षा अपेक्षाएं" 2. मेज 0.3 तथा 1.1 से शब्द "सामान्य तथा" हटा लिए गए हैं।	1985-03-31
43. IS : 9048–1982 पुनर्परिष्कृत स्वच्छल आंतरिक दहन इंजिन स्नेहक तेल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 2882 दिनांक 1986-08-16	सं. 1 अप्रैल 1985	(पृष्ठ 13, खंड 6.2.1)—हटायें		1985-04-30
44. IS : 9968 (भाग 1)–1981 इलैक्ट्रोयर रोधी केबलों की विशिष्टि भाग 1—1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए	—	सं. 1 अप्रैल 1985	(पृष्ठ 6 खंड 7.1)— का अंतिम वाक्य हटायें		1985-04-30
45. IS : 10325–1982 वनस्पति तथा खाद्य तेलों के लिए 15 कि.ग्रा. के चौकोर टीनों की विशिष्टि	का.आ. 3103 दिनांक 1986-09-13	सं. 1 अप्रैल 1985	1. (पृष्ठ 4—खंड 3.3.1 पंक्ति 2)— "0.29" की जगह 0.30 प्रतिस्थापित करें। 2. आकृति 5 में संशोधन किया गया है।		1985-04-30

*आई एस आई प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजन के लिए यह संशोधन 1986-05-01 से प्रभावी होंगे।

इन भारतीय मानकों की प्रतियां बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002 तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों: बम्बई, चंडीगढ़ तथा मद्रास व इसके शाखा कार्यालयों, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना तथा त्रिवेन्द्रम में उपलब्ध हैं।

[सं. सी.एम.डी./13 : 5]

S.O. 807.—In pursuance of clause (b) of Sub Rule (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notified that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule thereto annexed has/have been issued.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standard amended	No. and date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the Amendment	Brief Particulars of the Amendment	Date from which the Amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 374–1979 Specification for electric ceiling type fans and regulators (third revision)	S.O. 1020 dated 1985-03-09	No. 1 June 1985	(i) (Page 5, clause 3) Delete the words 'AND Speeds' from the title. (ii) Clause 8.2 has been amended	1985-06-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	IS : 455–1976 Specification for portland slag cement (third revision)	S.O. 3822 dated 1979-11-24	No. 5 March 1985	Item 'C' has been added after clause 5.4 (b)	1985-03-31
3.	IS : 501–1976 Specification for oxalic acid, technical and analytical regent (second revision)	S.O. 419 dated 1980-02-23	No. 1 Jan. 1985	Clause 2.1 has been amended	1985-01-31
4.	IS : 655–1963 Specification for metal air ducts (revised)	S.O. 1683 dated 1963-06-22	No. 2 Aug. 1985	(i) Existing clause 2.1.1 has been substituted by new one (ii) Existing clause 2.1.2 has been renumbered as 2.1.4 (iii) Additional foot-note with '+' mark has been added at page 4	1985-08-31 a
5.	IS : 784–1978 Specification for prestressed concrete pipes (including fittings) (first revision)	S.O. 2271 dated 1981-08-29	No. 1 March 1985	(i) (Page 7, informal table below clause 4.2.2.2)—Substitute 'Up to 900 mm' for 'Up to 90 mm'	1985-03-31
6.	IS : 1051–1980 Specification for pyrethrum extracts (second revision)	S.O. 1294 dated 1985-03-30	No. 1 Apr. 1985	(i) Clauses 4.1, A-2.6; A-3.3.3 and A-4.1 have been substituted by new ones. (ii) New matter has been added at the end of the clause A-3.3.2 (iii) (Page 9, Clauses A-4.2 and A-4.3)—Delete.	1985-04-30
7.	IS : 1223–1982 Specification for apparatus for determination of milk fat by gerber method (second revision)	S.O. 2786 dated 1986-08-09	*No. 1 Apr. 1985	(Page 7, Fig. 1 graduated portion of the butyrometer for 10 per cent scale)—Substitute '70 min.' for '75 min.'	1985-04-30
8.	IS : 1384–1977 Specification for oil pressure lanterns (second revision)	S.O. 3171 dated 1980-11-15	No. 4 Mar. 1985	Clause 4.2 has been amended	1985-03-31
9.	IS : 1392–1983 Specification for glass milk bottles (third revision)	—	No. 1 Jan. 1985	(Page 13, clause C-1.1, line 1)—Substitute '10 000' for '1 000'.	1985-01-31
10.	IS : 1759–1980 Specification for powrahs (first revision)	S.O. 2831 dated 1985-06-22	No. 2 May 1985	(i) Clause 2.3 has been amended (ii) Clause 11 has been substituted by a new one (iii) Existing figure 11 has been substituted by a new one (iv) Fig. 9—Read Fig. 9A KAHI POWRAH 2.2 kg TYPE 'A' for the existing caption and add a new Fig. 9B :—	1985-05-31

*For the purposes of ISI Certification Marks Schemes : this amendment shall come into force with effect from 1986-05-16 :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	IS : 1851–1975 Specification for single operator type are welding transformers (second revision)	S.O. 2505 dated 1979-07-21	No. 2 Apr. 1985	Clause 3.6 has been substituted by a new one	1985-04-30
12.	IS : 1891 (Part 1)—1978 Specification for rubber conveyor and elevator belting : part 1 General purpose belting (second revision)	S.O. 3274 dated 1983-08-20	No. 2 Apr 1985	(i) Clause 5 and 7.2.1.1 have been amended (ii) New cluase 11 has been added at the end of clause 10	1985-04-30
13.	IS : 2092–1983 Specification for plunger type dial gauges (first revision)	—	No. 1 Jan. 1985	(i) (Page 2 Fig. 1, End View) Substitute 'BACK LUG' for 'BUCKLING' (ii) (Page 2, clause 4.3.1, first line)—Substitute 'move for 'movr'.	1985-01-31
14.	IS : 2580–1982 Specification for jute sacking bags for packing cement (second revision)	S.O. 3994 dated 1985-08-24	No. 2 Jan. 1985	(i) Clauses –3.2 and 3.3 have been amended (ii) Tables 1 and 2 have been amended and Note 3 of table 2 appearing in also parenthesis has been substituted	1985-01-31
15.	IS : 2494–1974 Specification for v-belts for industrial purposes (first revision)	S.O. 1596 dated 1979-05-19	No. 4 June 1985	New Note has been added after clause 5.2.1	1985-06-30
16.	IS : 2681–1979 Specification for non-ferrous metal sliding door bolts (aldrops) for use with padlocks (second revision)	S.O. 1342 dated 1982-04-03	No. 2 Jan. 1985	(i) Table 2 and 3 have been amended (ii) Fig. 1 has been amended	1985-01-31
17.	IS : 2865–1978 Specification for methy parathion emulsifiable concentrates (first revision)	S.O. 3416 dated 1980-12-13	No. 2 June 1985	(i) Clause 2.1.1,2.3.1 and 4.1 with note have been substituted by new one (ii) Clauses 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.2 and 3.1 have been amended (iii) Existing footnotes with '*' and '--' marks pages 4 and 5 have been substited by new ones. (iv) New clause 2.3.1.2 has been added after clause 2.3.1.1	1985-06-30
18.	IS : 3150–1982 Specification for hexagenal wire netting for general purposes (second revision)	S.O. 223 dated 1986-01-25	No. 1 Jun 1985	Table 3 has been amended	1985-06-30
19.	IS : 3125 (Part 1)–1983 Specification for warp tubes for ring spinning and doubling spinodles Part 1 Geneal (second revision)	S.O.3975 dated 1986-11-29	No. 1 March 1985	(i) (Cover page, title page and page 3) –Against title of part 1, substitute 'SPECIFIC REQUIREMENTS' for 'GENERAL' (ii) Fig. 1 and 2 have been amended	1985-03-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	IS : 3652–1982 Specification for foot sprayer (third revision)	S.O. 3992 dated 1985-08-24	No. 1 Feb. 1985	Table 1 has been amended	1985-02-28
21.	IS : 3976–1982 Specification for safety rubber-canvas boots for miners (second revision)	—	No. 1 June 1985	Clauses 4.2.6, 4.4.1 and 4.5.1.1 have been amended	1985-06-30
22.	IS : 4272–1967 Specification for vanillin	S.O. 4633 dated 1967-12-30	No. 1 Apr. 1985	(Page 5, Table 1 Sl. No. (ii), Col (3)—Substitutes '81 to 83, for '81.5'.	1985-04-30
23.	IS : 4536 (Part 1)–1968 Specification for composite Letters stainless steel Cooking utensils Part I Copper electro depoited.	S.O. 2766 dated 1968-08-10	No. 3 March 1985	Clause 3.1 has been amended	1985-03-31
24.	IS : 4600–1968 Specification for flexible shafts	S.OM 3152 dated 1968-09-14	No. 3 July 1985	(i) (Page 5 Fig. 1)—Delete 'PCIOUTER' from Fig. 1 (ii) Existing clauses 4 and 4.1 have been substituted by new ones	1985-07-31
25.	IS : 5031–1978 Specification for metalfslitting saws (first revision)	S.O. 1728 dated 1981-01-13	No. 1 Apr. 1985	Existing clause 5.4 has been substituted by a new one	1985-04-30
26.	IS : 5175–1982 Specification for polypropylene ropes (3-strand hawser-laid and 8-strand plaited) (first revision)	S.O. 2786 dated 1986-08-09	*No. 1 June 1985	Table 1 has been amended	1985-06-30
27.	IS : 5191–1969 Specification for sodium alginate food grade	S.O. 89 dated 197'-01-10	*No. 1 Aug. 1985	Table 1 has been amended	1985-08-31
28.	IS : 5290–1983 Specification for landing valves (second revision)	S.O. 3669 dated 1986-10-25 [	No. 1 July 1985	Existing figures 3 and 4 (Pages 7 and 8) have been substituted by new ones	1985-07-31
29.	IS : 5520–1969 Specification for wooden lasts for heavy duty boots	S.O. 2110 dated 1971-05-29	No. 1 July 1985	(i) Clause 3.412 has been amended (ii) Table 1 has been substituted by a new one	1985-07-31
30.	IS : 6583-1972 Specification for train lighting belting	—S.O. 1853 dated 1974-07-27	No. 4 June 1985	Clauses 4.1 and 3.5.1 have been amended	1985-06-30

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; these amendment shall come into force with effect from 1986-05-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	IS: (6595-1980 Specification for horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes (first revision)	S.O. 2148 dated 1985-05-18	No. 3 Aug. 1985	(i) Clauses 1,9.1.3 and 11.2 have been substituted by new ones (ii) Clause 5.1 has been amended (iii) (Page 2, clause 9.1.2–Delete. Substitute the (iv) (Page 2, clause 11.5)—Delete.	1985-08-31
32.	IS : 7328–1974 Specification for high density polyethylene materials for moulding and extrusion	S.O. 987 dated 1976-03-06	No. 1 Feb. 1985	Clause 4.4 has been substituted by a new one	1985-02-28
33.	IS : 7532–1974 Specification for soft soap	S.O. 1892 dated 1977-06-11	No. 1 Jan. 1985	(Page 7, clause A-2.1, line 5) Substitute 'blue' for 'pink'	1985-01-31
34.	IS : 7587 (Part 4)—1975 Specification for cage suspension gear for winding in mines : Part 4 Bridle chains	S.O. 1892 dated 1977-06-11	No. 3 Jan. 1985	Existing clause 7.1 has been substituted by a new one	1985-06-30
35.	IS : 7976–1976 Specification for phorate technical	S.O. 1595 dated 1979-05-19	No. 1 Feb. 1985	(i) Table 1 has been amended (ii) Clauses 3.1 and 4.1 with its note have been substituted by new ones (iii) (Page 6)—Add the following foot-note : *Requirements for packing of pesticides : Part II Liquid pesticides (first revision): (iv) (Page 7, clause 3.2 (g)) —Delete. (v) (Page 7, clause 3.2.1)—Delete. (vi) Clauses 5.2 has been amended (vii) Existing foot-notes with '*' and '—' marks have been substituted by new ones (viii) Existing equation of clause A-2.3.1 has been substituted by a new one	1985-02-28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	IS : 8445–1977 Specification for carbendazim (MBC), technical	S.O. 618 dated 1980-03-15	No. 2 Jan. 1985	(i) Table 1 has been amended (ii) Existing foot-note with '*' mark (Table 1) has been substituted by a new one (iii) Existing clause 4.1 with note has been substituted by new one (iv) Existing foot-note with '*' mark (Page 5) has been substituted by a new one (v) Clauses A-1.4.1 has been amended	1985-01-31
37.	IS : 8541–1977 Specification for floor polish, paste.	S.O. 1995 dated 1980-07-26	*No. 1 Apr. 1985	(i) Table 1 has been amended (ii) Clauses 3.6, 4.1.3, A-1.1 and A-1.2 have been amended (iii) A new 'Note' has been added after clause 4.2(f)	1985-04-30
38.	IS : 8737 (Part 1)–1979 Specification for valve fitting for use with liquefied petroleum gas (LPG) cylinders of more than 5 litre water capacity : Part 1 Valve fittings for replacement purposes	S.O. 2862 dated 1981-10-17	No. 3 Jan. 1985	(i) (Amendment No. 2 dated January 1983 to IS: 8737 (Part 1)—1979) —Withdraw this amendment (ii) Fig. 5 has been amended (iii) Table has been amended (iv) Existing matter of clause 10.1 (a) has been substituted by a new one	1985-01-31
39.	IS : 8737 (Part 2)—1978 Specification for valve fittings for use with liquefied petroleum gas (LPG) cylinders of more than 5 litre water capacity Part 2 Valve fittings for newly manufactured LPG cylinders	—	**No. 3 Apr. 1985	(i) (Amendment No. 2 dated January 1983 to IS : 8737 (Part 2)—withdraw Amendment No. 2) (ii) Page 14, Table 4, column 6)—Substitute '0.13' for '0.127' at both the places. (iii) (Page 18, clause 10.1 (a)—Substitute the following for the existing matter : '101 (a) Quarter and year of manufacture.'	1985-04-30

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1986-06-01.

**For purposes of ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1985-12-11.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40.	IS : 8808–1978 Specification for burners for oil pressure stoves and oil pressure heaters	S.O. 200. dated 1981-07--p	No. 2 Apr. 1985	Clause 4.1 has been amended	1985-04-30
41.	IS : 8960–1978 Specification for methyl parathion dusting powders	S.O. 2274 dated 1981-09, 0	No. 1 Jan. 1985	(i) Clause 2.1.1, 2.3, 3.1 and 4.1 have been substituted by new ones. (ii) Table 1 has been amended and existing foot-notes with '*' '†', '‡' marks have been substituted by new ones (iii) New clause 2.3.2 has been added after clause 2.3.1 (iv) (Page 5, foot-notes with '*', '†['‡' ':' and '11' marks)— Substitute the following for the existing foot-notes : *Specification for methyl parathion technical (first revision) +Requirements for packing of pesticides :Part 1 Solid pesticides (first revision) (v) (Page 6, clause 3.2.1)— Delete. (vi) Clause 5.1.1 has been amended (vii) Existing foot-note with '*' and '†' marks (Page 6) have been substituted by new ones	1985-06-30
42.	IS : 9020-1979 General and safety requirements for power threshers	S.O. 2271 dated 1981-08-29	*No. 4 Mar. 1985	(i) Title at first cover page, pages 1 and 3 as indicated below : Substitute 'Safety requirements for power threshers' for 'General and Safety requirements for power threshers' (ii) The words 'general and' has been deleted from gauses 0.3 and 1.1	1985-03-31

*For purpose of ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1986-05-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	IS : 9048–1982 Specification for re-refined automotive internal combustion engine lubricating oils (first revision)	S.O. 2882 dated 1986-08-16	No. 1 Apr. 1985	(Page 13, clause 6.2.1) — Delete	1985-04-30
44.	IS : 9968 (Part 1)–1981 Specification for elastomer insulated cables; Part 1 For working voltages upto and including 1 100 volts		No. 1 Apr. 1985	(Page 6, clause 7.1)—Delete the last sentence	1985-04-30
45.	IS : 10325–1982 Specification for 15 kg. square tins for vanaspati and edible oils	S.O. 3103 dated 1986-09-13	No. 1 Apr. 1985	(i) (Page 4, clause 3.3.1, line 2)—Substitute '0.29' for '0.30' (ii) Fig. 5 has been amended	1985-04-30

*Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, 9 Bahadur Shah Zafa Marg, New Delhi-110002, ond Regional offices : Bombay, Calcutta, Chandigarh and Madras and also from its branch offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Gauwahati, Hyderabad Jaipur Kanpur, Patna.

[No. CMD/1315]

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1990

का. आ. 808:— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गए मानक (को) में संशोधन किया गया है किये गये हैं।

अनुसूची

क्र. सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक की स्थापना की अधिसूचना	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
1.	IS: 34–1975	का. आ. 1595 दिनांक 1979-05-19	सं. 1 नवम्बर 1987	1987-11-30
2.	IS: 55–1970	का. आ. 1635 दिनांक 1972-07-08	सं. 1 नवम्बर 1987	1987-11-30
3.	IS: 62–1950	——	सं. 2 नवम्बर 1987	1987-11-30
4.	IS: 411–1981	का. आ. 324 दिनांक 1985-01-26	सं. 1 नवम्बर 1987	1987-11-30
5.	IS: 1063–1963	का. आ. 2370 दिनांक 1973-08-24	सं. 5 मई 1986	1987-05-30
6.	IS: 1084–1983	का. आ. 4276 दिनांक 1986-12-27	सं. 1 अक्तूबर 1987	1987-10-31
7.	IS: 1084–1983	—वही—	*सं. 2 जून 1988	1988-06-30
8.	IS: 1597–1967	का. आ. 3734 दिनांक 1967-10-21	सं. 2 अक्तूबर 1987	1987-10-31
9.	IS: 1422–1983	का. आ. 3796 दिनांक 1986-11-09	सं. 1 अप्रैल 1987	1987-04-30

*भारतीय ब्यूरो प्रमाणन योजना के प्रयोजन हेतु ये संशोधन दिनांक 1988-08-16 से प्रभावी होंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	IS: 1668–1977	का. आ. 2178 दिनांक 1981-08-15	सं. 1 नवम्बर 1987	1987-11-30
11.	IS: 1978–1982	का. आ. 4276 दिनांक 1986-12-27	सं. 1 नवम्बर 1987	1987-11-30
12.	IS: 2403-1975	का. आ. 1597 दिनांक 1979-05-19	सं. 3 जनवरी 1988	1988-01-31
13.	IS: 2486 (भाग 1) – 1971	का. आ. 1853 दिनांक 1974-08-27	सं. 3 मार्च 1987	1987-03-31
14.	IS: 3062–1982	का. आ. 223 दिनांक 1986-01-25	सं. 1 अक्तूबर 1987	1987-10-31
15.	IS: 3829 (भाग 1)–1978	का. आ. 2663 दिनांक 1981-10-17	सं. 4 जनवरी 1988	1988-01-31
16.	IS: 3832–1986	—	सं. 1 अक्तूबर 1987	1987-10-31
17.	IS: 3989–1984	—	सं. 1 मार्च 1988	1988-03-31
18.	IS: 4034 (भाग 1)–1978	का. आ. 1341 दिनांक 1982-04-03	सं. 1 मई 1993	1983-05-31
19.	IS: 4605–1981	का. आ. 749 दिनांक 1983-02-23	सं. 1 जुलाई 1987	1987-07-31
20.	IS: 4989 (भाग 1) – 1985	—	सं. 1 जून 1987	1987-06-30
21.	IS: 5414–1969	का. आ. 1509 दिनांक 1970-04-25	सं 1 सितम्बर 1987	1987-09-30
22.	IS: 5424–1969	का. आ. 1236 दिनांक 1970-04-09	सं 4 नवम्बर 1987	1987-11-30
23.	IS: 5430–1981	का. आ. 1294 दिनांक 1985-03-30	*सं. 1 नवम्बर 1987	1987-11-30
24.	IS: 6438–1980	का. आ. 219 दिनांक 1984-01-21	सं. 1 नवम्बर 1987	1987-11-30
25.	IS: 7371–1982	का. आ. 2998 दिनांक 1985-08-24	सं. 1 जनवरी 1988	1988-01-31
26.	IS: 7452–1982	का. आ. 3451 दिनांक 1986-10-04	सं. 1 नवम्बर 1987	1987-11-30
27.	IS: 8025–1983	का. आ. 462 दिनांक 1987-02-14	सं. 1 जनवरी 1988	1988-01-31
28.	IS: 8042–1978	का. आ. 2274 दिनांक 1981-08-29	सं. 6 जनवरी 1988	1988-01-31
29.	IS: 8074–1983	का. आ. 3975 दिनांक 1986-11-29	सं. 3 जून 1988	1988-06-30
30.	IS: 8472–1977	का. आ. 1606 दिनांक 1980-06-14	सं. 2 सितम्बर 1987	1987-09-30
31.	IS: 8783–1978	का. आ. 2001 दिनांक 1981-07-25	सं. 1 दिसम्बर 1982	1982-12-31
32.	IS: 9359–1980	का. आ. 358 दिनांक 1983-06-15	सं. 2 मार्च 1987	1987-03-31
33.	IS: 9362–1980	का. आ. 2274 दिनांक 1983-08-20	सं. 2 सितम्बर 1987	1987-09-30

*भा मा ब्यूरो प्रमाणन योजना के प्रयोजन हेतु ये संशोधन दिनांक 1988-08-01 से प्रभावी होंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	IS: 9900 (भाग 1)-1981	का. आ. 3336 दिनांक 1985-07-20	सं. 1 नवम्बर 1987	1987-11-30
35.	IS: 9900 (भाग 2)-1981	का. आ. 2147 दिनांक 1985-05-18	सं. 2 जून 1988	1988-08-30
36.	IS: 9974 (भाग 1) - 1981	का. आ. दिनांक 1294 1985-03-30	सं. 2 जनवरी 1988	1988-01-31
37.	IS: 10319–1982	का. आ. 223 दिनांक 1986-01-25	सं. 1 जून 1988	1988-06-30
38.	IS: 10775-1984	का. आ. 296 दिनांक 1987-01-31	1 मार्च 1988	1988-02-31
39.	IS: 11226–1985	का. आ. 1356 दिनांक 1987-05-30	सं. 2 जुलाई 1988	1988-07-31

ये संशोधन बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास तथा शाखा कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में उपलब्ध हैं।

[सं. मी. एम. डी. 1:5]

New Delhi, the 22nd February, 1990

S.O. 808 In pursuance of Sub-Rule (b) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed have been issued under the powers conferred by under the said rule.

THE SCHEDULE

Sl. No. and year of the Indian No. Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian standard was notified.	No(and date of the amendment	Date from which the amendment shall have effect.
1. IS:34-1975	S·O. 1595 dated 1979-05-19	No. 1 Nov. 1987	1987-11-30
2. IS:55–1970	S.O. 1635 dated 1972-07-08	No. 1 Nov 1987	1987-11-30
3. IS:62–1350	—	No. 2 Nov. 1987	1987-11-30
4. IS: : 411–1981	S.O. 324 dated 1985-01-16	No. 1 Nov 1987	1987-11-30
5. IS:1063–1963	S.O. 2370 dated 1963-08-24	No. 5 May 1986	1986–05–30
6. IS:1084–1883	S.O. 4276 dated 1986-12-27	*No. 1 Oct 1987	1987–10-31
7. IS:1084–1983	-do-	*No. 1 Jun 1988	1988-06-30
8. IS:1397–1967	S.O. 3734 dated 1967-10-21	No. 2 Oct 1987	1987-10-31
9. IS:1422–1983	S.O. 3796 dated 1986-11-08	No. 1 Apr 1987	1987-04-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	IS:1658–1977	S.O. 2178 dated 1981-08-15	No. 1 Nov. 1987	1987-11-30
11.	IS:1978–1982	S.O. 4276 dated 1986-12-27	No. 1 Nov. 1987	1987-11-30
12.	IS:2403– 1976	S.O. 1597 dated 1979-05-19	No. 3 Jan 1988	1988-01-31
13.	IS: 2486(Part I)—1971	S.O. 1853 dated 1974-07-27	No. 3 Mar 1987	1987-03-31
14.	IS:3062–1982	S.O. 223 dated 1986-01-25	No. 1 Oct 1987	1987-10-31
15.	IS:3829 (Part I)—1979	S.O. 2863 dated 1981-10-17	No. 4 Jan 1988	1988-01-31
16.	IS:3822–1986	—	No. 1 Oct 1987	1987-10-31
17.	IS:3989–1989	—	No. 1 Mar 1988	1988-03-31
18.	IS:4064 (Part 1)—1978	S.O. 1341 dated 1982-04-03	No. 1 May 1983	1983-05-31
19.	IS:4605–1981	S(O. 748 dated 1985-02-23	No. 1 Jul 1986	1987-07-31
20.	IS:4989 (Part 1)—1985	—	No. 1 Jun 1987	1987-06-30
21.	IS:5414–1969	S.O. 1509 dated 1970-04-25	No. 1 Sep 1987	1987-09-30
22.	IS:5424–1969	S.O. 1236 dated 1970-04-04	No. 4 Nov 1987	1987-11-30
23.	IS:5430–1981	S.O. 1274 dated 1985-03-30	*No. 1 Nov 1787	1987-11-30
24.	IS:6438–1980	S.O. 219 dated 1984-01-21	No. 1 Nov 1987	1987-11-30
25.	IS:7371–1982	S.O. 3998 dated 1985-08-24	No. 1 Jan 1988	1988-01-31
26.	IS:7452–1982	S.O. 3451 dated 1986-10-04	No. 1 Nov. 1987	1987-11-30
27.	IS:8025–1983	S.O. 462 dated 1987-02-14	No. 1 Jan 1988	1988-01-31
28.	IS:8042–1978	S.O. 2274 dated 1981-08-29	No. 5 Jan 1988	1988-01-31
29.	IS:8074–1983	S.O. 3975 dated 1986-11-29	No. 3 Jun 1988	1988-06-30
30.	IS:8472–1977	S.O. 1606 dated 1980-06-14	No. 2 Sep 1987	1989-09-30
31.	IS:8783–1978	S.O. 2001 datdd 1981-07-25	No. 1 Dec 1982	1982-12-31

*For purposes of BIS Certification Scheme; these amendments shall come into force with effect fr 1988-08-16

*For purposes of BIS Certification Scheme, this amendment shall come into force with effect from 1988-08-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	IS:9359-1980	S.O. 358 dated 1983-06-15	No. 2 Mar 1987	1987-03-31
33.	IS:9362-1980	S.O. 3274 dated 1983-08-20	No. 2 Sep 1987	1987-09-30
34.	IS:9900 (Part 1)—1981	S.O. 3336 dated 1985-07-20	No. 1 Nov 1987	1987-11-30
35.	IS:9900(Part 2)--1981	S.O. 2147 dated 1985-05-18	No. 1 Jun 1988	1988-06-30
36.	IS:9974(Part 1;-1981	S.O. 1294 dated 1985-03-30	No. 2 Jan 1988	1988-01-31
37.	IS:10319-1982	S.O. 223 dated 1986-01-25	No. 1 Jun 1988	1988-06-30
38.	IS:10775-1984	S.O. 296 dated 1987-01-31	No. 1 march 1888	1988-03-31
39.	IS:11226-1985	S.O. 1356 dated 1987-05-30	No. 2 Jul 1988	1988-07-31

These amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi. Regional Offices : Bombay, Calcutta Chandigarh and Madras and Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Patna and Trivendrum.

[No. CMD/13 : 5]

का. आ. 809—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिस/जिन भारतीय मानक/मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है/दिए गए हैं, वह/वे रद्द कर दिया गया है/दिए गए हैं और वापस लिया गया है/लिये गए हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	रद्द किए गए मानक की संख्या और वर्ष	जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक की स्थापना की गई थी, उसकी का. आ. संख्या, खंड और तिथि	टिप्पणी
1	2	3	
1.	IS: 5381-1969	का. आ. 639, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उप-खंड (ii) दिनांक 1970-02-21 को प्रकाशित	यह महसूस किया गया कि यह भारतीय मानक निरर्थक है इसलिए इसे वापस ले लिया गया।

[सं. मा. एम. डी./13 : 7]

एस. सुब्रह्मण्यन, अपर महानिदेशक

S.O. 809.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, It is, hereby notified that the Indian Standard, particulars of which is mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No.	& year of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS:5381-1969	S.O. 639 dated 1970-02-06 published in the Gazetted of India. Part-II Section-3, Sub-section (ii) dated 1970-02-21	It was felt that this Indian Standard did not serve the purpose any more. Hence withdrawn.

[No. C M. D./13.7]

S. SUBRAHMANYAN, Addl. Dir. General

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1990

का.आ. 810.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित विद्यालयों/कार्यालयों को जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधन ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. केन्द्रीय विद्यालय, रूपा, जनपद पश्चिमी कामेंग, (अरुणाचल प्रदेश -790001
2. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, फरीदाबाद, (हरियाणा)
3. केन्द्रीय विद्यालय, बद्धोवाल (लुधियाना)
4. केन्द्रीय विद्यालय, वायु सेना, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, (राजस्थान)
5. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, आयुध निर्माणी, कटनी, (मध्य प्रदेश)
6. केन्द्रीय विद्यालय, वाहन निर्माणी इस्टेट सेक्टर-3, जबलपुर, (मध्य प्रदेश)
7. केन्द्रीय विद्यालय, सिविल लाइन्स, सीहोर (मध्य प्रदेश)
8. केन्द्रीय विद्यालय, मुगलसराय (उ.प्र.)
9. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, आयुध निर्माणी, प्रोपेलपुर, इटारसी।
10. केन्द्रीय विद्यालय नं. 2, आयुध निर्माणी, कटनी-483501 (म.प्र.)
11. केन्द्रीय विद्यालय, ए.एफ.एस. घोगा (बवाना), दिल्ली 39
12. केन्द्रीय विद्यालय, खलियार, मण्डी (हिमाचल प्रदेश)
13. केन्द्रीय विद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

[सं. ई-11011/7/90-रा. भा. ए].

रमेश कुमार, अंगिरस निदेशक, (राजभाषा)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 23rd February, 1990

S.O. 810.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Vidyalayas/Offices of the Department of Education in the Ministry of Human Resource Development, where more than 80 per cent staff has acquired working knowledge of Hindi :—

1. Kendriya Vidyalaya, Roopa, Distt. West Kamong, Arunachal Pradesh-790001.
2. Kendriya Vidyalaya No. 1, Faridabad (Haryana).
3. Kendriya Vidyalaya, Badhowal (Ludhiana).
4. Kendriya Vidyalaya, Air Force, Suratgarh, Distt. Sri Ganganagar, (Rajasthan),
5. Kendriya Vidyalaya, No. 1, Ordnance Factory, Katni (M.P.).
6. Kendriya Vidyalaya, Vehicle Factory, Estate Sector-2, Jabalpur (M.P.).
7. Kendriya Vidyalaya, Civil Lines, Rewa (M.P.).
8. Kendriya Vidyalaya, Mugalsarai (U.P.)
9. Kendriya Vidyalaya, No. 1, Ordnance Factory, Propelpur, Itarsi.
10. Kendriya Vidyalaya, No. 2, Ordnance Factory, Katni-483501 (M.P.).
11. Kendriya Vidyalaya, A.F.S. Ghoga, Bawana, Delhi-110039.
12. Kendriya Vidyalaya, Khaliar, Mandi, Himachal Pradesh.
13. Kendriya Vidyalaya, Khargon (M.P.).

[No. E. 11011/7/90-OLU]

R. K. ANGIRAS, Director (O.L.)

महिला एवं बाल विकास विभाग

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1990

पूर्त-विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के विषय में राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली, के विषय में

का.आ. 811 :— राष्ट्रीय कोष, नई दिल्ली के प्रबन्ध बोर्ड की सहमति से एवं उनके आवेदन पर पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के खण्ड 10 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि नीचे दिए विवरण के अनुसार 38,00,000.00 रु. अठतीस लाख रुपए) की राशि को जिसकी अवधि उसके सामने लिखी तारीखों को पूरी हो गई है, डाकघर के सावधिक जमा खाते में पांच वर्ष के लिए पुनः निवेश किया जाए:

क्रम सं.	राशि	पिछले निवेश की तारीख	मियाद पूरी होने की तारीख
1.	10,00,000.00 रु.	22-10-84	22-10-89
2.	10,00,000.00 रु.	23-10-84	23-10-89
3.	18,00,000.00 रु.	29-10-84	29-10-89

उपरोक्त खाता भारत के पूर्त विन्यास कोषाध्यक्ष के नाम होगा और इन धनराशि को राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के प्रशासन के लिए उस योजना के अनुसार उपयोग में लायेंगे जो भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग की दिनांक 2 मार्च, 1979 की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.आ. 120 (ई) के साथ प्रकाशित की गई थी ।

[सं. 2-1/89-डी आर]

चन्द्र भूषण शर्मा, अवर सचिव

(Department of Women and Child Development)

New Delhi, the 7th March, 1990

In the matter of the Chairtable Endowments Act 1890 (6 of 1890)

In the matter of the National Children's Fund, New Delhi

S.O. 811.—On the application made by and with the concurrence of the Board of Management of the National Children's Fund, New Delhi, as in exercise of the powers conferred by Section 10(2) of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), the Central Government doth hereby order that the sum of Rs. 38,00,000.00 (Rupees thirty eight lakhs only) as per particulars given below, maturing on the dates mentioned against each be re-invested in 5 years Post Office Time Deposit Account :

S. No.	Amount	Date of previous investment	Date of maturity
1.	Rs. 10,00,000.00	22-10-1984	22-10-1989
2.	Rs. 10,00,000.00	23-10-1984	23-10-1989
3.	Rs. 18,00,000.00	29-10-1984	29-10-1989

The above account shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments of India to be held by him for being applied in accordance with the scheme for the administration of the National Children's Fund, New Delhi, published with the notification of the Government of India in the then Department of Social Welfare Nos. S.O. 120(E) dated the 2nd March, 1979, as amended for time to time.

[No. 2-1/89-TR]

C. B. SHARMA, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1990

का.आ. 812:—बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 (1976 का 63) के खंड 7 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा ,बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वित्तीय सलाहकार के पद पर भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के श्री एम.एल. नादिर की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 21 नवम्बर, 1989 से 11 दिसम्बर, 1989 तक की आगामी अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[सं. 10(47)/85-पी III/पी II]

के.के. टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 28th February, 1990

S.O. 812.—In exercise of the power conferred by Sub-section (i) of Section 7 of the Betwa River Board Act, 1976 (63 of 1976), the Central Government hereby extends the period of deputation of Shri M. L. Nadir, IA & AS as Financial Adviser, Betwa River Board, Jhansi for a further period from 21st November, 1989 to 11th December, 1989.

[No. 10/47/85-P.III/P. II]

K. K. TANDON, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1990

का.आ. 813:—औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स एसोसिएटिड सोपस्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी प्राइवेट लि., उदयपुर के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद के केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था ।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th February, 1990

S.O. 813.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Associated Soapstone Distributing Company Pvt. Ltd., Udaipur and their workmen, which was received by the Central Government.

केन्द्रीय औद्योगिक विवाद अधिकरण, जयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री प्रताप सिंह यादव , आर.एस.जे.एस. केन्द्रीय औद्योगिक विवाद

संख्या 10/89

महसचिव राष्ट्रीय सोप स्टोन मजदूर संघ (इन्टक) मजदूर कार्यालय सुन्दरवास, उदयपुर

बनाम

चीफ एक्जीक्यूटीव मैसर्स एसोसिएटेड सोप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटर्स कम्पनी प्राइवेट लि. 24, आकाशवाणी भवन मार्ग उदयपुर

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 10(1) (ग) एवं धारा 2 (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

उपस्थित :

यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

श्री सत्यनारायण बंसल वर्क्स मैनेजर अप्रार्थी की ओर से

दिनांक : 23-9-89

पंचाट

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने अपने आदेश संख्या एल-29011/20/88-डी.-3 (बी) दिनांक 3-1-89 के द्वारा नि. विवाद अन्तर्गत धारा 10 (1) (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायेगा वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया :

"Whether the demand of the Rashtriya Soapstone (Khan Mazdoor Sangh) Udaipur on the management of M|s. Associated Soapstone Distributing Co. Pvt. Ltd. for formation of proper pay scales for the unskilled, semi-skilled and skilled workmen and payment of annual increments to all the categories of workmen is justified ? If so, what relief are the workmen concerned entitled to ?"

बाद प्राप्ति निर्देशन, इसे अधिकरण में पंजीकृत किया गया और उभय पक्षकारान को नोटिस जरिये पंजीकृत डाक भेजे गये। प्रार्थी यूनियन पर नोटिस की तामील हो चुकी है जिसकी प्राप्ति की रसीद व नियोजक पर्व हो चुकी है और उनके भी अधिकृत प्रतिनिधि आज उपस्थित आये हैं। प्रार्थी यूनियन की कुल श्री एम.एस. सिसोदिया के अध्यक्ष आर.एस.एस.एम. कर्म संघ द्वारा सूचित कर दिया था, जिन्होंने भी अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर जाहिर किया कि अधिकरण की हिदायत के अनुसार प्रार्थी यूनियन के सचिव को सूचना दे दी गई है। वैसे भी जो रैफ्रेन्स की प्रतिलिपियां प्रार्थी यूनियन को भेजी गई उसमें यह हिदायत की गई थी कि औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम 1957 के नियम 10 (ब) के अधीन व्यवस्था के अनुसार विवाद उठाने वाले पक्ष को हिदायत दी गई दावे का विवरण जो संगत दस्तावेज सहित पूरा हो मयलस्ता (लिस्ट) तथा गवाहान की सूचि निर्देशन आदि की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अधिकरण के पास दायर करेगा और ऐसे विवरणों की एक प्रति इस विवाद में संलग्न प्रत्येक विपक्षी पक्षकारान को भी भेजी जायेगी। उक्त नियम 10 (ब) से भी प्रार्थी यूनियन पर पाबन्दी आयद होती है कि वे स्टेटमेन्ट आफ क्लेम के अतिरिक्त जिन प्रलेखों पर वे अपने क्लेम का आधार करते हों और गवाहान की सूचि सहित विपक्षी को निर्देशन की प्राप्ति होने के 15 दिन के अन्दर भेजेंगे। इस प्रकार केन्द्रीय मंत्रालय ने स्वयं निर्देशन में ही उक्त नियम 10 (ब) की पालना करने की हिदायत दी है। एहतियातन के तौर पर इस अधिकरण द्वारा प्रार्थी यूनियन को नोटिस भी जारी किया गया और सूचना भी दी गई, परन्तु बावजूद नोटिस आज के कोई उपस्थित नहीं आया और निर्देशक की प्राप्ति की प्राप्त हुये करीब 8 माह 10 दिन हो चुके पांच अवसर बीच में दिए जा चुके हैं फिर भी प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई स्टेप नहीं लिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी यूनियन इस विवाद को आगे चलाना चलाने में रुचि नहीं रखती है अतः उस विवाद के सम्बंध में "नो डिस्पूट" एवार्ड पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा। अतः मौजूदा विवाद के सम्बन्ध में नो डिस्पूट एवार्ड पारित किया जाता है।

पंचाट की नकल अन्तर्गत धारा 17 (1) औ. वि. अधिनियम केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जावे।

पंचाट आज दिनांक 23-9-89 को उदयपुर कैम्प में पारित किया गया।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश,

[सं एल-29011/20/88डी III (बी)]

का.आ. 814.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार धरतीधान प्राइवेट लि., स्टेशन रोड, सुन्दरवास, उदयपुर के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 814.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the award of the Cential Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dhartidhan Private Ltd., Station Road, Sundarwas, Udaipur and their workmen, which was received by the Central Government.

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस सं. सी.आई.टी 11/89

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. एल. 29011/21/88 डी. III बी दिनांक 3-1-89

महासचिव, राष्ट्रीय सोप स्टोन खान मजदूर संघ (इंटक) कार्यालय पास फैक्टरी, सुन्दरवास, उदयपुर। प्रार्थी यूनियन

बनाम

मार्डन एजेन्ट, मैसर्स धरतीधन प्रा. लि., स्टेशन रोड, सुन्दरवास, उदयपुर। —अप्रार्थी नियोजक

उपस्थिति

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी यूनियन की ओर से,	कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी नियोजक की ओर से :	कोई हाजिर नहीं
दिनांक अवार्ड .	8-12-89

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के डेस्क ऑफिसर ने अपनी आज्ञा संख्या एल. 29011/21/88-डी.3(बी) दिनांक 3-1-89 निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10 (1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जाएगा, वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण को भेजा :

"Whether the demand of the Rashtriya Soap Stone Khan Mazdoor Sangh, Udaipur on the management of M/s. Dhartidham Private Limited, Udaipur for formation of proper pay scales for the unskilled, semi-skilled, and skilled workmen and payment of annual increments to all the categories of workman is justified? If so, what relief are the workmen concerned entitled to?"

बाद प्राप्ति निर्देशन इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया। उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गए। सर्व प्रथम 15-3-89 को नोटिस निकालने का आदेश दिया गया जो 29-4-89 को जारी किया गया। अप्रार्थी नियोजक को नोटिस की प्रति दिनांक 5-5-89 को प्राप्त हो गई पर यूनियन की ओर से नोटिस इस रिपोर्ट के साथ लौटाया गया "आफिस अन्द पता है कभी कोई आदमी नहीं मिलता है।" तत्पश्चात दिनांक 30-5-89 को पुनः नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया गया। व दिनांक 2-6-89 को पुनः नोटिस जारी किया गया और प्रार्थी यूनियन पर नोटिस इस कारण से तामील नहीं हुआ कि यूनियन का आफिस बन्द है पुनः असल नोटिस लौटाया गया। एहतियातन दिनांक 3-11-89 को पुनः नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। नोटिस 4-11-89 को जारी किया गया जो प्रार्थी यूनियन को भेजा गया। बावजूद तीन बार नोटिस निकालने के प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है केन्द्रीय सरकार ने इस न्यायाधिकरण को यह निर्देशन भेजते समय भी प्रार्थी यूनियन के लिए यह आदेश दिया कि "विवाद उठाने पक्ष को सलाह दी जाती है कि दावे का विवरण संगत दस्तावेजों सहित रियान्स तथा गवाहों की सूचि इस निर्देशन आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर न्यायाधिकरण के समक्ष दायर करेगा व जिस विवरण की एक प्रति इस विवाद में अन्तर्ग्रस्त प्रत्येक विपक्षी पक्षकार को भेजेगा।" इस निर्देशन से यह भली भांति अवगत है कि श्रम मंत्रालय द्वारा ही प्रार्थी यूनियन को निर्देशन की प्रतिलिपि भेजी व उन्हें इस बात का निर्देश दिया कि निर्देशन की प्रतिलिपि के प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अपना क्लेम दस्तावेजों सहित न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करेंगे और जिन प्रलेखों व साक्षायों पर वे अवलम्ब करते हों उनकी प्रति भी विपक्षी संस्थान को देवें इस निर्देशन में दी गई इस हिदायत के मुताबिक उन्हें अधिनियम की धारा 10 (ब) के अनुसार स्वयं स्टेटमैन्ट आफ क्लेम न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पाबन्द किया गया। बावजूद इस हिदायत के प्रार्थी यूनियन ने कोई क्लेम न्यायाधिकरण में पेश नहीं किया। एहतियातन तीन बार नोटिस भी जारी किये गए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया। इससे यह विदित है कि यूनियन इस विवाद में आगामी कार्यवाही करने के लिए रुचि नहीं रखती है। अतः निर्देशन के सम्बन्ध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है।

पंचाट की प्रतिलिपि अंतर्गत धारा 17 (1) अधिनियम केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाए।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

का.आ. 815.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन, जोधपुर के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 815.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Oil and Natural Gas Commission, Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government.

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर

उपस्थित: :-माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव

(आर.एच.जे.एस.)

सी.आई.टी. 40/57

मध्य

श्री किशन सिंह पंवार पुत्र श्री सूर्य सिंह मार्फत, श्री मदन सिंह अग्रवालों की बगीची मोहनपुरा जोधपुर।

एवम्

उप-महा प्रबन्धक, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान परियोजना-4 उम्मेद निवास पुलिस लाईन, नजदीक, जोधपुर, एवम् अन्य।

रेफरेन्स :—अन्तर्गत धारा 10(1) (डी) एवम् उपधारा 2(1) 1947।

उपस्थिति:- 1. श्री मोहन लाल काला अधिवक्ता प्रार्थी श्रमिक की ओर से उपस्थित।

2. श्री लीलाधर चतुर्वेदी अधिकृत प्रतिनिधि अप्रार्थी नियोजक उपस्थित।

3. दिनांक : अवार्ड 1-5-89

अवार्ड

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने उनके आदेश संख्या एल-30012/5/86-डी-3 (बी) दिनांक 2-7-87 निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10 (1) (घ) एवम् उप-धारा 2(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जावेगा। वास्ते अधिनिर्णयार्थ भेजा।

"क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जोधपुर के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री किशन सिंह पंवार मजदूर की सेवाएं 2-10-85 से समाप्त करने की कारवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

बाद प्राप्ति रेफरेन्स इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया उभय पक्षकारान को नोटिसेज द्वारा पंजीकृत डाक जारी किये गये।

श्री किशन सिंह पंवार प्रार्थी श्रमिक ने दिनांक 11-8-87 को अपना स्टेटमेन्ट आफ क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया।

यह कि प्रार्थी किशन सिंह को सर्वप्रथम तेल एवम् प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान प्रोजेक्ट, मोटाक (जैसलमेर) में दिनांक 12 फरवरी, 1983 को लगाया गया।

आगे यह व्यक्त किया कि प्रार्थी की नियुक्ति स्थाई रिक्त स्थान के एवज में की गई थी। आगे व्यक्त किया कि 240 दिन की नौकरी करने पर कि प्रार्थी श्रमिक स्थाई स्टेट्स पाने का अधिकारी हो गया। आगे व्यक्त किया प्रार्थी को रसायन विभाग में लगाया था। प्रार्थी के साथ विभाग में 24 घन्टे की पारी में श्रमिक कार्य पर लगाये जाते थे। आगे व्यक्त किया जब 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त स्थान आते थे तब-तब आये हुए खाली पोस्टों पर चतुर्थ श्रेणी करने के लिए आदमी नियुक्त कर लिये जाते थे उनसे खल्लासी का कार्य लिया जाता था।

आगे यह जाहिर किया कि अप्रार्थी के यहां प्रार्थी की नियुक्ति फरवरी 1983 से लगातार रही है। और यह भी कहा प्रार्थी किशन सिंह के दो उर्फ यानी दो उपनाम भी है उसे किशनसिंह के साथ रामसिंह, मंगलसिंह के नाम से भी अप्रार्थी गण के यहां भी दर्ज हैं। आगे व्यक्त किया प्रार्थी ने अपने उपनाम अप्रार्थी के कहने व दबाव देने पर अंकित कराये थे। वे एक ही श्रमिक के अन्य नाम को दर्शाकर अपना रिकार्ड बनाते थे ताकि श्रमिक श्रम कानूनों के तहत उपलब्ध हुये लाभ से महरूम हो रहे और फायदा प्राप्त न कर सकें।

आगे इस सम्बन्ध में यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी का ऐसा करने का ध्येय श्रमिक कानूनों से उत्पन्न अधिकारों को डिफिट करने से है। अन्त में यह व्यक्त किया कि प्रार्थी फरवरी 1983 से लगातार कार्यरत रहा और उसे नौकरी से निकाले जाने के दिन तक 1-10-85 तक पाने तीन साल की नौकरी कर चुका है। उसका कार्यकाल 240 दिन से ज्यादा का है।

आगे व्यक्त किया कि सेवा समाप्ति के आदेश अवैध बिना क्षेत्र अधिकार के है इस बारे में यह इन्द्राज किया ना तो एक माह का नोटिस दिया ना ही, एक माह की तनख्वाह नोटिस अवधि की दी गई, कोई आरोप लगाकर जांच नहीं की गई। एवम् सहज न्यायिक सिद्धान्तों की परिपालना नहीं की। प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया जाना भी व्यक्त किया।

यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी की सेवा समाप्ति छंटनी के रूप में भी नहीं की गई। अप्रार्थी विभाग के लिए यह कार्य अनफेयर लेबर प्रेक्टिस की परिभाषा में आता है। विशेषतौर से यह अंकित किया गया कि धारा 25 एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम की पालना नहीं की गई जिस कारण सेवा से निकालने जाने का आदेश गैर कानूनी है। अन्त में यह प्रार्थना की कि उसी सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त किया जावें व उसे निरन्तर माना जावे और 2-10-85 से सेवा में बहाल किये जाने की तिथि तक उसे वेतन दिलाया जावें।

अप्रार्थी नियोजक की ओर से श्री लीलाधर चतुर्वेदी ने उक्त महाप्रबंधक ज्योलोजी तेल एवम् प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान प्रोजेक्ट जोधपुर की ओर से इस्तर क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया। जिसमें प्रारम्भिक कानूनी ऐतराज यह लिया कि प्रार्थी ने उसके प्रार्थना पत्र में राम सिंह, मंगलसिंह तथा अन्य पांच कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति की बात कही है, इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उठाया गया व्यक्तिगत विवाद सामूहिक विवाद में परिवर्तित हो गया है जो केवल एक श्रमिक संघ ही ऐसा विवाद उठाने में सक्षम है। इस प्रकार सामूहिक विवाद एक व्यक्ति ने अपने प्रार्थना पत्र में उठाया है वह अवैध है और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है।

आगे जवाब में यह तो स्वीकारा किया कि प्रार्थी ने विपक्षी संस्थान में फरवरी सन 1983 में आकस्मिक (केजवल) लेबर के रूप में कार्य किया ताकि और कथन तथ्यहीन होना कहा। आगे यह ऐतराज किया कि किसन सिंह ने भिन्न-भिन्न नामों से काम करने बात कही जो भारतीय दण्ड संहिता के तहत जुर्म है। इस प्रकार उसने ऐसा तो बख्याली दिखाई दिखाई और धोखाधड़ी की।

आगे यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने कभी स्थाई पद पर कार्य नहीं कि बल्कि उसने आकस्मिक रूप से अस्थाई कार्य किया। उत्तर क्लेम के पैरा संख्या 4 में प्रार्थी का सन् 1983 से 89 दिन, सन् 84 में 88 दिन 1985 में 90 दिन कार्य करना व्यक्त किया। इस प्रकार यह स्पष्ट किया कि प्रार्थी ने एक कलैण्डर वर्ष में कभी भी निरन्तर

240 दिन कार्य नहीं किया है : अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का क्लेम खारिज किया जावें ।

प्रार्थी की ओर से उसने अपने स्टेटमेंट आफ क्लेम की पुष्टी श्री खेतसिंह पुत्र सुल्तान सिंह राजपूत को साक्ष्य में पेश किया और खुद का भी शपथ पत्र पेश किया । जिन शपथ-पत्रों को न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया ।

अधिकृत अप्रार्थी ने गवाहान से जिरह की । अप्रार्थी नियोजक की ओर से श्री अशोककुमार खन्ना, पुत्र श्री अमरनाथ खन्ना उपस्थित आये । इनके शपथ-पत्र को सत्यापित किया गया । श्री एल.डी. चतुर्वेदी ने गवाह को दिनांकित किया और अप्रार्थी श्री चन्द्रशेखर व्यास ने अशोक कुमार खन्ना से जिरह की । प्रार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि की प्रार्थना पर प्रेमसिंह पुत्र श्री शिवदयाल ने गवाह की आफीडेविट फाईल किया । गवाह के शपथ पत्र को सत्यापित किया गया श्री व्यास ने प्रेम सिंह से जिरह की ।

मैंने बहस योग्य अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिकृत प्रतिनिधि सुना है पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है ।

इस न्यायाधिकरण के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि आया तेल एवम प्राकृतिक गैस आयोग जोधपुर के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री किसन सिंह की सेवाएँ 2-10-85 से समाप्त करना न्याय उचित है या नहीं यदि इस सम्बन्ध में पत्रावली पर आयी हुई साक्ष्य को गौर करना है ।

मुख्यतः प्रार्थी की ओर से स्टेटमेंट आफ क्लेम में धारा 25 एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम को चुनौती दी गई है कि सेवा समाप्ति से पूर्व ना तो एक माह का नोटिस दिया गया ना नोटिस अवधि के बदले एक माह का वेतन दिया गया । सेवा समाप्ति का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होना कहा गया है । उपरोक्त धारा 25 एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम किसन सिंह की साक्ष्य को देखते है । उसने अपने शपथ-पत्र के मुख्य परीक्षण में यह तो लिखा है कि उसे अप्रार्थी प्राकृतिक तेल एवम् गैस आयोग राजस्थान प्रोजेक्ट घोटारु जिला जैसलमेर में सर्व प्रथम 12-2-83 को कार्य पर लगाया गया था उसने अपनी नियुक्ति स्थाई रिक्त स्थान के एवज में होना कहा 240 दिन की नौकरी करने पर परमानेन्ट स्टेटस प्राप्त करने का अधिकारी होना कहा और यह भी लिखाया कि नौकरी से निकाले जाने के दिन तक दिनांक 1-10-85 तक करीब पौने तीन साल नौकरी की थी उसका कार्यकाल 240 दिन से भी अधिक था । दिनांक 2-10-85 को उसे सेवा से अलग कर दिया गया ।

आगे यह भी लिखाया कि उसे सेवा से निकालने से पूर्व एक माह का नोटिस नहीं दिया न ही एक माह का वेतन नोटिस अवधि का दी गयी उसके विरुद्ध कोई जांच इत्यादि भी नहीं की गई । अंत में कहा कि धारा 25 एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम की पालना नहीं की गई है । यद्यपि किसन सिंह के जुबानी साक्ष्य के समर्थन में श्री खेतसिंह ने यह लिखाया कि किसन सिंह तेल एवम् प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान प्रोजेक्ट जैसलमेर में 12 फरवरी 1983 से 4 अक्टूबर 1985 तक लगातार केमेस्ट्री सैक्शन में कार्यरत रहा । अवल तो इस गवाह ने 4 अक्टूबर 1985 तक कार्यरत रहने की बात लिखाई यह स्वयं प्रार्थी ने नहीं कही उसने केवल 2-10-85 तक कार्यरत रहने की बात ही कही है । श्री खेतसिंह के प्रतिपरीक्षण से स्पष्ट है कि वह सन् 1985 में प्रतिपरीक्षित हुआ था । उसे प्रार्थी के 1983 में नौकर होने की बात कैसे पता लगी यह विश्वसनीय नहीं है ना तो वह एक ही गांव के रहने वाले है ना उसकी कोई रिश्तेदारी है किसन सिंह गवाह की यादाश्त में भी नहीं था ऐसी सूरत में वह एक गोटण गवाह की संज्ञा में आता है और उसकी जुबानी साक्ष्य प्रार्थी के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । इसके मद मुकाबिल अप्रार्थी नियोजक की ओर से श्री अशोक कुमार खन्ना पेश हुआ है जिसने प्रार्थी का फरवरी, मार्च, सन् 1983 में 89 दिन व मार्च से मई 1984 तक 88 दिन, जून से अगस्त 1985 में 90 दिन कार्य करना ... य इस सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से कोई मस्टर रोल आदि भी पेश नहीं कराये गये जिसमें भी यह प्रमाणित हो सकता था कि प्रार्थी श्री किसन सिंह ने 12 फरवरी सन् 1983 से 2-10-85 तक करीब पौने तीन साल लगातार कार्य किया इस प्रकार उसने 240 दिन से अधिक कैलेण्डर वर्ष में कार्य किया । श्री किसन सिंह स्वयं भी एक विश्वसनीय व्यक्ति प्रतीत नहीं होता है उसने बदल-बदल कर पांच नामों से कार्य करना चाहिए अप्रार्थी के कहने से उसने नाम बदले इस बात स्वयं के अतिरिक्त व्यास नहीं है जो धोखाधड़ी यह जाल साजी की परिभाषा में आता है । तीन वर्ष में यानी, 1983 1984, 1985 क्रमशः 89, 88, 90 दिन कार्य करने से एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन निरन्तर कार्य करने वाला वह औद्योगिक कर्मकार नहीं हो गया था । इस प्रकार धारा 25 बी अधिनियम के प्रावधान पूरे न होने से धारा 25 एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन किया जाना नहीं पाया जाता है । यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि उसकी सेवा 2-10-85 से समाप्त की गई मस्टर रोल की जो प्रतियां इस पत्रावली पर पेश है उसमें प्रार्थी के द्वारा मार्च 1983 में 31 दिन अप्रैल में 30 दिन मई में 20 दिन कार्य करना दिखाया गया है दूसरे जो 84 का मस्टररोल प्रस्तुत है उसमें किसन सिंह द्वारा 84 में मार्च के महीने में 31 दिन अप्रैल 1984 में 30 दिन मई 1984 में 27 दिन कार्य करना जाहिर किया गया है । जून सन् 1985 में 30 जुलाई 1985 में 31 दिन, अगस्त 1985 में 29 दिन कार्य करना जाहिर किया गया है । इसके अतिरिक्त और कोई मस्टर रोल की प्रति नहीं पेश हुई ना पेश करायी गयी । इस प्रकार की साक्ष्य से श्री किसन सिंह की साक्ष्य से एक कलैण्डर वर्ष में कभी भी 240 दिन निरन्तर कार्य करना प्रमाणित नहीं हुआ है उसके द्वारा ऐसा भी अभिवचन नहीं रखा गया कि उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को काम पर रख लिया गया हो और उसे निकाल दिया गया हो ऐसा भी अभिवचन नहीं रखा गया है कि उसके बाद अन्य कोई भर्ती की गई हो और उसे नहीं बुलाया गया हो प्रार्थी की ओर से ऐसा भी क्लेम स्टेटमेन्ट में अभिवचन नहीं रखा गया कि उसे निकालने समय कोई सीनियरटी लिस्ट नहीं बनाई गई । बल्कि अप्रार्थी की साक्ष्य से यह जाहिर हुआ है कि निश्चय समय के लिए उन्हें रखते थे और समय समाप्ति पर स्वतः ही उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती थी । जिस प्रकार का केस प्रार्थी न्यायाधिकरण के पास लेकर आया है वह उसके मुताबिक कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है ।

अतः पंचाट निम्न प्रकार से पारित किया जाता है । यह है कि तेल एवम् प्राकृतिक गैस आयोग जोधपुर द्वारा यानि अप्रार्थी प्रबन्धक तंत्र द्वारा किसन सिंह पंवार की सेवाएं समाप्त करने का कार्य न्याय न्यायोचित है । प्रार्थी किसन सिंह कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है ।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल.-30012/5/86-डी. III बी]

का. आ. (16—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय ऐसोसियेटिड स्टोन इन्डस्ट्रीज (कोटा) लि., रामगंजमंडी के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 816.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Associated Stone Industries (Kota) Ltd., Ramganjmandi and their workmen, which was received by the Central Government.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस न० सी. आई. टी. 20/87

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या एल 3 (21) कन्सी II डी III (बी) दिनांक 16-3-87

श्री अब्दुल मजीद पुत्र श्री इब्राहिम बेग मार्फत श्री राम

बनाम

जनरल मैनेजर (मार्केटिंग), एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड, रामगंजमण्डी, कोटा

—अप्रार्थीपक्ष

उपस्थिति

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव, आर. एच. जे. एस.

पार्थीपक्ष की ओर से : प्रार्थी अब्दुल मजीद स्वयं

अप्रार्थी पक्ष की ओर से : 1. श्री एन. के. माथुर
2. श्री एन. के. सिसोदिया

विनांक अवार्ड : 10-4-89

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के डेस्क आफिसर ने निम्नलिखित विवाद अपनी अधिसूचना संख्या एल. 3 (21) 86-कान्सो. II/डी III (बी) दिनांक 16-2-87 द्वारा इस न्यायाधिकरण को अगते अधिनिर्णय प्रेषित किया है।

"Whether the action of the management of Associated Stone Industries (Kota) Ltd., Ramganjmandi, Distt. Kota in dismissing Shri Abdul Mazeed Mate w.e.f. 22-11-84 is jusified? If not, what relief is the workman entitled to?"

बाद प्राप्ति उक्त निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया एवं उभय पक्षकारान को नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए डी. जारी किय गए। दिनांक 20-7-87 को प्रार्थी श्रमिक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती मंजा वसल ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी उपस्थिति दी और प्रार्थी की ओर से स्टेटमेन्ट आफ क्लेम प्रस्तुत किया। इसके पश्चात दिनांक 7-5-88 को अप्रार्थी नियोजक की ओर से श्री एन. के. माथुर ने अवाब पेश किया। आज यह पत्रावली वास्ते पेश होने वास्ते नियत थी। परन्तु प्रार्थी श्रमिक श्री अब्दुल मजीद ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसका राजीनामा प्रबन्धकों से हो चुका है और राजीनामा के मुताबिक उसने चुकता रुपया 15,0000/-- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रबन्धक ए. एस. आई. के. लि. रामगंजमण्डी से प्राप्त कर लिए हैं और उसका प्रबन्धकों से कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। इस प्रार्थना पत्र के साथ एक समझौता दिनांक 8-4-89 भी प्रस्तुत किया जिसे पढ़ कर सुनाया और समझाया गया। समझौता स्वेच्छा से बिना किसी दबाव, भय, डर, लालच के करना स्वीकार किया गया। इसलिए तस्दीक किया गया। प्रार्थी अब्दुल मजीद पुत्र इब्राहिम बेग को श्री जी. डी. मित्तल ने शिनाख्त किया। समझौता कर्ताओं में प्रबन्धक श्री एन. एस. सिसोदिया भी उपस्थित हैं। चूंकि समझौता रेफरेन्स की परिधि में आता है और स्वेच्छा से किया गया है। समझौता अनुसार प्रार्थी श्रमिक अब्दुल मजीद ने उसके वेतन से चुकते 15,000 रुपये एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज लि. रामगंजमण्डी (कोटा) से प्राप्त कर लिए हैं। ऐसी सूरत में कोई विवाद शेष नहीं रहा है। इसलिए मौजूदा विवाद के सम्बन्ध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया। समझौता अवार्ड का अंग रहेगा। पंचाट की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को अंतर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत वास्ते प्रकाशन भेजा जाए।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[न. सं. 3(21)/86-कोन. II /डी० III (बी०)]

का. आ. 817.--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान कापर लि., दरीबा जिला अलवर (राजस्थान) के प्रबन्धतंत्र के सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 817.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dariba Copper Project, Hindustan Copper Ltd., Dariba, Dist. Alwar (Rajasthan) and their workmen which was received by the Central Government.

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव, आर. एच. जे. एस.

केस नं सी. आई. टी. 56/87

मध्य

जनरल सैक्रट्री, कापर प्राजक्ट मजदूर यूनियन पो. ओ. दरीबा जिला अलवर।

एवं

प्रोजेक्ट मैनेजर, दरीबा कापर प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान कापर लि. दरीबा, अलवर।

रैफरेंस अंतर्गत धारा 10(1)(बी) पठित उपधारा 2 (ए) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

उपस्थिति

प्रार्थीयूनियन की ओर से : श्री बी. एम. मिश्रा एवं श्री एम. एफ. बेग

नियोजक की ओर से श्री हरीराम वर्मा एवं श्री शिवसिंह

दिनांक अवार्ड : 23-8-89

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने उनकी आज्ञा सं. 7 (6)/86 कोन -2डी-3 (बी) डी-4 (ए) दिनांक 14-8-87 अंतर्गत धारा 10(1) (डी) एवं उपधारा 2(ए) औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायगा निम्न विवादवास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया है:

"क्या दरीबा कापर प्रोजक्ट हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड डाकघर दरीबा जिला अलवर के प्रबंधतंत्र की 28 कर्मकारों को जो खनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं खनिक की मजदूरी न देने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो यह कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

2. बाद प्राप्ति निर्देशन इसे न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया। उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। यूनियन की ओर से श्री रामसिंह ने स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत किया जिसके जरिये यह मांगकी कि स्टटमेंट आफ कलेम में उल्लेखित व्यक्तियों को सन 1984 से 585-15-810 की वेतन श्रृंखला में फिक्स करते हुए 550-11-715 के वेतनमान में प्राप्त किये गये वेतन का अन्तर सय ब्याज दिलाया जावे और अन्य राहत भी दिलाई जावे।

3. इस स्टैटमेंट आफ कलम का प्रतिउत्तर दरीबा कापर प्रोजेक्ट की ओर से श्री हरीराम वर्मा कार्मिक अधिकारी के जरिये उनके वकील श्री मनोज शर्मा ने निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया। यह कि समझौता 14-3-84 जिसके कि तहत इस मौजूदा रैफरेंस से संबंधित श्रमिकों का नियोजन रेगूलाराईज किया गया वह अभी प्रभावशील है और चूंकि समझौता प्रभावशील है इसलिए संबंधित श्रमिकों ने जो सेवा शर्तें दी हैं। वे पूरे ज्ञान व स्वेच्छा से स्वीकार की थी जो अभी भी प्रभावशील है अतः इस कारण से रैफरेंस नहीं चल सकता। आगे व्यक्ति किया कि आर.एन.पी.एस. रूल्स अनुसार कार्य करने का कथन आधारहीन

है। मगर यह व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण कार्य अनुसार प्रत्येक श्रमिक का फिक्शेसन करने के लिए इच्छुक है और इसके लिए मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ वार्तालाप प्रारम्भ हो गई है। और इन श्रमिकों का फिक्सेशन मूल्यांकन के अनुसार देय हो सकेगा। आगे व्यक्त किया कि वस्तुस्थिति ऊपर की मद में लिखी गई है कार्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया के बिना कोई भी लाभ संबंधित श्रमिकों को नहीं दिया जा सकता। आगे यह व्यक्त किया गया कि प्रार्थी यूनियन द्वारा प्रबंधक के विरुद्ध लगाये गये आरोप गलत एवं अस्वीकार हैं। आगे व्यक्त किया कि श्रमिकों का कार्य का मूल्यांकन होते ही प्रत्येक श्रमिक को लाभ दे दिये गये हैं। यह प्रार्थना की कि रैफरेंस निरस्त किया जावे।

4. स्टेटमेंट आफ क्लेम एवं उत्तर क्लेम प्रस्तुत होने के पश्चात मौजूदा रैफरेंस साक्ष्य के लिए नियत किया गया है और अब इसके संबंध में साक्ष्य होनी थी मगर उभय पक्षकारान की ओर से आज लिखित में एक प्रार्थना पत्र इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि उक्त विवाद में श्रमिकों को मांगी गई सुविधाएं में दे दी गई है अतः अब कोई विवाद शेष नहीं रहता है। अतः सहमति अवार्ड पारित किया जावे। चूंकि सुविधाओं का हवाला इस प्रार्थना पत्र में नहीं दिया कि क्या क्या सुविधायें दे दी गई हैं मगर यह स्पष्ट है कि मौजूदा रैफरेंस के संबंध में सभी मांगी गई सुविधायें दे दी जा चुकी हैं और कोई विवाद शेष नहीं है इसलिए इसको देखते हुए मौजूदा प्रकरण में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा अतः आज्ञा है कि रैफरेंस सं. 56/87 में उभय पक्षकार के मध्य उत्पन्न हुए विवाद के संबंध में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है। पंचाट की प्रति केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ अंतर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजी जावे।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. 7(6)/86 कन II/D. III (B)]

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1990

का. आ. 818—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार जनरल मैनेजर राजस्थान स्टेट माईन्स मिनरल्स लि. के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर, कैम्प उदयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st February, 1990

S.O. 818.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur, Camp : Udaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of General Manager, Rajasthan State Mines Minerals Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government.

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर, ये कैम्प उदयपुर

उपस्थिति :— माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव,

(आर.एच.जे.एस.)

केस सं. सी आई टी 1/87

मध्य

श्री गोविन्द कुमावत मार्फत आर. एस. एस. एम. कर्मचारी संघ, झामरकोटड़ा मंगापाल जी की धर्मशाला, उदयपुर।

प्रार्थी

बनाम

महाप्रबन्धक, राजस्थान स्टेट माईन्स मिनरल्स लि.,

झामरकोटड़ा प्रधान पोस्ट झामर कोटड़ा जिला उदयपुर।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र - अन्तर्गत धारा 33(ए) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, अन्तर्गत विवाद संख्या सी. आई. टी. 21/85

उपस्थित 1. श्री प्रभुनी लाल शाह अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिक उपस्थित।

2. श्री पी. एन. माथुर कार्मिक अधिकारी राजस्थान स्टेट माईन्स मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर।

3. दिनांक अवार्ड —22-7-89

अवार्ड

प्रार्थी गोविन्द कुमावत पुत्र श्री हनुमान कुमावत जिसे तत्पश्चात श्रमिक लिखा जायेगा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33(ए) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायेगा। विरुद्ध महाप्रबन्धक राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर, निम्न तथ्यों सहित प्रस्तुत की है।

यह कि प्रार्थी श्रमिक की नियुक्ति विपक्षी संस्थान में झामर कोटड़ा खान ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर हुई थी और वह स्थाई कर्मचारी था। आगे व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारियों की यूनियन आर. एस. एम. एम. कर्मचारी संघ के नाम संगठित की थी और वह इस यूनियन का संस्थापक सदस्य व उपाध्यक्ष है। विपक्षी को प्रार्थी श्रमिक का यूनियन संगठन करना अच्छा नहीं लगा और वह उसे विक्टीमाईज करने का प्रयास करता रहे। प्रार्थी का वरिष्ठ ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर पदोन्नति होने का अधिकार रखते हुए भी उसे इस पदोन्नति से वंचित कर दिया एवं प्रार्थी से कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई।

संघ ने प्रार्थी श्रमिक की पदोन्नति का विवाद उठाया वह विवाद इस न्यायाधिकरण को भेजा गया जो विवाद सी आई टी. 21/85 है। सी आई. टी. 21/85 में प्रार्थी श्रमिक सीधे सम्बन्धित कर्मचारी है आगे व्यक्त किया प्रार्थी श्रमिक को अप्रार्थी ने इनके आदेश क्रमांक 451/16:6/:7 दिनांक 14-10-87 से झूठा व आधारहीन आरोप लगाकर बिना किसी विभागीय जांच से सेवा से बर्खास्त कर दिया। सेवा मुक्त करने से पूर्व प्रार्थी श्रमिक पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में न तो आरोप पत्र दिया न ही जांच कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में आगे यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी को सेवा से मुक्त करने से पूर्व विपक्षी के द्वारा अन्तर्गत धारा ::(2) (बी) अथवा ::(.) (बी) अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था इस प्रकार न्यायाधिकरण की स्वीकृति प्राप्त न कर अप्रार्थी इन प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी है। यह भी आरोप लगाया कि सेवा मुक्त करने से पूर्व ना तो एक माह का प्रार्थी श्रमिक को नोटिस दिया ना ही न्यायाधिकरण से सेवा समाप्ती पूर्व स्वीकृत ली गई ना ही सेवा समाप्ती के पश्चात सेवा समाप्ती का अनुमोदन प्राप्त किया सेवा समाप्ति के आरोप लगाये है वह गलत आधारहीन व मनगढ़न्त हैं। सेवा मुक्ती में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना की गई। इसलिए विपक्षी द्वारा दिनांक 14-10-87 को सेवा मुक्त करने का आदेश निरस्त किया जावें और प्रार्थी श्रमिक को पिछला पूरा वेतन एवम अन्य सुविधाओं सहित सेवा में बहाल किया जावे।

इस प्रार्थना-पत्र के जवाब में श्री पी. एन. माथुर उप प्रबन्धक (कार्मिक) राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड ने अप्रार्थी की ओर से निम्न जवाब प्रस्तुत किया।

यह है कि प्रार्थी श्रमिक को प्रारम्भ में दिनांक 1-8-74 को ऑटो फिटर के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद दिनांक 19-4-77 को ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर पदोन्नति कर दिया गया इसे भी गलत कहा कि प्रार्थी श्रमिक का व्यवहार सदा ही अच्छा रहा हो बल्कि प्रार्थी का बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहना वह दुर्व्यवहार करना बताया इसे भी नकारा की यूनियन की गतिविधियों के कारण परेशान किया गया - इसे भी नकारा की यूनियन की गतिविधियों के कारण परेशान किया गया - इसे भी नकारा. प्रार्थी का अधिकार वरिष्ठ ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर

पदोन्नति पाने का उसका पदोन्नति का अधिकार 15-2-87 से होता था उसी दिन से उसे पदोन्नति दी गई प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 व 6 को अस्वीकार किया और आगे व्यक्त किया प्रार्थी श्रमिक ने 14-10-87 को सहायक मैनेजर श्री सी. वी. राजन के साथ दुर्व्यवहार किया और उनसे मारपीट की इस पर नियोजक ने श्री सी. वी. राजन के शिकायत करने पर प्रारम्भिक जांच की और प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप उसके विरुद्ध आरोप प्रथमदृष्टया रूप से साबित होने के कारण सेवा से पृथक किया है। प्रार्थी श्रमिक को उसके विरुद्ध आरोप से परिचित करवा दिया था और उसके विरुद्ध जांच करना सम्भव नहीं था।

आगे यह भी व्यक्त किया प्रार्थी श्रमिक कोई सुरक्षित काम गार नहीं था। इसलिए धारा 33(3) (बी) अधिनियम के अन्तर्गत सेवा मुक्ति से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थी श्रमिक को प्रार्थना-पत्र निरस्त की जायें। दिनांक 18-8-88 को प्रार्थी की ओर से रिजोईन्डर पेश किया गया। उभय पक्षकारान की ओर से दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये जबकि यह पत्रावली वास्ते विपक्षी नियोजक की साक्ष्य के लिए नियत थी तो यह जाहिर किया गया कि उभय पक्षकारान के मध्य सेटिलमेन्ट होने की संभावना है इस पर पुनः समय दिया गया। आज उदयपुर कैम्प पर उभय पक्षकारान की ओर से सेटिलमेन्ट प्रस्तुत किया सेटिलमेन्ट को पढ़कर उभय पक्षकारान को सुनाया व समझाया गया। समझौता स्वेच्छा से करना सही होना स्वीकार किया यह तस्दीक किया गया समझौता की शर्त के अनुसार प्रार्थी श्रमिक श्री गोविन्द कमावत की सेवाएं वरिष्ठ आर्टो इलेक्ट्रिशियन के पद से समाप्त होनी मानी जायेगी और सेवा समाप्ति की सूरत में विपक्षी कम्पनी ने प्रार्थी श्रमिक को उसी सभी देय राशि यानि बकाया वेतन छुट्टी का वेतन बोनस जो 14-10-87 तक बकाया हो वह देना तय कर लिया है इसके अतिरिक्त विपक्षी नियोजक ने प्रार्थी श्रमिक द्वारा सेवा छोड़ने लिया है की सूरत में 65 हजार रुपये बतौर मुआवजे के देना तय किया है और इस उपरोक्त अदायगी के अतिरिक्त प्रार्थी श्रमिक उसकी नियमानुसार भविष्य निधि की देय रकम प्राप्त करने का अधिकार होगा इसके अतिरिक्त विपक्षी कम्पनी ने 13,209 रुपये प्रार्थी श्रमिक को ग्रेच्युटी के देना तय किया है इसके अतिरिक्त विपक्षी कम्पनी प्रार्थी श्रमिक से लोन्स और एडवान्सेज की बकाया रकम 17-187.47 रुपये काटने का अधिकारी होगा और विपक्षी कम्पनी 18,900 रुपये इन्कम टेक्स के काटने के अधिकारी होंगे और यह इन्कम टेक्स की देय रकम 18,900 रुपये विपक्षी कम्पनी की अभिरक्षा में उस समय तक रहेगा जब तक कि एसेसमेन्ट होकर समाप्त नहीं किया जाता है। सेटिलमेन्ट में प्रार्थी श्रमिक को कुल देय राशि 1,12,749.33 रुपये स्वीकार की गई है। इसमें से विस्तृत ब्यौरा सहित 17,187.47 प्रार्थी श्रमिक द्वारा कम्पनी को देय राशि घटाने के पश्चात प्रार्थी श्रमिक को दो ड्राफ्ट 54,100 रुपये व 39,561.86 फुल एण्ड फाईनल सेटिलमेंट में दे दिये गये हैं और इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक के विवाद सी आई. टी 1/88 में प्रार्थी श्रमिक ने अपना सेवा में पुनः बहाल होने का क्लेम छोड़कर फुल एण्ड फाईनल सेटिलमेन्ट में दो ड्राफ्ट 54,100 व 30,561.86 पैसे प्राप्त कर लिये हैं और प्रार्थी श्रमिक ने दूसरे विवाद सी आई टी संख्या 21/85 में अपने पदोन्नति के क्लेम को वापिस ले लिया है और वह भविष्य में किसी प्रकार का क्लेम इन विवादों सम्बन्धित किसी न्यायालय व अथोरेटि के समक्ष पेश नहीं करेगा इस सेटिलमेन्ट की रूप से प्रार्थी श्रमिक का कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। और नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है। सेटिलमेन्ट इस अवार्ड का अंग रहेगा। सेटिलमेन्ट की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद भेजी जायें।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-29012/51/84-डी.III (बी)]

एस. वेनूगोपालन, डेस्क आफिसर

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1990

का.आ. 819.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th February, 1990

S.O. 819.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव, आर.एच.जे.एस.

केस नं. आई.टी. 78/88।

मध्य

महासचिव, बैंक आफ इण्डिया एम्पलाईज यूनियन द्वारा बैंक आफ इण्डिया, चौधरी होटल बिल्डिंग, एम.आई.रोड, जयपुर।

बनाम

क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक आफ इण्डिया सरोजिनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

रैफरेंस अंतर्गत धारा 10(1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

उपस्थिति

यूनियन की ओर से :	कोई उपस्थित नहीं है।
नियोजक की ओर से :	श्री गोविन्द पुरोहित
दिनांक अवार्ड :	25-8-89

अवार्ड

श्रम मंत्रालय भारत सरकार के डेस्क अधिकारी ने उनके आदेश सं. एल.-12012/376/88-डी2 (ए) दिनांक 18-11-88 निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायेगा वास्ते अधिनियम हेतु इस न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया है :

"Whether the action of the management of Bank of India Jaipur in stopping 5 annual increments of Shri Prahalad Meena, Clerk cum Cashier with cumulative effect and withdrawal of his Head Cashier allowance is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. यह प्राप्ति निर्देशन इस विवाद को इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया। उभय पक्षकारान को नोटिस के जरिये पंजीकृत डाक भेजे गये। अप्रार्थी बैंक की ओर से दिनांक 5-5-89 को श्री गोविन्द पुरोहित अधिकृत प्रतिनिधि अप्रार्थी बैंक उपस्थित आये। प्रार्थी यूनियन के महासचिव श्री आर.के. शर्मा पर प्रथम बार नोटिस की तामील दिनांक 26-4-89 को हुई उसके पश्चात भी प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया पुनः और नोटिस जारी किया गया। जिस नोटिस दिनांक 30-6-89 की तामील प्रार्थी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी पर हुई जिन्होंने नोटिस प्राप्ति की मोहर लगाकर मोहर पर हस्ताक्षर किये हैं। इस प्रकार यूनियन पर दो बार नोटिस की तामील कराई जा चुकी है वैसे भी यूनियन को छः अवसर दिये जा चुके हैं मगर इस कदर अवसर दिये जाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया है। श्रम मंत्रालय की ओर से निर्देशन में कापी प्राप्ति की प्रतिलिपि प्रार्थी यूनियन को भेजी गई है यह निर्देशन दिया गया था कि "विवाद उठाने वाले पक्ष को सलाह दी जाती है कि दावे का विवरण जो संगत दस्तावेजात सहित पूरा हो अवलम्बों (मिसलात) तथा गवाहों की सूची इस निर्देशन की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अधिकरण के समक्ष दायर करेगा और ऐसे विवरणों की एक प्रति इस विवाद में अंतर्ग्रस्त प्रत्येक विपक्षी पक्षकार को भी भेजेगा"। इस निर्देशन के अनुसार यूनियन पर यह जिम्मेदारी आयी थी कि वह निर्देशन प्रत्येक की प्राप्ति के 15 दिन बाद इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होकर अपना

स्टेटमेंट आफ क्लेम और जिन प्रलेखों पर उनका विश्वास है वह पेश करना और उनकी प्रतिलिपियां विपक्षी को देना। ऐसा करना तो दर-किनार रहा यूनियन की ओर से कोई उपस्थित तक नहीं आया है जबकि उन पर दो बार नोटिस की तामील हो चुकी है। इससे यह स्पष्टत: जाहिर होता है कि यूनियन इस विवाद को चलाने में रुचि नहीं रखती है अत: इस कारण से विवाद में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा अत: आज्ञा है कि इस विवाद सं. सी.आई.टी. 78/88 में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है। अवार्ड की प्रतिलिपि अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम 1947 केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशन में भेजी जावे।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-12012/376/88-डी II (ए)]

का.आ. 820.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 820.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

उपस्थिति: माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव, (आर एच जे एस)

सं. आई टी 2/89

मध्य

पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज यूनियन, परवाना भवन, माधोबाग, जोधपुर।

बनाम

महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, भीखा जी कामा प्लेस, नई दिल्ली।

रेफरेंस—अन्तर्गत धारा 10(1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

उपस्थित:

1. श्री जयन्ती लाल शाह अधिकृत प्रतिनिधि–प्रार्थी यूनियन उपस्थित।
2. श्री सुभाष चन्द्र बंसल कार्मिक अधिकारी–अप्रार्थी बैंक, उपस्थित।
3. दिनांक अवार्ड: 26-9-89

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने अपने आदेश संख्या एल-12011/75/88-डी II (ए) दिनांक 12-12-88, निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) एवं उप-धारा (2ए) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायेगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया।

"Whether the refusal of the management of Punjab National Bank, New Delhi to pay armed guard allowance to S/Shri Onkar Singh and Kishore Singh, Sub-staff/Peon/Armed Guard at Ratanada Colony and MGH Road branch of the bank respectively with effect from the dates of their appointment is justified? If not, to what relief the workmen concerned are entitled?"

इस निर्देशन के प्राप्त होने के पश्चात इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया, उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। यूनियन की ओर से दिनांक 4-7-89 को अपना स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत किया गया। स्टेटमेंट आफ क्लेम में यह जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक किशोर सिंह को अप्रार्थी बैंक ने आर्मड गार्ड के रूप में चौपासनी रोड शाखा जोधपुर में नियुक्त किया था। क्षेत्रीय प्रबंधक जोधपुर ने दिनांक 18-5-82 को किशोर सिंह को नियुक्ति का आदेश संख्या 735 दिनांक 8-5-82 को भेजा।

आगे जाहिर किया कि बैंक ने जितने समय किशोर सिंह चौपासनी रोड शाखा में रहा था उसको आमर्ड गार्ड भत्ता दिया। परन्तु उसके पश्चात उसे चौकीदारी का भत्ता दिया गया। किशोर सिंह ने बैंक को आमर्ड गार्ड भत्ता देने के बारे में लिखा, परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तत्पश्चात यूनियन ने इस विवाद को समझौता अधिकारी केन्द्रीय सरकार के समक्ष लाया परन्तु समझौता नहीं हो सका। अत: समझौता अधिकारी ने असफल वार्ता समझौता प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थना की कि किशोर सिंह प्रार्थी श्रमिक को जिस दिन से नियुक्त किया था उस दिन से उसे आमर्ड गार्ड भत्ता दिया जायें। इसी प्रकार श्री ओमकार सिंह का विवाद भी था जिसे भी रेफरेन्स के द्वारा भेजा गया।

अप्रार्थी बैंक की ओर से एक समझौता प्रस्तुत किया गया है जो पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज यूनियन एवं अप्रार्थी बैंक के मध्य हुआ है।

योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिक गण ने इस समझौते को जिसकी प्रति इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है स्वेच्छा से होना स्वीकार किया है और प्रार्थना की कि समझौते के मद्द में अवार्ड पारित कर दिया जावें।

चूंकि पक्षकारान के मध्य मौजूदा विवाद में समझौता हो गया है जो स्वेच्छा से किया जाना जाहिर पाया है। समझौता विवाद की परिधि में है। अत: समझौते की रुह से प्रार्थी श्रमिक गण के पक्ष में कन्सेन्ट अवार्ड पारित किया जाता है।

समझौता अवार्ड का अंग रहेगा अवार्ड की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जावे।

[सं. एल-12011/75/88-डी.II (ए)]

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

का.आ. 821.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 821.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

उपस्थित: प्रताप सिंह यादव, आर.एच.जे.एस.

सी.आई.टी.न. 1/89

मंत्री यू.को. बैंक स्टाफ एसोसियेशन द्वारा यू.को. बैंक रामपुरा बाजार, कोटा

—प्रार्थी

बनाम

डिवीजनल प्रबन्धक, यू.को. बैंक खाईलैण्ड मार्किट अजमेर

—अप्रार्थी नियोजक

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

उपस्थित :

(1) प्रार्थी यूनियन की ओर से बावजूद नोटिस तामील होने के कोई उपस्थित नहीं है।

(2) अप्रार्थी नियोजक बैंक की ओर से श्री मोरतमल स्वर्णकार, अधिकारी कार्मिक विभाग, यू. को. बैंक मण्डल कार्यालय, अजमेर उपस्थित हैं।

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने उनके आदेश संख्या एल-12012/423/88-डी 2(ए) दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 को निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10(1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसे तत्पश्चात अधिनियम कहा जायेगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को भेजा है।

"Whether the action of the management U.C.O. Bank is not giving special allowance to Shri V. P. Joshi w.e.f. 10-5-88 is justified? If not, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

बाद प्राप्ति निर्देशन इस न्यायाधिकरण ने पंजीकृत किया और उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये।

नोटिस जारी करने के उपरांत अप्रार्थी नियोजक बैंक की ओर से श्री नोरतमल स्वर्णकार उपस्थित आये और अपना अधिकार पत्र मण्डल प्रबन्धक के द्वारा तस्दीकशुदा प्रस्तुत किया। प्रार्थी यूनियन पर भी नोटिस की तामील दिनांक 29-9-89 को हो चुकी है और बावजूद नोटिस की तारीख पर भी कोई उपस्थित नहीं आये। मौजूदा कैम्प पर उपस्थित आने तारीख पेशी के लिए नोटिस भी प्रार्थी यूनियन को दिनांक 8-9-89, को अजमेर कैम्प पर बराये कार्यवाही उपस्थित आने के लिए भेजा गया मगर प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये न ही प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई प्रार्थना पत्र बाबत उपस्थित नहीं आने के प्रस्तुत किया गया। इससे ऐसा कोई कारण भी जाहिर नहीं आया कि किस कारण से यूनियन की ओर से क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस निर्देशन के संबंध में पहले ही ही छः अवसर दिये जा चुके हैं परन्तु प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा निर्देशन इस न्यायाधिकरण को भेजते समय निर्देशन में भी प्रार्थी यूनियन को यह आदेश दिया गया था कि औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय नियम 1957) के नियम 10-ब के अधीन विवाद उठाने वाले पक्ष का यह दायित्व है कि दावों का विवरण व संगत दस्तावेजों सहित अवलम्ब तथा गवाहों की सूची इस निर्देशन की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर, अधिकरण के समक्ष दायर करें और ऐसे विवरणों की एक प्रति इस विवाद के अन्तर्ग्रस्त प्रत्येक विपक्षी पक्षकार को भी भेजे। उपरोक्त निदेशन में इस प्रकार का आह्वान होते हुए भी प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया न ही किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा क्लेम पेश किया गया जब कि इस निदेशन की प्रति उनको केन्द्रीय श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भेजी गई। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा स्वयं भी प्रार्थी यूनियन को निर्देशन की एक प्रति भेजी जा चुकी थी जो उन्हें सामान्यतया अवश्य प्राप्त हुई होगी। उसके पश्चात एहतियातन इस न्यायाधिकरण द्वारा भी नोटिस जारी किये गये और नोटिस प्राप्त के बावजूद प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है जब कि छः अवसर दिये जा चुके हैं। इससे यही परिणाम निकलता है कि प्रार्थी यूनियन इस विवाद को चलाने में रुचि नहीं रखता है और इस कारण से इस विवाद के संबंध में No dispute award पारित किया जाता है। पंचाट की नकलिपि अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाय।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-12012/423/88-डी II (ए)]

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1990

का.आ. 822.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 धनबाद पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 28th February, 1990

S.O. 822.—*In pursuance of Section 17 of the Industrial* Disutes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 151 of 1988

PARTIES:

Employers in relatios to the management of Allahabad Bank.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers : Shri Srikant, Law Officer.

For the Workmen : Shri Sujit Ghose, Zonal Secretary of A.I.B.E.A.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Banking.

Dated, the 11th January, 1990

AWARD

By Order No. L-12011/63/88-D.2(A), dated, the 18th November, 1988, the Central Government is the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

"Whether the demand of the union that the subsidy for the House Rent for project areas should be increased Rs. 500 for clerical staff and Rs. 400 for sub-staff is justified? If so, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

2. The case of the sponsoring union, Bihar State Allahabad Bank Employees Union (A.I.B.E.A.) as appearing from the writte statement submitted on behalf of the workmen, details apart, is as follows :

The concerned workmen posted at Jamshedpur and Ranchi are workmen within the meaning of Industrial Disputes Act, 1947. They are posted at areas declared as Project Areas. It is incumbant on the part of the management to provide residential accommodation to them and/or in the alternative pay reasonable house rent allowance to them until such time as the Bank is in a position to offer residential accommodation to them. Para 8.3 of Bipartie Settlement dated 19-10-86 reads as under :

"House Rent Allowance in Project Area is granted on the basis that residential accommodation is not available in these areas. Accordingly, Hous Rent Allowance in these areas shall be payavailable in these areas. Accordingly, House offer residential accommodation."

Even after a lapse of more than 22 years, the management has failed to provide residential accommodation and no earnest effort is being made therefor. The management has released the subsidy at the rate of Rs. 275 and Rs. 175 per month to Clerical and Subordinate Staff respectively with effect from August, 1984. Residential houses at Jamshedpur belong to Tata Iron & Steel Co. Ltd. and other jiant Industries. The land around these housing colonies of the industries belong to Adivasis of Chotanagpur and the Adivasis who do not let out any house on hire. Small pieces of land lying between Company's land and the land of Adivasis are occupied by rich businessmen who let out portion of their houses on high rent. The situation of the other Project Areas at Ranchi is no better. The city of Ranchi is known as the summer capital of Bihar, a fast growing city with new industries. Here too, the giant industries like Heavy Engineering etc. are providing housing accommodation to their employees and in the remaining lands of Adivasis no housing accommodation is available. Housing accommodation is not possible to secure on a rent of Rs. 275 and Rs. 175 per moth for clerical and subordinate staff respectively. The management, though aware of the situations prevailing at Jamshedpur and Ranchi, has only driven the workmen to resort to agitational path to achieve their just demand. The All India Leadership of the Bank employees raised the Issue in Head Office Level meeting on 17-2-88 wherein it was stressed first to provide housing accommodation and/or in the alternative for the time being to release sufficient fund for house rent allowance at the rate of Rs. 500 and Rs. 400 for the clerical and subordinate staff respectively keeping in view of the housing shortage and high house rent in the aforesaid Project Areas. But the management, in a bid to avoid the real issue has released, during conciliation proceeding, housing subsidy of Rs. 350 and 250 for clerical and subordinate staff respectively per month with effect from 1-3-88 unilaterally. This unilateral action of the management has demolished the spirit of bilateralism and weakened the union's peaceful approach to the problem. In a similar reference before the Industrial Tribunal at Bhubaneswar, the Tribunal through its award dated 27-2-87 has directed the management of Allahabad Bank to provide residential accommodation. In the context of facts and circumstances the Central Government has been pleased to refer the matter for adjudication as the Government has felt that it is the primary responsibility of the management to provide residential accommodation to the workmen concerned and/or in the alternative to pay them reasonable rate of house rent. The demand of the concerned workmen for increase of house rent in Project Area to Rs. 500 and Rs. 400 for clerical and subordinate staff respectively is justified in view of other cogent reasons as stated herein :

(i) Some of the Banks like State Bank of India. The Bihar State Cooperative Bank Ltd. etc. are providing housing accommodation to its employees in Project Areas like Jamshedpur.

(ii) Some of the Banks in Project Areas where housing accommodation is not provided have increased house rent allowance as under :

(a) State Bank of India—Increased house rent from Rs. 350 & Rs. 250 to Rs. 500 and Rs. 350.

(b) Syndicate Bank—Increased house rent from Rs. 350 and Rs. 250 to Rs. 450 and Rs. 350 with effect from 1-11-87.

(c) Punjab & Sind Bank—Increased house rent from Rs. 300 and Rs. 200 to Rs. 450 and Rs. 350 with effect from 1-4-88.

Similarly U.C.O. Bank, Canara Bank, Bank of India. United Bank of India also have increased house rent subsidy to Rs. 450 and Rs. 350.

The demand of the concerned workmen is justified and it is prayed that the present reference be answered in favour of the union of the workmen.

3. In the case of the management Allahabad Bank, Regional Office, Ranchi, as appearing from the written statement submitted by it, briefly stated, is as follows :

The present is not maintainable and the union has no locus standi to raise the claim. Allahabad Bank is a nationalised Bank having its Head Office at Calcutta, Zonal Office at Patna and Regional office of Patna Zone at Patna, Ranchi, Bhagalpur and Muzaffarprur. Functioning of the Bank is governed by laws of the land. Awards and Bipartite Settlements in force. The matter of provisions for housing accommodaion, payment of housing subsidy in lieu thereof etc. pertaining to service conditions of the employees came under the purview of collective bargaining at Industry Level concerning all Banks on All India basis. Hence, a State Unit of recognised union is not competent to raise the demand for enhancement of house rent. As per Bipartite settlement dated 31-10-79 the workmen "A" Class Banks in Project Areas are to be paid house rent at specified rates, if quarters are not provided to them. The present rates of house rent allowance at Project Areas Centres Group 'A' and Group 'B' which are presently applicable in terms of clause 9 of the Bipartite Settlement on residual issues of Fourth Bipartite Settlement dated 5-1-87 are as follows :

Group 'A'—12½% of pay—Minimum Rs. 35 and maximum Rs. 220 per month.

Group 'B'—10% of pay—Minimum Rs. 35 and maximum Rs. 175 per mhonth.

In terms of Bipartite Settlement dated 19-10-86 Jamshedpur is treated as Project Area Group 'A' and in terms of Bipartite Settlement dated 8-11-73 Ranchi is treated as Project Area Group 'B'. Under the aforesaid provisions of Bipartite Settlement at Industry Level, the management is under obligation to pay house rent allowance to the workmen posted at Project Area Centres to the extent as provided therefor. The workmen posted at Jamshedpur and Ranchi are entitled house rent allowance applicable to Project Area Centres Group 'A' and Group 'B' respectively. Considering the nature of hardship of the employees posted at project area centres, the management considered the matter sympathetically and accordingly maximum limit of amount of reimbursement of monthly house rent was enhanced from Rs. 275 to Rs. 350 in case of clerical staff and from Rs. 175 to Rs. 250 in case of subordinate staff with effect from 1-3-88 and accordingly reimbursement is being made to the workmen posted at Project Areas including both Jamshedpur and Ranchi. All India Allahabad Bank Employees' Coordination Committee, the recognised union, was apprised of the matter in the feeting held on 17-2-88. Bihar State Allahabad Bank Employees' Union is a constituent of the above Coordination Committee. All the clerical and subordinate staff of Ranchi and Jamshedpur are availing the aforesaid increased rate of housing subsidy since 1-3-88. Although as per provisions of existing Industrywise Settlements the workmen are to be paid less house rent, the management as a gesture of benevolence, is paying/reimbursing housing subsidy at higrer rate. The existing Bipartite Settlement expressly provided that the parties to the settlement, during the operation of the settlement, will not raise any demand of any nature whatsoever of any of the Banks in respect of matters covered by the agreement. The Union agreed to the quantum of house rent allowance at Rs. 275 for clerical staff and Rs. 175 for subordinate staff which was further enhanced to Rs. 350 and Rs. 250 respectively. The management is under no obligation to effect frequent increase in the quantum of house rent reimbursement every year at the demand of the workmen. In the circumstances, the management has submitted that the demand of the union for increase of house rent for Project Area to Rs. 500 for clerical staff and Rs. 400 for subordinate staff is not justified.

4. In rejoinder to the written statement of the management, the union has stated that the Bank is liable to pay house rent until such time the Bank is in a position to offer residential accommodation to its employees as per Bipartite Settlement dated 19-10-66. The union has further stated that statements of facts regarding housing problem at Jamshedpur and Ranchi are well know facts which cannot be wished away by disavowal of the management. Release of housing subsidy at the rate of Rs. 350 p.m. for clerical staff and Rs. 250 p.m. for subordinate staff was an attempt on the part of the management to avoid real issue. Acceptance of benefit by way of unilateral action of the management does not take away the right of the employees at Jamshedpur and Ranchi to demand increase in subsidy for house rent.

5. In rejoinder to the written statement of the sponsoring union, the management has sub[illegible]

the matter. The management has denied the statements of facts of the sponsoring union with regard to scarcity of housing accommodation at Jamshedpur and Ranchi. It has been further submitted by the management that the demand of the union is highly unreasonable and housing subsidy paid by other Banks are irrelevant in the present case as the matter has to be decided by the individual Bank in conformity with the provisions of Bipartite Settlement.

6. The sponsoring union, in support of its demand has examined Sri Sujit Ghose, Asstt. General Secretary of the union as WW-1 and laid in evidence a sheaf of documents which have been marked Exts. W-1 to W-4. On the other hand, the management, in order to answer the demand of the sponsoring union, has examined Sri P.S. Chakraborty, Dy. Personnel Manager in Ranchi Regional Office of Allahabad Bank as MW-1 and laid in evidence a mass of documents which have been marked Exts. M-1 to M-3|1.

7. The crux of the present dispute relates to the demand of the sponsoring union for increase of subsidy for house rent to Rs. 500 and Rs. 400 p.m. for clerical staff and subordinate staff respectively posted in Project Areas of Jamshedpur and Ranchi.

Admittedly, Allahabad Bank (hereinafter referred to as the Bank) is a nationalised Bank and functioning of the Bank is governed by the laws of the land. Awards and the Bipartite settlements in force. The sponsoring union, namely, Bihar State Allahabad Bank Employees' Union is a constituent of All India Allahabad Bank Employee's Co-ordination Committee which is the recognised union. It is an undeniable position that Jamshedpur and Ranchi are treated as Project Areas Centres Group 'A' and Group 'B' respectively by the management.

8. The issue of providing house rent in lieu of residential accommodation in Project Areas surfaced for the first time in Bipartite Settlement dated 19-10-66. The relevant portion of the said Bipartite Settlement reads as follows :—

> "House rent allowance in Project Areas is granted on the basis that residential accommodation is not available in these areas. Accordingly, house rent allowance in these areas shall be payable until such time as a Bank is in a position to offer residential accommodation."
>
> The continuance of house rent allowance in Project areas after the expiry of this settlement will be subject to their fresh review of the housing situation in these places.

Jamshedpur, in terms of this settlement, was declared as Project Areas Group 'A' and accordingly house rent allowance was made available to the staff posted there at certain rates. Later, Ranchi became a Project Area Group 'B' with effect from 1-8-71.

9. The First Bipartite Settlement dated 19-10-66 was replaced by Settlement dated 31-10-79 in respect of many matters including house rent allowance in Project Areas (Ext. M-3). In terms of this Settlement house rent allowance at certain rates were determined and allowed (Ext. M-3/1). Thereafter the management of the Bank and the representatives of the recognised union arrived at a Bipartite agreement on 3-8-84 in terms of which house rent allowance in Project Areas was enhanced to Rs. 275 and Rs. 175 per month. for non-subordinate and subordinate staff respectively with effect from 1-8-84 (Ext. M-2 = W-1).

10. Shri Srikant, authorised representative of the Bank, has submitted before me that during the period this settlement is in force, the union is not competent to raise any fresh demand on the issues covered by the settlement. A settlement may be arrived at by an agreement between the employers and the workmen either in conciliation proceeding or otherwise than in conciliation proceeding. There is no evidence to indicate that the agreement dated 3-8-84 was effected in the course of conciliation proceeding. That being so, it follows that this agreement was arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding. Rule 58 of the Industrial Disputes Act provides the formalities for an agreement/settlement which is arrived at both in the course of conciliation proceeding or otherwise than in conciliation proceeding. Where a settlement is arrived at between an employer and his workmen otherwise than in the course of conciliation proceeding, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereto to the Central Government, the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi and the Regional Labour Commissioner (Central) and to the Asstt. Labour Commissioner (Central) concerned. A settlement will not be effective unless the requirements of this Rule are complied with. There is no vestige of evidence on record to indicate that these requirements were compiled with both by the employer and the employees. That being so, this agreement or settlement does not put any emargo upon the union not to raise a demand for enhancement of house rent allowance in Project Areas. Hence, I consider that the contention of Shri Srikant is not sustainable and the present reference emerging from the demand of the union for enhancement of house rent allowance in Project Areas is maintainable.

11. But whether the demand of the union for increasing of house rent allowance in Project Areas at Jamshedpur and Ranchi in respect of both clerical staff and subordinate staff at the rate of Rs. 500 and Rs. 400 per month respectively is justified or not is a different issue.

It appears that All India Allahabad Bank Employees' Co-ordination Committee in the meeting held on 17-2-88 between the management of Allahabad Bank and representatives of Co-ordination Committee demanded that subsidy for house rent allowance for Project Areas should be increased to Rs. 500 for clerical staff and Rs. 400 for subordinate staff with effect from 1-1-87 (Ext. W-4). The Union representatives of the Co-ordination Committee stated that immediate arrangement for providing quarters at the Project Areas must be made and till the quarter was not available the subsidy for house rent for Project Areas should be paid at the rates as aforesaid. It also appears from this document that management's representatives stated in that meeting that they had already increased subsidy for clerical staff to the extent of Rs. 350 and for subordinate staff Rs. 250 per month with effect from 1-3-1988 and that the union representatives strongly protested over the unilateral decision of the management and the representatives of the management stated that the matter of subsidy for house rent allowance in Project Areas would be suitably revised later on. In the written statement, the sponsoring union has complained that the management, in an attempt to avoid the real issue, released housing subsidy during conciliation proceeding unilaterally and this unilater action has demolished the spirit bilaterism. The question whether the unilateral action of the management has eroded the confidence of the union in the management is a matter between the employer and the employees and it is not discreet for the Tribunal to pronounce its opinion in the matter.

12. The sponsoring union has catalogued the hard facts of life arising out of scarcity of housing accommodation in the Project Areas of Jamshedpur and Ranchi. As a matter of fact the First Bipartite Settlement dated 19-10-66 realised that residential accommodation was not available in the Project Areas and being alive to this position, house rent allowance in the Project Areas was allowed by the employer of the Bank. There is no evidence on record to indicate that the problem of residential accommodation, especially in the Project Areas has been lessened over the years.

The sponsoring union has catalogued some instances where other Banks, namely, State Bank of India, Syndicate Bank, Punjab & Sind Bank, U.C.O. Bank, Canara Bank, United Bank and Bank of India have been paying subsidy for house rent allowance in Project Areas at much higher rate ranging from Rs. 500 to Rs. 450 per month for clerical staff and Rs. 350 for subordinate staff per month. The Bank has submitted in its written statement that consideration of this question is irrelevant in the present case and that matter has to be decided by the individual Bank inconformity with the provisions of Bipartite Settlement. But there is no whit of evidence to show that the Banks named above have decided to pay house rent allowance at the rates mentioned above in abrogation of Bipartite Settlement.

13. In terms of Bipartite Settlement the Bank is under an obligation to provide residential accommodation to its staff in Project Areas and until that is arranged it is required to pay house rent allowance to be determined by Bilateral

Settlement/Agreement from time to time in default by having recourse to conciliation proceeding or Award of the Tribunal.

14. In the present case the union has claimed house rent allowance at the rate of Rs. 500 and Rs. 400 for clerical and subordinate staff respectively for the Project Areas of Jamshedpur and Ranchi. In order to determine this question sufficient evidence about the financial condition of the Bank and its various commitment is required to be adduced. Unfortunately, the union has not made any attempt to bolster up its case by adducing evidence from that angle. In the circumstances, I am constrained to state that there is no sufficient evidence supportive of the demand of the union for increase of subsidy for house rent allowance in Project Areas of Jamshedpur and Ranchi to Rs. 500 and Rs. 400 per month for clerical and subordinate staff respectively. Even so, the management in the meeting held with the union on 17-2-88 had committed to review the matter suitably later on. It has surfaced in evidence that the employees of the Bank at Jamshedpur and Ranchi resorted agitational programme including strike on 30-12-87 and 31-12-87 over the issue of increase of subsidy for house rent there (Exts. W-2 and W-2/1). In the interest of peace and harmony in the industry and industrial relation, the management should do well to review the position once again before the matter is drifted to collision course.

15. Accordingly, the following award is rendered—the demand of the union for increase of house rent to Rs. 500 and Rs. 400 for clerical and subordinate staff respectively for the Project Areas of Jamshedpur and Ranchi is not considered justified upon the evidence on record. Anyway, the management is directed to review the matter as it committed to do so in the union—management meeting held on 17-2-88 expeditiously.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-12011/63/88-D.II (A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1990

का.आ. 823.—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के खण्ड (ख) के अनुसरण में श्री बलदेव महाजन के स्थान पर श्री पी.जी. लेले, वित्तीय सलाहकार श्रम मंत्रालय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.संख्या 293 दिनांक 8 जनवरी, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, (केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट) शीर्षक के नीचे मद 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

श्री पी.जी. लेले,
वित्तीय सलाहकार,
श्रम मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

[सं. यू-16012/6/89-एस.एस. I]

ए.के. भट्टाचार्य, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 1990

S.O. 823.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (b) of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), appointed Shri P. G. Lele, Financial Adviser, Ministry of Labour as member of the Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Baldev Mahajan ;

Now, therefore, in pursuance of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. No. 293, dated the 8th January 1988, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government under clause (b) of section 8)", for the entry against Serial No. 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri P. G. Lele,
Financial Adviser,
Ministry of Labour,
Governmnet of India,
New Delhi.

[No. U-16012/6/89-SS. I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1990

का.आ. 824.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण गुवाहाटी के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-3-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 5th March, 1990

S.O. 824.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Guwahati, Assam as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 2-3-1990.

ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, GUWAHATI. ASSAM.

REFERENCE NO. 8 (c) OF 1988

PRESENT :

Shri D. N. Hazarika,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Guwahati.

In the matter of an Industrial Dispute between :

The management of Food Corporation of India, Guwahati.

and

Their workmen Sarbashri Jiban Kalita, Jiban Bora, Mohan Kalita and Rusum Bahadur.

APPEARANCES :

Shri S. Dutta, Advocate.

... For the Management

Shri G. C. Das, Advocate.

.. For the Workmen.

AWARD

The Government of India vide notification No. L-42011/21/88-D. II. E/D. IV. E, dated 3-11-1988 referred an Industrial Dispute of the following nature for adjudication by this Tribunal :—

"Whether the action of the District Manager, Food Corporation of India, Guwahati in terminating the services of S/Shri Jiban Kalita, Jiban Bora, Mohan Kalita and Rusum Bahadur w.e.f. 1-4-79, 1-1-1979, 1-11-1983, 1-4-1982 respectively and not regularising in Food Corporation of India is justified ? If not to what relief the workmen concerned are entitled."

On receipt of the references notices were issued to the parties to file their written statements in support of their

respective cases. Both the parties received notices in time and filed their written statements. In course of hearing workmen examined three witnesses. Management declined to adduce evidence.

Learned Counsel for the workman argued that concerned 4 workmen were engaged by the District Manager, F.C.I., Sonitpur and they served continuously for more than 284 days each as casual labourer in different F.C.I. godowns. Workman Jiban Kalita served for more than 4 years. In the same way other 3 workmen also served continuously for more than 284 days each. He further contended that though these workmen were engaged as casual labourer by F.C.I., their continuous service for more than 284 days make them entitle to the benefit of permanent workers. He relied on the decisions of their Lordships in B. R. Singh and others -vs- Union of India and others (A.I.R. 1990 S. C. Page 2).

Management denied to have appointed or engaged these workmen and thereby denies the relationship of employer and Employee. Ex. 2 letter written by District Manager Benu Gopal admittted F.C.I. engaged these 4 workmen as labourer to work in Bindukuri F.C.I. Godowns. It is further admitted by District Manager vide Ex. 2 that workman Jiban Kalita and others served as casual labourers and were paid wages regularly by F.C.I. From the above admission it is clear, workmen Jiban Kalita and others were serving as casual labourers in the F.C.I. godown at Bindukuri.

Now the question is for how many days these workers served as casual labourers under F.C.I. On this point Ex. 2 is very clear and shows Jiban Kalita served there for more than 4 years. In the same way other 3 workers also served for more than 240 days continuously. Management terminated services of these 4 workmen vide order dated 31-12-1984. Learned Counsel for the workmen contended that termination of services of these workmen are covered by S. 25 (F) of Industrial Dispute Act and all these workmen are entitle to the benefit of compensation and also retrenchment benefit. In the instant case management failed to give notice and retrenchment benefit denying complete liability which is against the provision of S-25 (F) of the Industrial Dispute Act. Retrenchment without fulfilling the conditions precedent is void-ab-initio. He relied on A.I.R. 1984 S. C. Page 500. It is true management retrenched these workmen without fulfilling the requisite conditions. Their Lordship observed in A.I.R. 1984 S. C. page 500 that retrenchment without complying pre-requisites for valid retrenchment is void-ab-initio. Hence I find the retrenchment order dated 31-12-1984 is void-ab-initio as the pre-requisites of valid retrenchment is not complied with. Therefore management is not justified in dismissing the services of these 4 workmen.

Since retrenchment is not legally justified I find workmen are entitle to reinstatement with back wages from the date of passing of the termination order i.e. 31-12-1984.

I give this Award on this 19th day of February, 1990 at Guwahati under my hand and seal.

D. N. HAZARIKA, Presiding Officer.

[No. L-42011 (21)/88-D. II. B.-D. IV. B./IR (C II)]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1990

का.आ. 825.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ब मैसर्स ई.सी. लि. की पोरसकोल कोलियरी, कजोरा एरिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-3-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 6th March, 1990

S.O. 825.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Indusrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure between the employers in relation to the management of Porascole Colliery, Kajora Area of M/s. E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 5-3-1990.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 123 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Porascole Colliery, Kajora Area of M/s. E.C. Ltd.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of employer—None.

On behalf of workmen—None

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal

AWARD

By Order No. L-19012(159)/86-D.IV (B) dated 24-8-1987, the Government of India, Ministry of Labour, referred the following disptue to this Tribunal for adjudication :

"Whether the Management of Porascole Colliery, Kajora Area of Eastern Coalfields Ltd. P.O. Kajoragram Distt. Burdwan was justified in denying promotion to Ramesh M. Patadia from Gr. II Clerk to Gr. I from the date his juniors were promoted ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The case record is put up today as I was on casual leave on 21-2-1990, the date fixed for hearing.

3. It appears that the Union filed a petition on 21-2-1990, stating therein that the Union is not interested to proceed with the present reference and as such has prayed for a "No Dispute Award". The said petition has been endorsed by the Management with the remark "No Objection".

4. Accordingly the case is taken up today and on due consideration of the petition of the Union I pass the "No Dispute Award".

This is my Award.

Dated, Calcutta,

The 22nd February, 1990.

SUKUMAR CHAKRAVARTY, Presiding Officer

[No. L-19012(159)/86-D.IV.B/IR (C. II)]

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1990

का.आ. 826.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ब मैसर्स सिंगरानी कोलियरीज कं.लि., सोमागुदम नं. 1 इनक्लाइन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-3-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 7th March, 1990

S.O. 826.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., Somagundam No. 1 Incline and their workmen, which was received by the Central Government on 6-3-1990.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri D. Ramalinga Swamy, B.Com., B.L., Industrial Tribunal.

Dated, the 24th February, 1990

Industrial Dispute No. 17 of 1987

BETWEEN

Workmen of S.C. Co. Ltd., MM and SMG Mines, P.O. Kalyani Khani, Dist. Adilabad.

AND

The Management of S.C. Co. Ltd., MM and SMG Mines, P.O. Kalyani, Distt. Adilabad (A.P.)

APPEARANCES :

M/s. A. K. Jaya Prakash Rao, P. Damodar Reddy,

Ch. Laxminarayana, U. V. N. Gouda, Advocates—for the Workmen.

M/s. K. Srinivasa Murthy, G. Sudha, Advocates—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-21012/60/86-D.III (B) dated 28-4-1987 referred the following dispute under Section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of S.C. Company Limited, MM and SMG. Mines, P.O. Kalyanikhasi District, Adilabad (A) and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, in relation to their Somagundam No. 1 Incline in dismissing Sri M. A. Saleem, Clerk, w.e.f. 6-1-85 is justified ? If not to what relief the workman is entitled ?"

This reference is registered as Industrial Dispute No. 17 of 1987, and notices were issued to the parties

2. The workman Sri M. A. Saleem was appointed as Grade II Clerk in the year 1981 in Singareni Collieries Company Limited, and by the relevant time, he was working as a Pay Sheet Clerk at Somagundam. He was charge sheeted for the alleged misconduct as per Ex. M-1 dated 22-6-1984. Three charges were framed against him (i) that he paid salary for the month of July, 1983 for 22 days to Sri Dagam Istari, Tindal Muccadam, even though the worker had not put up even a single muster (ii) that he deliberately entered false entries is 'H' Register showing more number of musters than the actual to Dagam Istari so as to make eligible for earned leave with pay and (iii) that the Clerk by causing falsification of records made Dagam Istari eligible for L.L.T.C. though infact he is not eligible as per the Company's procedure. Sri V. V. S. N. Murthy the Personnel Officer then working at Bellampalli was appointed as Enquiry Officer to conduct a domestic enquiry in all Mines as per Ex. M-22 proceeding dated 15-7-1983. Therefore, he was conducted the domestic enquiry in this case. The workman submitted his explanation Ex. M-2 dated 18-7-1984. Exs. M-3 to M-11 are the various notices regarding the posting of the enquiry etc. Ultimately, the Enquiry Officer conducted a domestic enquiry in the presence of the workman commencing from 21-7-1984. Ex. M-12 are the enquiry proceedings drafted by the Enquiry Officer which include, the various statements recorded by him during the enquiry. One Radha Krishna Rao who was then working as Executive Engineer at Somagundam No. 1 Incline gave evidence before the Enquiry Officer, and the cross examination and the defence was conducted by the workmen himself in person. Radha Krishna Rao also acted as the Management's representative during the domestic enquiry. The statement of the workman was recorded by the Enquiry Officer, and he was cross examined at length by the Management representative. The recording of these two statements, went on for several days commencing from 21-7-1984 and as the workman stated that he has no [illegible] ev[illegible] the enquiry is completed on 13-10-1984. The Enquiry Officer submitted his enquiry report Ex. M-13 dated 27-11-1984 and the Disciplinary Authority ultimated passed Ex. M-14 order dated 21-12-1984 dismissing the workman from service w.e.f. 6-1-1985. Hence this dispute was raised and he Government of India referred this dispute for adjudication to this Tribunal by an order dated 28-4-1987.

3. The workman filed his claim statement and the Management filed its counter. One of my learned predecessor passed an order dated 3-8-1988 to the effect, that the Tribunal has to decide about the validity of the domestic enquiry in the first instance as a preliminary issue, and that therefore, both sides adduced evidence before the Tribunal regarding this preliminary point. The enquiry officer is examined as MW-1, and the workman was examined as WW-1 before this Tribunal, and Exs. M-1 to M-22 were marked for the Management, and no documentary evidence was adduced for the workman. Ultimately after hearing with regard to the merits on the preliminary point, my learned predecessor passed a detailed order dated 4-10-1980 upholding the validity of the domestic enquiry finding, that the domestic enquiry was conducted in a fair manner, that there is no violation of any principles of natural justice in conducting the enquiry, and that the enquiry is fair, proper and is valid. There upon, the hearing of this matter with regard to the merits of the dispute was taken up and ultimately on consideraion of the entire material available before me, this award is passed.

4. As per the decided authorities, the scope of the enquiry before this Tribunal regarding this dispute is limited and it is to find out on four aspects : This Tribunal will interfere (i) when there is want of good faith, (ii) when there is victimisation or unfair labour practice, (iii) when the Management has been guilty of basic error or violation of principles of natural justice and (iv) when on the materials available before the Disciplinary Authority, the finding is completely baseless or perverse. In the absence of any of the aforesaid defects, the Tribunal has no jurisdiction to interefere with the findings of the Disciplinary Authority, vide 1959 (II) LLJ, page 245 (Bali Tea Estate v. Its Workers) and AIR 1963 Assam page 155 (Lingarajan Tea Estate v. Labour Court).

5. In this case, the workman also had taken a plea, that the quantam of punishment namely dismissal from service is shockingly disproportionate to the gravity of the alleged misconduct, and it is nothing but an act of victimisation and unfair labour practice. With regard to the question whether the Tribunal can interfere with the quantum of punishment imposed by the Disciplinary Authority while upolding his finding regarding the misconduct of the workman, there is a latest authority of the Supreme Court in 1989 (I) LLJ page 71 (Scooter India Limited, Lucknow v. Labour Court, Lucknow) : Where a Labour Court while deciding the issue taken a lenient and humanitarian view in view of the circumstances of that case, the Supreme Court did not interfere in the matter. In the circumstances, the following points will arise for consideraion :

(i) Whether the Management is guilty of any violation of principles of natural justice ?

(ii) Whether the order of the Management lacks any good faith ?

(iii) Whether on the material available against the workman, findings of the domestic enquiry are completely baseless and perverse ?

(iv) Whether there is victimisation or any unfair labour practice with regard to this worker ?

(v) Whether the punishment imposed by the Management is too severe and harsh shockingly disproportionate to the gravity of the alleged misconduct.

(vi) To what result ?

6. Points (i) and (ii).—With regard to the absence of any mala fide, the observance of the principles of natural justice, and giving a fair and reasonable opportunity to the workmen during the domestic enquiry, my learned predecessor found as per the order dated 4-10-1989 holding, that the domestic enquiry was fair and reasonable and did not oppose or violate the principles of natural justice etc. and hen[illegible] are

7. Points (iii).—The main charge against the charge sheeted employees is, that he paid salary for 22 days in July 1983 to Sri Dagam Istari an employee of this Management though he said worker did not put in even a single muster during the month. The other two charges are practically consequential in nature as can be seen later. The plea of the workman with regard to this charge is, that though Dagam Istari did not work even for one day in July 1983 the charge sheeted employee intact paid wages to him for 22 days, but it is not intentional but merely inadvertent. He stated so in his explanation Ex. M-2 dated 18-7-1984, during his statement before the Enquiry Officer, and also in the claim statement stating, that due to over load of the work he made the payment by mistake. Thus it is beyond doubt, that he paid 22 musters to an employee of the Management though he did not attend even for one day during the month of July, 1983. The question of bona fide or mala fides with regard to the payment is a question of fact depending upon the various circumstances. In this case, during the domestic enquiry the Management's representative was examined as MW-1, and the charge sheeted employee gave also a statement and he examined another witness P. R. Surya Prakash Rao. From the statements made by these witnesses and the charge sheeted employee, the Enquiry Officer found, that the musters were not originally printed with regard to Dagam Istari by Aurema Section, but he made the entries in the Pay Sheet in his own handwriting and he paid the amount to Dagam Istari. The Enquiry Officer opined in the enquiry report Ex. M-13 dated 27-11-1984, that considering all the material available before him, that the worker acted fraudulently by paying 22 musters to Dagam Istari, Dagam Istari did not attend for work even for one day during July 1983 as per the Attendance Register Ex. M-18 and there is absolutely no possible reason, as to why the charge sheeted employee paid 22 musters by making entries in the Pay Sheet as per Ex. M-17. When the pay particulars payable to Dagam Istari were not printed in the Pay Sheet, it is not known, how the charge sheeted employee got these particulars and wrote them in ink in the pay sheet, and paid salary for 22 musters besides for the two play-days' Allowance. A bald explanation that he did so by inadvertent will not justify any innocence on his part. In the light of this evidence, I feel by no stretch of imagination it can be said, that the findings of the Enquiry Officer are baseless or perverse.

8. The two other charges are that the charge sheeted employee made false entries in 'H' Register with the intention of making Dagam Istari eligible for earned leave with pay, and that due to the falsification of the records, the charge sheeted employee made by eligible for L.L.T.C. though he is not otherwise eligible. In view of the evidence of Surya Prakash Rao, the Enquiry Officer rightly concluded, that the charged sheeted employee did not make any entries in 'H' Register. But the Enquiry Officer found, that due to the payment of 22 musters by making enries in the pay-sheet, it resulted in making Dagam Istari eligible for leave with pay though he is not eligible, and consequently for the L.L.T.C. also. In the circumstances, due to the misconduct of the charge sheeted employee with regard to charge No. 1, the other consequences followed which are the subject matter of charges Nos.2 and 3. In view of this material, the domestic enquiry officer gave the findings and they are accepted by the Management as per their final order dated 21-12-1984. In the circumstances, I am of the view, that the findings of the Enquiry Officer are not perverse or baseless and this point is answered accordingly.

9. Points (iv) and (v).—In view of the findings on points (i) to (iii), it cannot be said, that the Management is guilty of victimisation or unfair labour practice. It is vehemently contended for the workman, that the capital punishment of dismissing from service is shockingly disproportionate to the gravity of the offence. The Management categorically stated in its counter in para 2, that this worker was initially appointed by them as a Clerk on 7-1-1975 and that while he was working in Bellampalli Stores, he committed serious misconduct of misappropriation and hence the Management terminated his services after charge sheeting him and conducting a domestic enquiry, and that subsequently, on a mercy Petition and due to the intervention of the Workers' Union, the Management reappointed him on 16-5-1981. Inspite of this categorical plea taken by the Management about his prior misconduct, the worker did not adduce any evidence before this Tribunal to show, that such allegation is not true. Hence, the fact that this worker was guilty of gross misconduct of misappropriation of funds while he was working under the same Management, that he was removal from service on that ground and that he was reappointed out of mercy stands unchallenged. Even in the present case, the proved misconduct is payment of 22 days' musters to Dagam Istari who did not attend or put in 22 musters making eligible for leave with pay and for L.L.T.C. though he is not eligible for the same, is gave and serious. I think that having regard to the gravity of the offences and also his prior conduct, the punishment of dismissal imposed in this case is not at all shockingly disproportionate to the gravity of the misconduct, and these two points are answered accordingly.

10. In the result, I find that the action of the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, in relation to their Somagundam No. 1 Incline, in dismissing Sri M. A. Saleem, Clerk w.e.f. 6-1-85 is justified and hence the workman is not entitled to any relief.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 24th day of February, 1990.

D. RAMALINGA SWAMY, Industrial Tribunal

[No. L-21012(60)/86-D.III.B/IR (C. II)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the Management :	Witnesses Examined for the Workmen :
	WW-1—M. A. Saleem.
MW-1—V. V. S. N. Murthy.	

Documents marked for the Management

Ex. M-1—Charge sheet dated 22-6-84 issued to M. A. Saleem by the Colliery Manager, S.M.G. No. 1 Incline.

Ex. M-2—Explanation dated 18-7-84 submitted by M. A Saleem, Clerk to the Colliery Manager, Somagundam No. I Incline, Bellampalli.

Ex. M-3—Enquiry Notice dated 8-7-84 issued to M. A. Saleem by the Colliery Manager, SMG No. I Incline, S.C. Co. Ltd., Bellampalli Adilabad District A.P.

Ex. M-4—Letter dated 13-7-84 addressed to M.A. Saleem by the Colliery Manager, SMG No. I Incline, S.C. Co. Ltd., Bellampalli, Adilabad District (A.P.) with regard to fix up the enquiry.

Ex. M-5—Enquiry Notice dated 19-7-1984 issued to M. A. Saleem by the Colliery Manager, S.C. Co. Ltd., SMG No. I Incline.

Ex. M-6—Enquiry Notice dated 22-7-84 issued to M. A. Saleem by the Colliery Manager, S.M.G. No. I Incline, S.C. Co. Ltd.,

Ex. M-7—Enquiry Notice dated 7-8-84 issued to M. A. Saleem by the Colliery Manager, S.M.G. No. I Incline, S.C. Co. Ltd.,

Ex. M 8—Enquiry Notice dated 11-9-84 issued to M. A. Saleem by the Colliery Manager, S.M.G. No. I Incline, S.C. Ltd.,

Ex. M-9—Enquiry Notice dated 16-9-84 issued to M. A. Saleem by the Colliery Manager, S.M.G. No. I Incline, S.C. Co. Ltd.,

Ex. M-10—Enquiry Notice dated 30-9-84 issued to M. A. Saleem by the Colliery Manager, S.M.G. No. I Incline. S.C. Co. Ltd.

Ex. M-11—Enquiry Notice dated 12-10-84 issued to M. A. Saleem by the Colliery Manager, S.M.G. No. I Incline, S.C. Co. Ltd

Ex. M-12—Enquiry proceedings.

Ex. M-13—Enquiry Report.

Ex. M-14—Photostat copy of he dismissal Order date 21-12-84 issued to M. A. Saleem by the General Manager. Bellampalli, S.C. Company Limited.

Ex. M-15—True copy of the Letter dated 19-11-84 addressed to M. A. Saleem by the Colliery Manager, S.C. Co. Ltd. SMG No. I Incline with regard to charges against him.

Ex. M-16—Admitted fact of M. A. Saleem with regard to Dagam Istari's calculations in Ex. M-12 at page 25.

Ex. M-17 By consent—Pay Sheet for daily rated workmen for the month of July, 1983 paid on 8-8-1983.

Ex. M-18 By consent—Register of persons employed below ground during the month of July, 1983 at SMG 3 Incline. "G" Shift-Tyndals—The name of Dagam Istari was mentioned at Serial No. I at page 36.

Ex. M-19 By consent—Lamp room attendance register Lamp No. 7135 allotted to Dagam Istari at page No. 148.

Ex. M-20—By consent—Cut Leaf Register from May, 1983 pertaining to S.C. Co. Ltd., Bellampalli.

Ex. M-21 By consent—At page 17 of Ex. M-20 where in Dagam Istari name was mentioned—"No musters"-"No musters".

Ex. M-22—Photostat copy of the Order dated 15-7-1983 of Additional CME/BD-II, S.C. Co. Ltd., Bellampalli, appointing V. V. S. N. Murthy as Enquiry Officer to conduct the domestic enquiries in all Mines of B.D. II.

Documents marked for the Workmen

NIL

D. RAMALINGA SWAMY, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1990

का.आ. 827.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण असम डिब्रूगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6 मार्च, 1990 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 7th March, 1990

S.O. 827.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby published the following award of the Assam Dibrugarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 6-3-90.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASSAM AT DIBRUGARH

PRESENT :

Shri I. P. Brahma,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Dibrugarh.

In the matter of an industrial dispute between :—

The Management of State Bank of India, Shillong, Assam.

Vs.

Sri K. C. Tharakan, Ex. Clerk cum Typist,
State Bank of India, Shillong, Assam.

Ref. No. Cent. 1 of 1971

AWARD

Dated, the 23rd January, 1990

This industrial dispute was referred by the Govt. of India to this Tribunal vide letter No. 23|46|70|LRIII dated 8-1-71. The only issue involved in the reference for adjudication is :—

"Whether the action of the management of the State Bank of India, Shillong in discharging Shri K. C. Tharakan from the Bank's services with effect from 6th December, 1969 was justified ?"

If not to what relief is he entitled ?"

The reference was received by this Tribunal on 22-1-71, but the same was registered and put up for order only on 29-3-71. On being called upon, parties filed written statements and additional written statements in support of their respective claims and the reference reached its stage for hearing on 19-6-71. But the same was kept in the pending list for hearing at Gauhati Circuit Sitting on 29-3-73. The hearing of the reference could not however be taken up on the date fixed for some reasons or other and till 27-12-74. On that day, the concerned workman raised a preliminary objection on the point of maintainability of the reference. The objection was heard by my learned predecessor and the same was over-ruled by his order dated 7-4-75. The workman challenged this order of my learned predecessor before the Hon'ble High Court in a writ petition and as per order dt. 10-3-88 passed in C. R. No. 615|75, the Hon'ble High Court dismissed the writ petitioner and sent back the reference on remand for disposal of the same on merit.

2. The concerned workman, Shri K. C. Tharakan entered into the services of the State Bank of India (Hereinafter referred to as the Bank) on and from 10-4-1963 as a Clerk cum Typist and at all material times he was serving in that capacity in the office of the Bank's Regional Manager at Shillong till he was dismissed from service on 9-12-1969. He was a member of the Indian Institute of Bankers having its registered office in Bombay. He enrolled himself as an examinee for the Institute's examinations and appeared in the examinations held by the Institute in or about October| November, 1968 at the Shillong Examination Centre. Shri T. P. Barua, Agent of the Bank at its Shillong Branch was nominated by the Institute as the Superintendent of examination to supervise the examination held at the material time.

3. The case for the workman is that Shri T. P. Barua was hostile to him through-out the entire period of the examination, but maintaining partisan attitude towards other examinees alleged to be his friends or underlings helping them to pass the examination by unfair or foul means. It is therefore alleged by the workman that he had been harassed and annoyed by Shri Barua while acting as Superintendent of examination by putting unnecessary hurdles on the way of his normal performance in the examination. He made a complaint in writing to the Institute on 1-11-1968 against Shri Barua for his alleged unseemly and partisan conduct shown by him in the examination. That on getting scent on the complaint made by him Shri Barua abruptly stopped him finishing his answer paper in examination of the following on 2-11-1968 on the plea of detecting certain material in possession of the workman for adopting unfair means in the examination. The workman made another complaint giving detailes account of the second day's incident also against Shri Barua. But the Institute instead of conducting enquiry by an independent agency forwarded the complaints of the workman to the Bank itself for enquiry. It is stated by the workman that the charge against him about detection of certain materials for adopting unfair means in the examination was nothing but a cooked up and framed up story for wreaking vengeance against him for having complained to the Institute against the alleged attrocious conduct of Shri Barua. That the complaints made by the workman were purely and simply and also substantially a matter between himself and the Institute and had whatsoever nothing to do with the official of

Bank management which employed him. It is therefore stated that the workman did not commit any misconduct or acted in a manner prejudicial to the interest of the Banks. But inspite of that he was chargesheeted on 8-4-1969 for his alleged act of misconduct and asked to submit his explanations thereto though as an examiner or supervisor of examinations, Shri Barua's conduct was open to challenge by any examine, not to speak of the concerned workman for such challenge made by him who was an employee of the Bank. It is stated that the management could not have invoked the disciplinary jurisdiction against the workman concerned. That on the basis of so called sham enquiry, the workman was served with a notice of discharge dated 9-12-1969 which was nothing but an order of dismissal of the workman from service. That the dismissal of the workman was illegal, unfair, unjust and such extreme penaltly could not have been inflicted in such a case. The workman therefore claims for his re-instatement with full back wages with all perquisites, amenities, etc. and also with continuity of service and costs.

4. The case for the management is that the allegation made by the workman were found to be baseless after enquiry made by a Senior Officer of the Bank. That a primafacie case of gross misconduct was found to have been committed by the workman for which the Bank had decided to Institute an enquiry. The enquiry was held on 18-5-1969. The workman attended the enquiry but did not participate till the end of the enquiry. After enquiry the allegation against Shri Barua were found to be baseless and nothing but an outcome of a malicious intention to demean Shri Barua in the estimation of the Institute and that charge against the workman was found to have been fully proved and he was discharged from service with effect from 6-12-1969. It is stated that the conduct which was the subject matter of the disciplinary proceeding was greately prejudicial to the interests of the Bank and constituted gross misconduct as defined under Shastry Award as retained by the Desai Tribunal in their Award. The management therefore states that the Bank is fully justified in taking the action against the workman and that the workman is not entitled to any relief.

5. At the time of remand of this reference, the post of the Presiding Officer of this Tribunal was lying vacant till I joined in the last part of the year, 1988. The record of the reference was put up before me on 1-3-1989 and the case was posted for hearing on 19-4-1989 at Gauhati Circuit Sitting of the Tribunal. It may be mentioned that the hearing of the reference was taken up at Gauhati Circuit Sitting of the Tribunal at the specific prayer made by the workman. But the workman prayed for time on ground of his illness. The management side also prayed for time as they could not be ready for hearing for which hearing of the case had to be adjourned till 17-8-89. On this adjourned date also the workman again prayed for time stating that he had to leave for his native State, Kerala to see his ailing father. Hence the hearing of the case had to be adjourned again till 26-9-89. But on this adjourned date also hearing of the case could not be taken up as the Tribunal could not start for Gauhati to hold the Circuit sitting there due to Bandh called by certain organisation, and therefore another date for hearing of the case had to be fixed on 28-11-89. The management side was ready for hearing on 28-11-89, but the workman again prayed for time due to illness of his father. The case was therefore fixed for hearing on 27-12-89. Since the workman had already been given enough time from 19-4-89 to 27-12-89, it was specifically pointed out in the order dt. 28-11-89 that the hearing of the case would be taken up ex parte if either of the parties had defaulted in their appearance before the Tribunal on that day. It was clearly mentioned that no further adjournment of the hearing would be granted under any circumstances. The parties were directed to come prepared for hearing of the case. But inspite of that workman remained absent on 27-12-89 and no cause was shown for his absence. None appeared for him. The management side was ready. The case was therefore taken up for ex parte hearing. The management side declined to examine any more witness except tendering the evidence recorded at the time of hearing of the preliminary objection. I have therefore heard the arguments of the learned counsel appearing for the management. I have also considered the documents and papers filed by both parties.

6. The first allegation of the workman against Mr. Barua was that in the examination held by the Institute at Shillong Centre on 1-11-68 Shri Barua flatly refused to show the workman, who was one of the examinees the cover containing the question papers before opening it so as to asertain that the Institute's seals were intact. And according to workman that was done in order to assist other offices appearing in the examination who were his (Shri Barua's) favourite to get through the examination by illegal means even by allowing them extra time and providing secluded seats to enable them to answer questions copying from answer books of other candidates. He further alleged intimidation by Shri Barua during the examination for his raising suspicion about the intigrity of a Senior Officer, like Shri Barua. Naturally, the burden was on the workman to substiantiate the allegation by adducing cogent and reliable evidence. But the workman failed to turn up and substiantiate his allegations. Shri Barua had stoutly denied the allegation in his statement before the Enquiry Officer. On the other hand, relying on the evidence of Shri B. Dasgupta, Junior Officer of United Bank of India Ltd., Shillong which was examined by the management, the Enquiry Officer ruled out the possibility of tempering with the packets containing the question paper, and he appears to have rightly come to that conclusion. The other allegation against Shri Barua of assisting Shri M .C. Barua to answer the question stating in side the locker room for 54 minutes proved to be without any basis. Rather the report of the domestic enquiry shows that the concerned workman was suspected attempting to adopt unfair means in the examination for which Shri Barua as Superintendent of examination had to keep a constant vigil on him, and such act on the part of Shri Barua could not be said to be criminal intimidation to the workman concerned by any stretch of imagination. He appears to have simply discharged his duties as invigilator in the examination. It appears that the workman made an unsuccessful attempt of adopting unfair means in the examination held on 2-11-68 when he was cought redhanded. In the report of the domestic enquiry it is observed, I have feeling that the letter of Shri Tharakan dt. 1st November, 1968 to the Institute of Bankers is an after thought just to create a field for his alleged charged against Shri T. P. Barua." That is why Shri S. Balakrishnan, Regional Manager, State Bank of India, Shillong had observed in his order dt. 30-1-70 in appeal preferred by the workman against the finding of the Enquiry Officer that the Enquiry Officer felt that the allegation were presumbly made by the workman against Shri Barua in order to extricate himself from the consequences that might follow. The workman did not participate in the domestic enquiry throughout the entire proceeding, and he remained absent at the time of hearing of the reference before this Tribunal also.

7. In the domestic enquiry the charges brought against the workman were found to have been fully proved. The enquiry report recommended some deterent punishment to be inflicted on the concerned workman. This was upheld on appeal prefered by the workman before the Regional Manager of the Bank, and concurring with the findings of the Enquiry Officer, the workman has been discharged from services from 9-12-69. Under Sastry Award, an employee can be dismissed from service while taking disciplinary action against that employee, and disciplinary action can be taken against one resorting to unfair practice of any nature whatsoever in any examination conducted by the Indian Institute of Bankers or by or on behalf of Bank and where the employee is cought in the act of resorting to such unfair practice and report to that effect has been received by the Bank from the concerned authority. Nothing has been stated by the workman as regards the allegation of resorting to unfair means in the examination levelled against him. I have also carefully examined and considered the proceedings and also the report of the domestic enquiry held against the workman, and I do not find that the domes-

the enquiry had suffered from non-observance of principles of natural justice. The punishment inflicted for the workman also does not appear either unconscionable or grossly out of proportion to the gravity of the misconduct committed by him, and in dismissing the workman, the management does not appear to have acted arbitrarily or malafide. I am, therefore of the opinion that the action of the management of the Bank in discharging Shri K. C. Tharakan, the workman from the Bank's services with effect from 5-12-69 was justified and that the workman is not entitled to any relief. This award is accordingly made today, the 22nd January, 1990 answering the reference in favour of the management and against the workman.

I. P. BRAHMA, Presiding Officer

[No. 23/46/70-LRII(B)III]

S. C. SHARMA, Desk Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publication New Delhi-110054 1990